VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सुरक्षा

Classroom Study Material 2018

(September 2017 to June 2018)

www.visionias.in
+91 8468022022

DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW

विषय सूची

1. साइबर सुरक्षा (Cyber Security) 3

2. सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा 10

2.1 सीमा प्रबंधन 10

2.1.1. तटीय सुरक्षा 14

2.2. भारत में क्षेत्रीय प्रवास तथा सुरक्षा संबंधी मुद्दे 17

3. चरमपंथ ,बाह्य राज्यों एवं गैर राज्य शक्तियों की भूमिका 20

3.1 वामपंथी चरमपंथ 20

3.2. पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोह 25

3.3. भारत में आतंकवाद 29

3.3.1. आतंकवाद का वित्त-पोषण 33

3.3.2. भारत में डी-रेडिकलाइजेशन 35

3.4. कश्मीर मुद्दा (Kashmir Issue) 36

4. धनशोधन, संगठित अपराध और आतंकवाद 40

4.1. धन शोधन निवारण 40

4.2 अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध 44

4.2.1. मादक पदार्थों की तस्करी 47

5. सैन्य आधुनिकीकरण 50

5.1. युद्धक क्षमताओं एवं प्रक्रियाओं में सुधार 50

5.1.1. हाल में उठाये गए कदम 51

5.1.1.1. नई रक्षा खरीद नीति 2016 51

5.1.1.2 रक्षा उत्पादन पर मसौदा नीति, 2018 52

5.1.1.3. रक्षा क्षेत्र में निजी भागीदारी 54

5.2. अवसंरचना में सुधार 56

5.2.1. भारत में नागरिक-सैन्य संबंध 57

5.2.2. हाल में उठाये गये कदम (Recent Steps Taken) 59

5.2.2.1. रक्षा नियोजन समिति 59

5.2.2.2 एकीकृत थिएटर कमान 60

5.2.2.3. स्पेस, साइबर और स्पेशल ऑपरेशन कमांड का निर्माण 61

6. आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में प्रौद्योगिकी,संचार ,मीडिया और सोशल मीडिया 64

6.1.प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा 64

VISION IAS

6.2 आधार और राष्ट्रीय सुरक्षा 66

7. अतिरिक्त विषय (Additional Topics) 70

7.1. पुलिस सुधार 70

7.2 भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा में आसूचना की भूमिका 73

ON IAS

1. साइबर सुरक्षा (Cyber Security)

साइबर सुरक्षा का तात्पर्य **साइबर स्पेस** को हमले, क्षति, दुरुपयोग और आर्थिक जासूसी (economic espionage) से सुरक्षित करना है। **साइबर स्पेस सूचना परिवेश के भीतर एक वैश्विक डोमेन है** जिसमें परस्पर निर्भर IT अवसंरचना जैसे इंटरनेट, टेलीकॉम नेटवर्क, कंप्यूटर सिस्टम इत्यादि शामिल होते हैं।

हाल ही में हुई एक साइबर चूक के कारण, रक्षा और गृह मंत्रालयों सहित कम से कम 10 सरकारी वेबसाइटें कई घंटों तक प्रभावित रहीं। यह साइबर सुरक्षा पर और अधिक गंभीरता से बल दिए जाने की आवश्यकता को उद्घाटित करता है। संसद में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार, राज्य और केंद्र सरकार की वेबसाइटों सहित 700 से अधिक भारतीय सरकारी वेबसाइटों को पिछले चार वर्षों में अलग-अलग अवधि के लिए हैक किया गया और उन्हें जबरन ऑफ़लाइन कर दिया गया।

निम्नलिखित कारणों से भारत के लिए **साइबर सुरक्षा की आवश्यकता** अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है:

- **सरकार द्वारा डिजिटल तकनीक को प्रोत्साहन देना:** आधार, माईगोव (MyGov), गवर्नमेंट ई-मार्केट, डिजीलॉकर, भारत नेट जैसे विभिन्न कार्यक्रमों से बड़ी संख्या में नागरिकों, कंपनियों और सरकारी एजेंसियों को ऑनलाइन कारोबार करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
- **स्टार्ट-अप डिजिटल को बढ़ावा देना:** भारत विश्व में प्रौद्योगिकी संचालित स्टार्ट-अप्स के लिए तीसरा सबसे बड़ा केंद्र है और अनुमान है कि इसका ICT क्षेत्र 2020 तक 225 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा।
- **बढ़ती संवेदनशीलता:** साइबर सुरक्षा उल्लंघनों के मामले में भारत विश्व का पांचवां सबसे संवेदनशील देश है। भारत में 2017 की पहली छमाही के दौरान **प्रत्येक 10 मिनट में कम से कम एक साइबर क्राइम** की घटना दर्ज की गयी, जिसमें **वानाक्राई और पेट्या रैनसमवेयर** जैसे अत्यधिक जटिल साइबर हमले शामिल थे। 2017 में विश्व स्तर पर मैलवेयर, स्पैम और फिशिंग अटैक जैसे कुल साइबर हमलों का 5.09 प्रतिशत भारत में दर्ज किया गया।
- **बढ़ती लागत:** भारत में साइबर हमलों से होने वाली अनुमानित हानि चार बिलियन डॉलर है जिसके आगामी 10 वर्षों में 20 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है।
- **इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की बढ़ती संख्या:** इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरे स्थान पर है। 2020 तक भारत के ग्रामीण क्षेत्रों से 75% नए उपयोगकर्ताओं सहित इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 730 मिलियन होने का अनुमान है।
- **ऑनलाइन कारोबार बढ़ाना:** उदाहरण के लिए, 2020 तक यात्रा के लिए किये जाने वाले कुल लेन-देन का लगभग 50% ऑनलाइन होगा और ई-कॉमर्स लेन-देन का 70% मोबाइल के माध्यम से होगा।

कॉर्पोरेट और साइबर सुरक्षा

साइबर क्राइम में वृद्धि के साथ-साथ कॉर्पोरेट साइबर घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। एक इंटरनेट सोसाइटी पहल के अनुसार, गत वर्ष **व्यापार को लक्ष्य बनाने वाले साइबर हमले लगभग दोगुने हो गए हैं।** इनकी संख्या 2016 में 82,000 के स्तर से बढ़कर 2017 में 1,59,700 हो गयी। इससे पूर्व कॉर्पोरेट संस्थान इस प्रकार की घटनाओं के विरुद्ध कोई प्रतिकारात्मक पहल नहीं कर रहे थे लेकिन अब वे शिकायत दर्ज कराने के साथ-साथ मामलों के समाधान हेतु पुलिस विभाग सहित सम्बंधित संस्थानों के साथ मिलकर कार्य भी कर रहे हैं।

हाल ही में विगत वर्षों में हुई विभिन्न घटनाएं प्रकाश में आई हैं जैसे- IRCTC से डाटा चोरी, ज़ोमैटो पर 17 मिलियन उपयोगकर्ताओं के रिकॉर्ड की हैकिंग, यस बैंक के कुछ ATMs और POS मशीनों पर मैलवेयर अटैक, रिलायंस जियो के डाटाबेस तक अनधिकृत पहुँच बनाना आदि। फिरौती (ransom) की मांग भी बढ़ रही है। उदाहरण के लिए, उबर ने डेटा उल्लंघन को गुप्त रखने के लिए हैकर को $ 100,000 का भुगतान किया।

किसी देश (national states) द्वारा **दूसरे देश की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसंरचना** को हैक करने के भी विभिन्न साक्ष्य उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए- कुछ वर्ष पूर्व, अमेरिकी खुफिया एजेंसी NSA ने भारतीय फार्मास्यूटिकल और IT कंपनियों को टारगेट करने की चीन के हैकर्स की प्रवृत्ति को चिह्नित किया था। अतः किसी देश द्वारा उत्पन्न साइबर संकट वास्तविकता में परिणत होते दिख रहे

VISION IAS

हैं, जिनके प्रभाव IT, फार्मा, रसायन, रक्षा और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों पर पड़ेंगे। वास्तव में साइबर स्पेस को भूमि, समुद्र, वायु और अंतरिक्ष के बाद युद्ध के 5वें आयाम के रूप में घोषित किया गया है।

भारत में साइबर सुरक्षा से सम्बंधित चुनौतियां

- **डाटा औपनिवेशीकरण:** भारत सूचनाओं का शुद्ध निर्यातक है, हालांकि अधिकांश डिजिटल सेवा प्रदाताओं के डाटा सर्वर भारत के बाहर स्थित हैं। इसके अतिरिक्त चुनावी परिणामों को प्रभावित करने, कट्टरवाद के प्रसार आदि के लिए डाटा का दुरुपयोग किया जा रहा है।
- **व्यापक डिजिटल निरक्षरता** भारतीय नागरिकों को साइबर धोखाधड़ी, साइबर चोरी आदि के लिए संवेदनशील बनाती है।
- **निम्न गुणवत्ता के उपकरण:** भारत में, इंटरनेट तक पहुंचने के लिए उपयोग किए जाने वाले अधिकांश उपकरणों में अपर्याप्त सुरक्षात्मक अवसंरचना होती है, जो इन्हें हाल ही में खोजे गए **'सपोशी'** जैसे मालवेयर के लिए अतिसंवेदनशील बनाती है। इसके अतिरिक्त, लाइसेंस रहित सॉफ़्टवेयरों और अंडरपेड लाइसेंसों का व्यापक उपयोग भी इन्हें सुभेद्य बनाता है।

सपोशी मैलवेयर के बारे में

- यह सुरक्षा एजेंसियों द्वारा खोजा गया एक नया मैलवेयर है। यह **बॉटनेट** और **डिस्ट्रिब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस (DDoS)** अटैक कर सकता है।
- **मैलवेयर अर्थात् "हानिकारक सॉफ़्टवेयर (Malicious Software)"** डेटा, डिवाइस या लोगों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से निर्मित एक प्रकार का सॉफ़्टवेयर है।
- **वायरस, ट्रोजन, रैनसमवेयर, बॉटनेट** इत्यादि विभिन्न प्रकार के मैलवेयर हैं।

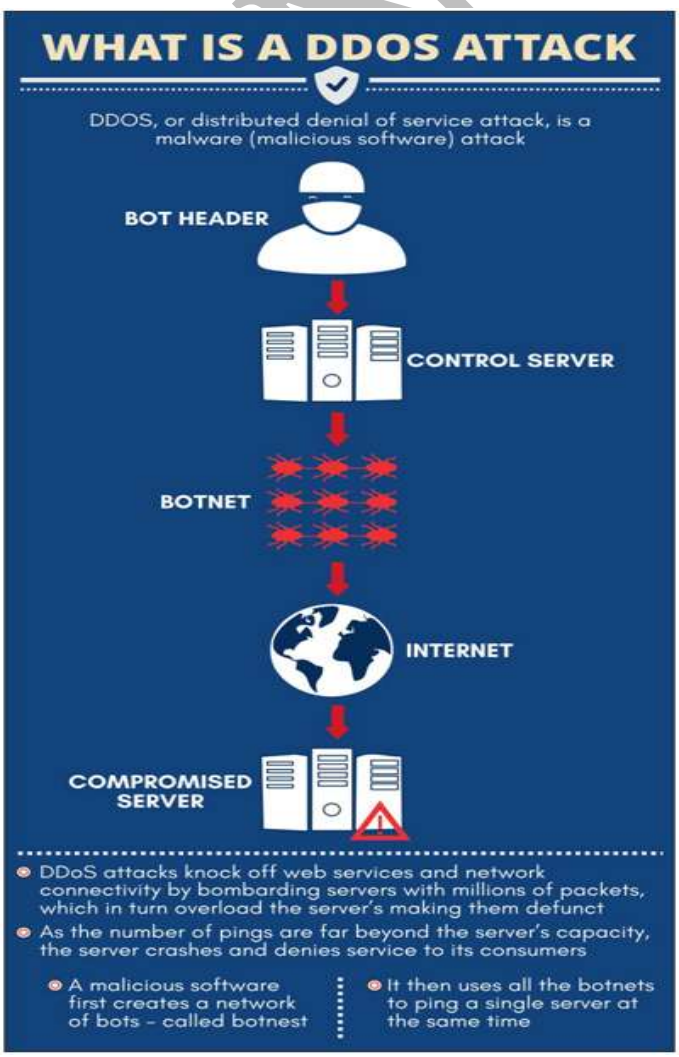

- **नई तकनीक की स्वीकृति का अभाव:** उदाहरण के लिए- बढ़ते डिजिटल अपराध के साथ बैंकिंग आधारभूत संरचना सुदृढ़ नहीं हुई है। कुल क्रेडिट और डेबिट कार्ड में लगभग 75% मैग्नेटिक स्ट्रिप पर आधारित होते हैं जिनका प्रतिरूपण करना (cloned) आसान होता है।
- **एकसमान मानकों का अभाव:** विभिन्न प्रकार के असमान मानकों वाले उपकरणों का प्रयोग किया जाता है जिससे **एकसमान सुरक्षा प्रोटोकॉल** प्रदान करने में समस्या उत्पन्न होती है।
- सेलफोन से लेकर विद्युत, रक्षा, बैंकिंग, संचार और अन्य महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में प्रयुक्त उपकरणों जैसे अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए **आयात पर निर्भरता** भारत को असुरक्षित स्थिति में डाल सकती है।
- **पर्याप्त अवसंरचना और प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव:** वर्तमान में भारत में साइबर सुरक्षा से संबंधित पदों पर रिक्तियों की संख्या लगभग 30,000 है। साथ ही आवश्यक कौशलप्राप्त व्यक्तियों की मांग इनकी आपूर्ति से व्यापक रूप से अधिक है।
- **जागरूकता की कमी :** जागरूकता की कमी के कारण साइबर क्राइम के अधिकांश मामलों की रिपोर्ट नहीं की जाती है।
- साइबर सुरक्षा के लिए कार्य कर रही **विभिन्न एजेंसियों के मध्य समन्वय का अभाव** है। साइबर स्पेस में एक प्रमुख हितधारक होने के बावजूद, निजी क्षेत्र को साइबर सुरक्षा संबंधी समन्वय में सक्रिय रूप से शामिल नहीं किया जाता है।
- **अनामिता:** हैकर्स द्वारा उत्पन्न किए गए एडवांस्ड प्रिसीजन थ्रेट्स (APTs) को विशेष रूप से किसी अभिकर्ता (राज्य या गैर-राज्य) के साथ जोड़ पाना कठिन होता है।
- **अंडर-रिपोर्टिंग**: किसी संगठन की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता की हानि के भय के कारण 90% से अधिक साइबर अपराध सम्बन्धी घटनाएं दर्ज नहीं करायी जाती हैं।
- **अन्य चुनौतियां:** इसके अंतर्गत किसी भी भौगोलिक बाधा की अनुपस्थिति, साइबर स्पेस में तेजी से विकसित होती प्रौद्योगिकी और समग्र परिवेश में सुभेद्य बिंदुओं की अधिक संख्या के कारण विश्वसनीय साइबर सुरक्षा अवसंरचना स्थापित करने में कठिनाई भी चुनौतियों में शामिल है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

भारत में साइबर सुरक्षा की विभिन्न समस्याओं को चिन्हित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) द्वारा जारी द्वितीय ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत को **23वें** स्थान पर रखा गया। यह इंडेक्स राष्ट्रों की साइबर सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का मापन करता है। भारत ने संस्थागत, विधायी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न उपायों को अपनाया है।

संस्थागत उपाय	वैधानिक उपाय
• **प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में** ○ एयर कंट्रोल, परमाणु और अंतरिक्ष जैसे सामरिक क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा खतरों से सुरक्षा प्रदान करने हेतु **राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना मूल संरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC)** की स्थापना। यह राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के तहत कार्य करेगा, जो PMO में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित एक टेक्निकल इंटेलीजेंस गैदरिंग एजेंसी है। • **गृह मंत्रालय में** ○ **राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (NCCC)** जो देश में आने वाले इंटरनेट ट्रैफिक को स्कैन करता है और रियल टाइम कार्यवाही हेतु विभिन्न संगठनों के साथ-साथ विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों को सचेत करने का कार्य करता है। ○ साइबर थ्रेट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और ऑनलाइन स्टॉकिंग जैसे इंटरनेट अपराधों से निपटने के लिए	• **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2008 में संशोधित)** को साइबर सुरक्षा के लिए डेटा पहुंच प्रदान करने, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के माध्यम से किए गए लेन-देन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करने आदि उद्देश्यों से अधिनियमित किया गया था। प्रमाणन प्राधिकरणों के कामकाज को लाइसेंस प्रदान करने और विनियमित करने के लिए इस अधिनियम के तहत **प्रमाणन प्राधिकरणों हेतु एक नियंत्रक** स्थापित किया गया है जो उपयोगकर्ताओं के इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणीकरण के लिए **डिजिटल हस्ताक्षर** प्रमाण पत्र जारी करता है। • **राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013: यह** नीति प्रस्तावित करती है: ○ सभी साइबर सुरक्षा मामलों को समन्वयित करने के लिए, एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के साथ खतरों के विभिन्न स्तरों से निपटने के लिए विभिन्न निकायों की स्थापना करना। ○ एक राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना मूल संरचना संरक्षण

VISION IAS

एक नया **साइबर और सूचना सुरक्षा (CIS) प्रभाग** बनाया गया है। इसके तहत, **भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) और साइबर वॉरियर पुलिस फ़ोर्स** का गठन भी किया गया है।

- **रक्षा मंत्रालय में**
  - हाल ही में एक डिफेन्स साइबर एजेंसी का प्रस्ताव रखा गया है।
- **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में**
  - **इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-in)** सक्रिय कार्यवाही और प्रभावी सहयोग के माध्यम से भारत में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी की सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। **CERT-fin** विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्र के लिए प्रारंभ किया गया है। CERT-in द्वारा **साइबर स्वच्छता केंद्र,** बॉटनेट क्लीनिंग एवं मालवेयर विश्लेषण केंद्र का संचालन भी किया जाता है।
  - सरकार ने सरकारी इकाइयों को साइबर हमलों से सुरक्षा प्रदान करने और हमलों की पूर्व चेतावनी जारी करने के लिए एक नए निकाय **राष्ट्रीय सूचना केंद्र- कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (NIC-CERT)** का गठन किया है।
  - भारत में साइबर सुरक्षा परिवेश के सुदृढीकरण हेतु इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) द्वारा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (NEGD) एवं उद्योग जगत के सहयोग से **'साइबर सुरक्षित भारत' पहल** की शुरुआत की गयी है। भारत में यह अपनी तरह की पहली सार्वजनिक-निजी भागीदारी है। यह साइबर सुरक्षा में आईटी उद्योग की विशेषज्ञता का लाभ प्राप्त करेगी। इसका उद्देश्य जागरूकता सृजन और क्षमता निर्माण है।

केंद्र (NCIIPC) का सृजन।

  - आगामी पांच वर्षों में साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में क्षमता निर्माण, कौशल विकास और प्रशिक्षण के माध्यम से लगभग 500,000 कुशल पेशेवरों का एक कार्यबल सृजित करना।
  - मानक सुरक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए व्यवसायों को वित्तीय लाभ प्रदान करना।
  - देश में उपयोग में आने वाले उपकरणों की सुरक्षा की नियमित जांच करने के लिए परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करना।
  - देश में एक सुरक्षित साइबर पारिस्थितिकी तंत्र सृजित करना तथा तकनीकी एवं प्रचालन सहयोग के माध्यम से प्रभावी सार्वजनिक-निजी भागीदारी और सहयोगात्मक सहभागिता विकसित करना।
  - अनुसंधान के माध्यम से स्वदेशी सुरक्षा प्रौद्योगिकियों का विकास करना।

अंतर्राष्ट्रीय उपाय

- **साइबर-कूटनीति:** भारत सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और मलेशिया जैसे देशों के साथ साइबर सुरक्षा सहयोग हेतु विभिन्न कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए- US-इंडिया साइबर रिलेशनशिप फ्रेमवर्क।
- **ग्लोबल कांफ्रेंस ऑन साइबर स्पेस में भाग लेना:** यह एक प्रतिष्ठित वैश्विक कार्यक्रम है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय नेता, नीति निर्माता, उद्योग विशेषज्ञ, थिंक टैंक, साइबर विशेषज्ञ इत्यादि साइबर स्पेस का अधिकतम उपयोग करने के लिए मुद्दों और चुनौतियों पर विचार-विमर्श करने के लिए एकत्रित होते हैं।
- **ग्लोबल सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी:** इसे **विश्व आर्थिक मंच** (WEF) द्वारा भविष्य की परिस्थितियों में साइबर सुरक्षा के लिए प्रयोगशाला और अर्ली वार्निंग थिंक टैंक के रूप में कार्य करने तथा एक सुरक्षित वैश्विक साइबर स्पेस के निर्माण में सहायता करने हेतु प्रारंभ किया गया था।

सरकार द्वारा किए गए अन्य उपाय

- **उद्योग संबंधी पहलें:** NASSCOM ने अपनी साइबर प्रयोगशालाओं में साइबर फोरेंसिक टूल्स और पद्धतियों के उपयोग में हाल के रुझानों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करने की योजना बनाई है।
- **साइबर सुरक्षा अनुसंधान के लिए निधि:** सरकार ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में नवाचारों पर कार्य प्रारंभ करने के लिए 5 करोड़ रूपए के अनुदान की घोषणा की है।

निजी क्षेत्र द्वारा की गई पहलें

हाल ही में, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक के नेतृत्व में शीर्ष 34 वैश्विक प्रौद्योगिकी और प्रतिभूति फर्मों ने साइबर अपराधियों

VISION IAS

और राष्ट्र-राज्यों द्वारा दुर्भावनापूर्ण हमलों से लोगों की रक्षा के लिए "साइबर सिक्योरिटी टेक एकॉर्ड" (Cybersecurity Tech Accord) पर हस्ताक्षर किए हैं। इन्होंने चार क्षेत्रों में प्रतिबद्धताएं अभिव्यक्त की हैं - मजबूत रक्षा, साइबर अपराधों में सरकारों द्वारा सहयोग नहीं किया जाना, क्षमता निर्माण और सामूहिक कार्यवाही।

आगे की राह

- **साइबर प्रतिरोध (Cyber deterrence):** यह दो प्रकार का होता है - रक्षात्मक और आक्रामक। भारत को विभिन्न देशों द्वारा अपनाए गए आक्रामक साइबर सिद्धांत (offensive cyber doctrine) का उचित आकलन करने की आवश्यकता है। ये 'साइबरवेपन्स' नामक सॉफ़्टवेयर के बिट्स बनाकर आक्रामक क्षमताओं का संग्रहण कर रहे हैं ताकि विरोधी नेटवर्क को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया जा सके।
- **बेहतर विनियमन और मानदंडों को अपनाना:** वर्तमान में, साइबर स्पेस संबंधी व्यवहारिक रूप से स्वीकार्य कोई भी मानदंड नहीं हैं। अतः, राज्य के साथ-साथ विभिन्न कंपनियां भी अपनी क्षमताओं का विकास कर रही हैं। इससे सम्पूर्ण साइबर स्पेस को अस्थिर करने की क्षमता रखने वाले आक्रामक साइबर उपकरणों और पद्धतियों का अनियंत्रित प्रसार हो रहा है।
- **समन्वय सुनिश्चित करना:** विभिन्न संस्थानों के मध्य आवश्यक समन्वय स्थापित करने और साइबर प्रतिरोध सहित समन्वित दृष्टिकोण विकसित करने हेतु राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा कोऑर्डिनेटर (NCC) को सुदृढ़ बनाया जा सकता है।
- **सिंगापुर की तरह साइबर इंश्योरेंस फ्रेमवर्क की स्थापना:** साइबर **इंश्योरेंस** साइबर सुरक्षा कंपनियों और एथिकल हैकर्स को अवसर प्रदान कर रहा है। वर्तमान में **इंश्योरेंस दावों की** 80% जाँच सिंगापुर को आउटसोर्स की जा रही है क्योंकि कंपनियां लाखों में भुगतान करते समय समीक्षा करने के लिए सर्वोत्तम प्रतिभा की अपेक्षा करती हैं।

भारत में साइबर इंश्योरेंस

- उद्योग के अनुमानों के अनुसार अभी तक भारत में 300-400 साइबर पॉलिसियां ही बेची गई हैं।
- भारत में साइबर इंश्योरेंस की औसत लागत लगभग 7.5 मिलियन डॉलर है। हालांकि, विकसित देशों की तुलना में यह अभी भी 20-25% कम है।
- इस क्षेत्र के द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों में शामिल हैं: विश्वसनीयता संबंधी मुद्दे, प्रतिभा की कमी, प्रौद्योगिकी को वृहद पैमाने पर स्वीकार करने की आवश्यकता।

- **व्यवसायों द्वारा साइबर सुरक्षा में निवेश को बढ़ावा देना:** वर्तमान में सुरक्षा बजट का केवल एक छोटा हिस्सा कंपनियों द्वारा IT सुरक्षा के लिए उपयोग किया जा रहा है। हालांकि, साइबर घटनाओं से सम्बंधित आर्थिक और प्रतिष्ठा सम्बन्धी जोखिमों को ध्यान में रखते हुए IT सुरक्षा में निवेश में वृद्धि की जानी चाहिए तथा इसके माध्यम से साइबर सुरक्षा योजना को अपनाया जाना चाहिए, साइबर-इंश्योरेंस की खरीद की जानी चाहिए और साथ-साथ डेटा सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए।
- **आईटी अधिनियम, 2008 में संशोधन:** अपराधों के विरुद्ध प्रतिरोधक के रूप में जुर्माना निर्धारित करने के लिए नियमों को साइबर परिदृश्य में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए भारतीय आईटी अधिनियम में वित्तीय धोखाधड़ी अभी भी एक जमानती अपराध है।
- **कौशल विकास:** भारत में 2025 तक साइबर सुरक्षा क्षेत्र में लगभग दस लाख रोजगारों के अवसर के सृजन का अनुमान है। इन अवसरों का अन्य देशों के पेशेवरों से संरक्षण और भारतीयों को इनका लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु, भारत को आवश्यक कौशल विकास हेतु उचित परिवेश स्थापित करना होगा। आईटी पेशेवरों की एक रिपॉज़िटरी के रूप में एक राष्ट्रीय साइबर रजिस्ट्री के विचार को भी लागू किया जा सकता है।

VISION IAS

- **साइबर सुरक्षा नीति का अपडेशन:** भारत को साइबर सुरक्षा पर एक अद्यतन नीति की आवश्यकता है, क्योंकि राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 द्वारा साइबर सुरक्षा के व्यापक सिद्धांतों को तो रेखांकित किया गया है परन्तु इसके परिचालन हेतु आवश्यक रूपरेखा को स्पष्ट नहीं किया गया है।
- **सुरक्षा लेखा-परीक्षा (Security audit):** सभी सरकारी वेबसाइटों, एप्लिकेशन को जारी और प्रकाशित करने से पूर्व, उनके लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुरक्षा लेखा परीक्षा का प्रावधान किया जा सकता है।
- **राज्य स्तर पर साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क की स्थापना:** उदाहरण स्वरुप CERT-in के साथ मिलकर कार्य करने के लिए state-CERT की स्थापना की जानी चाहिए।
- **सुदृढ़ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** राष्ट्रों के मध्य बेहतर सहयोग होना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा युद्ध की स्थिति में भी इंटरनेट की मूल संरचना पर हमला नहीं करने के लिए एक वैश्विक समझौते की पुष्टि की जानी चाहिए। हाल ही में गृह मंत्रालय ने साइबर अपराध में वृद्धि के कारण **बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम** पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है।

बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम से सम्बन्धित तथ्य

- यूरोपीय परिषद द्वारा सम्पन्न यह सम्मेलन इस मुद्दे से संबंधित **एकमात्र बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय उपकरण** है। यह राष्ट्रीय कानूनों को सुसंगत बनाकर, जांच तकनीकों की विधिक अधिकारिता में सुधार करके और राष्ट्रों के मध्य सहयोग बढ़ाकर इंटरनेट और कंप्यूटर अपराध से सुरक्षा प्रदान करता है।
- यह कॉपीराइट का अतिक्रमण, कंप्यूटर से संबंधित धोखाधड़ी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और नेटवर्क सुरक्षा के उल्लंघन जैसे मुद्दों से संबंधित है।
- इसका उद्देश्य एक **साझा आपराधिक नीति की स्थापना करना है**, मुख्य रूप से उचित कानून को अपना कर और अंतरराष्ट्रीय पुलिस के साथ-साथ न्यायिक सहयोग को बढ़ावा देकर।
- यह साइबर अपराधों की जांच करने और किसी भी अपराध के संबंध में ई-एविडेंस सुरक्षित करने के लिए **प्रक्रियात्मक कानूनी उपकरण** प्रदान करता है।
- कंप्यूटर सिस्टम्स के माध्यम से " **जेनोफोबिया** (विदेशिओं के प्रति घृणाभाव) **और रेसिज्म** (नृजातीयतावाद) **प्रसारित करने पर एक प्रोटोकॉल"** इसका एक अनुपूरक समझौता है।
- कन्वेंशन में अमेरिका और ब्रिटेन सहित कुल 56 सदस्य शामिल हैं। भारत अभी तक इसका सदस्य नहीं है।

भारत को इसमें क्यों शामिल होना चाहिए?

भारत को **एक ऐसे प्रमाणित फ्रेमवर्क** से लाभ प्राप्त होगा जिसमें सदस्य राष्ट्र साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से जुड़े किसी भी अपराध के संबंध में व्यापक रूप से परस्पर सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

- यह साइबर सुरक्षा से सम्बंधित **वैश्विक कानून का आधार हो सकता** है।
- यह साइबर अपराधों के विरुद्ध **राष्ट्रीय कानून या नीति का मार्गदर्शन करने** में सहायता कर सकता है।
- यह आतंकवादी और चरमपंथी कारणों को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस का उपयोग करने के विरुद्ध एक **सामूहिक कार्रवाई सुनिश्चित कर सकता है।**
- क्षमता निर्माण के लिए भारत एक अग्रणी देश बन सकता है।
- एक सदस्य के रूप में भारत **भविष्य के समाधानों को स्वरूप प्रदान में** योगदान देने में सक्षम होगा।

VISION IAS

शामिल होने के विपक्ष में तर्क

- भारत सहित अन्य विकासशील देशों द्वारा हस्ताक्षर नहीं करने के लिए तर्क दिया जाता है कि अमेरिका एवं अन्य विकसित **देशों ने उनसे परामर्श किए बिना इसका मसौदा तैयार किया है।**
- इसके विशिष्ट प्रावधान **व्यक्तियों और राज्यों के अधिकारों की रक्षा करने में विफल** साबित हुए हैं।
- सम्मेलन द्वारा निर्धारित परस्पर कानूनी सहायता की प्रक्रिया **अत्यधिक जटिल और लंबी** है, जो व्यवहारिक रूप से इसे अक्षम बनाती है।
- इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) द्वारा यह चिंता व्यक्त की गयी है कि यह **देश की संप्रभुता का उल्लंघन** करता है। उदाहरण के लिए सम्मेलन का एक अनुच्छेद स्थानीय पुलिस को बिना किसी की स्वीकृति के किसी अन्य देश के अधिकार क्षेत्र में स्थित सर्वरों तक पहुंचने की अनुमति प्रदान करता है।

2. सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा

(Security In Border Areas)

2.1 सीमा प्रबंधन

(Border Management)

भारत की स्थल सीमा 15,000 किमी लंबी है, जो सात देशों (पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान) के साथ साझा होती है। इसके अतिरिक्त, इसकी तट रेखा 7,500 किमी से भी अधिक लंबी है। देश के कुछ राज्यों के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में एक या अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं या समुद्र तटरेखा उपस्थित है और इन्हें सीमा प्रबंधन के दृष्टिकोण से फ्रंटलाइन राज्य के रूप में माना जा सकता है। गृह मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय भूमि और तटीय सीमाओं के प्रबंधन, सीमा सुरक्षा और सड़क, बाड़ लगाने और सीमाओं पर रोशनी की व्यवस्था जैसी अवसंरचना के निर्माण के लिए उत्तरदायी है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीमाओं का समुचित प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारी विस्तृत सीमाओं के विभिन्न भागों में अनेक समस्याएं विद्यमान हैं जिनका समुचित समाधान किया जाना चाहिए। सीमा सुरक्षा के प्रबंधन को प्रभावित करने वाली कुछ सामान्य समस्याओं में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- हमारी स्थल और समुद्री सीमाओं के उचित सीमांकन का अभाव।
- सभी सीमाओं पर जटिल और भिन्न-भिन्न प्रकार के भूभाग सीमा प्रबंधन में विशेषज्ञता प्राप्त करना कठिन बनाते हैं।
- सीमा सुरक्षा से सम्बद्ध विभिन्न एजेंसियों के मध्य समन्वय की कमी।
- सीमा बलों के लिए अवसंरचना का अभाव जिसमें श्रमबल और अवसंरचना, दोनों की कमी शामिल है।
- सीमा क्षेत्रों के स्थानीय लोगों की समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान न देना। सुरक्षा बलों और सरकार के विरुद्ध वैमनस्य का भाव उत्पन्न करने के लिए अराजक तत्वों द्वारा इन स्थानीय लोगों का शोषण किया जाता है।
- सुरक्षा बलों पर पर्याप्त ध्यान न देना जैसे मोबाइल कनेक्टिविटी न होने के कारण अलगाव, अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं, सेना की तुलना में पारिश्रमिक और भत्ते में असमानता आदि।

सीमा	सीमा से सम्बद्ध चुनौतियां	हाल ही में सरकार द्वारा आरंभ की गयी पहलें
भारत-चीन	• जम्मू-कश्मीर में अक्साई चिन के साथ-साथ अरुणाचल प्रदेश में छुट-पुट आक्रामकता के साथ **सीमा विवाद**। • यद्यपि सीमावर्ती व्यापार के लिए केवल तीन निर्दिष्ट क्षेत्र हैं; तथापि इन सीमा-स्थलों के माध्यम से चीन के इलेक्ट्रॉनिक और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की **बड़े पैमाने पर तस्करी होती है**। • अत्यधिक ऊंचाई और सघन बसाव के कारण **अपर्याप्त अवसंरचना**। हालांकि, चीन ने हवाई, सड़क और रेल अवसंरचना के साथ-साथ सीमा के निकट निगरानी क्षमताओं को उन्नत करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए हैं। • चीन की सीमा पर एकल PLA कमांडर के विपरीत **भारतीय सीमा पर विभिन्न सुरक्षा बल तैनात हैं** (उदाहरण के लिए- ITBP, असम राइफल्स, विशेष सीमा बल)। • **जल की साझेदारी का मुद्दा** क्योंकि चीन अपनी ओर बाँध का निर्माण कर रहा है जिससे भारत की	• **अवसंरचना का निर्माण:** भारत सैन्यदल के आवागमन का समय कम करने हेतु कुछ महत्वपूर्ण पुलों का निर्माण कर रहा है। उदाहरण, ढोला-सादिया पुल। • चीन को नियंत्रित करने के लिए उत्तर-पूर्व में अवसंरचना परियोजनाओं को शीघ्रता से विकसित करने हेतु **भारत ने जापान का सहयोग प्राप्त किया है।** • LAC के 100 किलोमीटर के अंदर सैन्य अवसंरचना परियोजनाओं को **वन अनुमति से छूट** प्रदान की गई है। • **सीमा सड़क निर्माण में तीव्रता लाने हेतु**, रक्षा मंत्रालय ने सीमा सड़क संगठन (BRO) को प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां सौंपने का निर्णय लिया है।

VISION IAS

	ओर जल का प्रवाह कम हो रहा है।	
भारत-पाक	• सर क्रीक और कश्मीर में **सीमा विवाद।** • सिंधु नदी **जल बँटवारे का मुद्दा।** • भारत को अस्थिर करने के उद्देश्य से **घुसपैठ और सीमा पार आतंकवाद।** हाल ही में BSF ने जम्मू के वन क्षेत्र में पांचवीं (2012 से) सीमा पार सुरंग का पता लगाया है। • रेगिस्तान, दलदल, बर्फ से ढके पर्वत और मैदान सहित **विविधतापूर्ण भू-क्षेत्र** सीमा सुरक्षा को कठिन बना देते हैं। • अप्रत्याशित परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के कारण अवसंरचना परियोजनाओं में **समय और लागत की अधिकता।** • **अन्य मुद्दों में** ड्रग तस्करी, नकली मुद्रा, हथियार तस्करी आदि सम्मिलित हैं।	• पठानकोट आतंकवादी हमले के बाद, गृह मंत्रालय ने **व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS)** के कार्यान्वयन को अनुमोदन प्रदान किया है। इसका उद्देश्य सामान्य परिस्थितियों के साथ-साथ प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों में भी समग्र सुरक्षा प्रदान करने हेतु सीमाओं पर एक एकीकृत सुरक्षा प्रणाली की स्थापना करना है। • केंद्र ने **जम्मू-कश्मीर में** भारतीय विशेष बल की इकाई **राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) कमांडो** को तैनात करने का निर्णय लिया है। इससे जम्मू-कश्मीर पुलिस और अन्य अर्धसैनिक बलों को संदिग्ध भवनों में प्रवेश (room intervention), आतंकवाद-रोधी कौशल, एंटी-हाईजैक ऑपरेशन के निरीक्षण आदि से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान कर आतंकवाद-रोधी ऑपरेशनों को अधिक सुदृढ़ किया जा सकेगा।
भारत-नेपाल	• ISI की बढ़ती गतिविधियों जैसे नेपाल सीमा से लड़ाकों और विस्फोटकों के प्रवेश के कारण भारत विरोधी और चरमपंथी गतिविधियों में वृद्धि। • नेपाल के माओवादियों की संबद्धता भारत में होने के कारण **माओवादी विद्रोह फैलने का भय।** • **बच कर भाग निकलने की सहूलियत और अवैध गतिविधियां-** खुली सीमा होने के कारण भारत और नेपाल के सुरक्षा बलों द्वारा वांछित विद्रोही, आतंकवादी एवं कई खतरनाक अपराधी बच निकलते हैं। ये राष्ट्र-विरोधी तत्व अवैध गतिविधियों जैसे अत्यावश्यक वस्तुओं और **नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी**, हथियारों, ड्रग की तस्करी और **मानव दुर्व्यापार** में संलिप्त होते हैं। • **अन्य मुद्दे:** कई बार विवादित सीमा दोनों पक्षों की भूमि पर अतिक्रमण का कारण बनती है।	• बेहतर परिचालन दक्षता सुनिश्चित करने के लिए भारत-नेपाल और भारत-भूटान सीमा पर SSB में एक नए खुफिया अनुभाग की स्थापना। • सीमा-पार अपराध, तस्करी, आतंकवादी गतिविधियों आदि जैसे साझा चिंता के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दोनों देशों के जिले के अधिकारियों के स्तर पर **सीमा जिला समन्वय समिति** की स्थापना। • भारत सरकार ने नेपाल सीमा के साथ 1377 किलोमीटर की सड़कों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है। • रोजगार के अवसरों की कमी के कारण होने वाली मानव तस्करी को रोकने के लिए नेपाल को विकास सहायता प्रदान करना।
भारत-भूटान	• **सीमा विवाद** जैसे कि हाल में उठा डोकलाम मुद्दा जिसकी **चिकन नेक** से निकटता खतरे को बढ़ाती है। • **उग्रवाद-** बोडो, ULFA आदि विभिन्न समूह शरण के लिए भूटान में छिप जाते हैं। हालांकि भूटान की सेना द्वारा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। • भूटानी भांग (कैनाबिस), शराब और वन उत्पादों जैसी **वस्तुओं की तस्करी।** • **लोगों और वाहनों के मुक्त आवागमन** के	• **द्विपक्षीय सहयोग - सीमा प्रबंधन और सुरक्षा पर भारत-भूटान समूह** के रूप में सचिव स्तर पर एक द्विपक्षीय तंत्र अस्तित्व में है। यह खुली सीमा का लाभ उठाने का प्रयास करने वाले समूहों से दोनों देशों के समक्ष उत्पन्न होने वाले संभावित खतरे का आकलन कर रहा है। • भूटान को विद्रोहियों का शरण स्थल बनने से रोकने के लिए **भूटानी सेना के साथ सहयोग।** • 1000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती के साथ

VISION IAS

	परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड आंदोलन जैसे मुद्दों को बढ़ावा मिलता है। • एक देश से दूसरे में प्रवासन से जनसांख्यिकी के परिवर्तन का भय उत्पन्न होता है। प्रवासियों पर निर्वनीकरण, शिकार और वन्यजीव तस्करी जैसे आरोप भी लगाये जाते हैं।	डोकलाम के निकट भूटान सीमा के साथ सिक्किम में नई सीमा पोस्टों की स्थापना। • केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भूटान और म्यांमार सीमा से 16 किमी की हवाई दूरी के भीतर तथा नेपाल सीमा से 15 किलोमीटर की हवाई दूरी के भीतर प्रमुख सीमा अवसंरचना परियोजनाओं के लिए 'सामान्य अनुमोदन' प्रदान किया है। इससे प्रायः अनुमोदन की धीमी गति के कारण प्रभावित होने वाले अवसंरचनात्मक विकास को गति प्रदान की जा सकेगी।
भारत-म्यांमार	• **मुक्त आवागमन व्यवस्था (FMR)**: उग्रवादियों द्वारा म्यांमार से आवागमन तथा प्रशिक्षण एवं हथियार प्राप्त करने के लिए के लिए FMR का दुरुपयोग किया जाता है। • स्वर्ण त्रिभुज (golden triangle) के निकट होने के कारण **मादक पदार्थों की तस्करी**। • **कमजोर सीमाएं** क्योंकि कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सीमा के साथ बाड़ या सीमा चौकियों एवं सड़कों के रूप में व्यावहारिक रूप से कोई भौतिक अवरोध नहीं है। • मोरेह और जोखावतर, जोकि सामान्य व्यापार और सीमा व्यापार के लिए दो निर्दिष्ट बिंदु हैं, में निम्नस्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाएं।	• कैबिनेट ने हाल ही में थाईलैंड और म्यांमार सहित सार्क देशों के साथ भारत की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए 13 नए इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट (ICPs) स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। ICP वैध व्यापार और वाणिज्य की सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ अवैध तत्वों को रोकने में सक्षम है।
भारत-बांग्लादेश	• **जल विवाद:** तीस्ता नदी जल का बँटवारा, बराक नदी पर भारत द्वारा बाँध का निर्माण आदि। • **अवैध प्रवासन:** 1971 के स्वतंत्रता के युद्ध, जिसके कारण बांग्लादेश राज्य का सृजन हुआ, के पश्चात् लाखों बांग्लादेशी प्रवासी (जिनमें से अधिकांश अवैध थे) भारत आये। • नदीय क्षेत्रों की उपस्थिति, स्थानीय जनसंख्या द्वारा विरोध, भूमि अधिग्रहण में विलंब जैसे मुद्दों के कारण **सीमा पर अपर्याप्त बाड़**। • जामदानी साड़ी, चावल, नमक जैसी वस्तुओं के साथ-साथ **मवेशियों की तस्करी**।	• सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमावर्ती राज्यों के साथ **सीमा संरक्षण ग्रिड (BPG)** की स्थापना की घोषणा की है। इसमें भौतिक अवरोध, गैर-भौतिक अवरोध, निगरानी प्रणाली, खुफिया एजेंसियां, राज्य पुलिस, BSF शामिल हैं। यह समग्र सीमा सुरक्षा में राज्यों के लिए अधिक सहायता सुनिश्चित करने हेतु राज्यों को भी भूमिका प्रदान की जाएगी। • पुतखली और दौलतपुर पर BGB (सीमा गार्ड बांग्लादेश) सीमा चौकी तथा गुनरमठ और कल्याणी पर BSF सीमा चौकी के मध्य 8.3 किमी का अपराध मुक्त क्षेत्र स्थापित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य उन सीमावर्ती स्थानों का चयन करना है जो अवैध, असामाजिक एवं आपराधिक गतिविधियों से मुक्त हैं। • कड़ी निगरानी हेतु क्लोज्ड-सर्किट कैमरे, सर्च-लाइट्स, थर्मल इमेजिंग डिवाइस और ड्रोन जैसे

VISION IAS

		सीमा निगरानी उपकरणों का प्रतिष्ठापन। • BSF और BGB सीमा क्षेत्र में अपराध की रोकथाम के संबंध में स्थानीय लोगों के मध्य जागरूकता भी उत्पन्न कर रहे हैं।

भविष्य में निम्नलिखित कदमों को उठाए जाने की आवश्यकता है-

- **विवादों का समाधान-** सरकार को पड़ोसी देशों के साथ लंबित सीमा विवादों का समाधान करना चाहिए, क्योंकि बाद में ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन जाते हैं।
- **सुरक्षा बलों का अन्य कार्यों हेतु उपयोग नहीं-** सीमा-सुरक्षा बलों को उनके मुख्य कार्य से हटाकर अन्य आंतरिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिए तैनात नहीं किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए- ITBP, विशेष रूप से भारत-चीन सीमा के लिए प्रशिक्षित एक बल है, उसका उपयोग नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नहीं किया जाना चाहिए।
- **सेना की भागीदारी -** यह अनुभव किया गया है कि जम्मू-कश्मीर में LoC और भारत-तिब्बत सीमा पर LAC जैसी अस्थिर और विवादित सीमाओं का उत्तरदायित्व भारतीय सेना का होना चाहिए जबकि BSF को सभी शांत सीमाओं के लिए उत्तरदायी होना चाहिए।
- सीमाओं को प्रभावी रूप से प्रबंधित करने के लिए **एक-बल-एक-सीमा के सिद्धांत** का अनुपालन करना चाहिए, क्योंकि विभाजित उत्तरदायित्व के चलते प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना संभव नहीं है।
- **अवसंरचना का विकास-** सीमा के साथ अवसंरचना का त्वरित विकास, विशेषकर, सीमावर्ती जनसंख्या को अवैध गतिविधियों से दूर करने के लिए।
- **उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग -** निगरानी प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से उपग्रह और एरियल इमेजरी में उन्नति, LAC पर निरंतर सतर्कता बनाए रखने में सहायता कर सकती है और यह सैनिकों की प्रत्यक्ष तैनाती में कमी लाना संभव बनाती है।
- **हवाई निगरानी -** बड़ी संख्या में हेलीकॉप्टर इकाइयों की उपलब्धता हवाई निगरानी की गुणवत्ता में वृद्धि करेगी और आवश्यकता पड़ने पर सैनिकों की अति शीघ्रता से रक्षात्मक मोर्चों पर पहुँचने की क्षमता बढ़ जाएगी।

अन्य संबंधित तथ्य

मुक्त आवागमन व्यवस्था (FMR) क्या है?

- जनजातीय समुदायों, विशेष रूप से नागा, सिंहपो, कुकी, मिजो इत्यादि का दावा है कि भारत और म्यांमार के बीच की सीमा उस क्षेत्र की पारंपरिक सीमाओं से असंगत है जिसमें वे निवास करते हैं तथा अभी भी उनके अपने रिश्तेदारों के साथ सीमा पार संबंध कायम हैं।
- इस प्रकार FMR भारत और म्यांमार सीमा के साथ रहने वाली जनजातियों की असुरक्षा को कम करने की व्यवस्था है।
- यह सीमा के निकट निवास करने वाली जनजातियों को वीज़ा प्रतिबंधों के बिना सीमा पार 16 किमी की यात्रा करने की अनुमति प्रदान करती है।
- जहाँ भारत म्यांमार के नागरिकों को वीजा के बिना 72 घंटे रहने की अनुमति देता है, वहीं म्यांमार केवल 24 घंटे रहने की अनुमति देता है। इसका समाधान करने हेतु दोनों सरकारों के मध्य समानांतर चर्चाएं जारी हैं।

FMR की समीक्षा की आवश्यकता

- **FMR के नाम पर अवैध गतिविधियां:** खुफिया एजेंसियों ने चिंता व्यक्त की है कि आतंकवादियों और अपराधियों द्वारा घुसपैठ, नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी इत्यादि के लिए FMR का दुरुपयोग किया जा रहा है।
- **सीमावर्ती राज्यों के मध्य भिन्न-भिन्न प्रोटोकॉल:** सीमावर्ती राज्यों द्वारा FMR के भिन्न-भिन्न प्रोटोकॉलों का पालन किया जाता था, जिसके परिणामस्वरूप सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता था। इस प्रकार दोनों देशों के मध्य सीमा सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। हाल ही में सरकार म्यांमार के सीमावर्ती

VISION IAS

सभी चार राज्यों के लिए FMR के संबंध में सामान्य मानक परिचालन प्रक्रियाओं (SOP) का निर्माण करने पर सहमत हुई है।

- NSCN-K, NSCN-IM, ULFA, PLA, (UNLF-M) जैसे विद्रोही समूहों के लिए **सुरक्षित स्थल** उपलब्ध हैं। कुछ हद तक अपने मोबाइल बेस और कुशल सूचना नेटवर्क के कारण इन समूहों को पश्चिमी बर्मी पहाड़ियों में ऐसे सुरक्षित स्थल उपलब्ध हुए हैं।
- **क्षेत्र की जटिल प्रकृति:** खड़े पर्वतीय ढाल, दुर्गम क्षेत्र, अत्यधिक प्रवाह वाली नदियां और सघन वनाच्छादन लोगों के आवागमन और क्षेत्र के विकास को कठिन बनाता है। इस प्रकार भारत की सुरक्षा चिंता को ध्यान में रखते हुए जनजातियों के हितों के विकास को समायोजित करने हेतु FMR की समीक्षा की जानी चाहिए।
- **रोहिंग्या का पलायन:** म्यांमार के रखाईन प्रांत में अशांति के कारण रोहिंग्या मुस्लिमों का भारत में पलायन हुआ है। इस संदर्भ में मुक्त आवागमन व्यवस्था और उभरते सुरक्षा मुद्दों के कार्यान्वयन के लिए सीमावर्ती राज्यों द्वारा अपनाए गए मौजूदा नियमों और विनियमों की जांच हेतु एक सरकारी पैनल भी गठित किया गया है।

CIBMS क्या है?

- यह एक सुदृढ़ और एकीकृत प्रणाली है जो मानव संसाधनों, हथियारों और उच्च तकनीक निगरानी उपकरणों को निर्बाध रूप से एकीकृत करके, सीमा सुरक्षा की वर्तमान प्रणाली में व्याप्त अंतराल का समाधान करने में सक्षम है।
- इसमें तीन मुख्य घटक हैं:
  - अंतर्राष्ट्रीय सीमा की दिन-रात निगरानी के लिए मौजूदा उपकरणों के साथ-साथ सेंसर, डिटेक्टर व कैमरे जैसे **नए उच्च तकनीक निगरानी उपकरण**।
  - एकत्रित डेटा के प्रेषण के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल्स और उपग्रह संचार सहित एक **कुशल और समर्पित संचार नेटवर्क**; और
  - एक **कमांड और कंट्रोल सेंटर**, जिसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा का एक समग्र चित्र प्रदान करने के लिए एकत्रित डेटा प्रेषित किया जाएगा।

2.1.1. तटीय सुरक्षा

(Coastal Security)

भारत के तटीय क्षेत्रों की विशेषता यहाँ विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का पाया जाना है। इनमें क्रीक, छोटी खाड़ियाँ, बैकवॉटर (पश्चजल), रिव्यूलेट्स (छोटी नदियाँ), लैगून, दलदल, समुद्र तट, छोटे द्वीप (आबादी वाले तथा निर्जन) इत्यादि शामिल हैं। वस्तुतः भारत की लंबी तट रेखा विभिन्न सुरक्षा चिंताओं को भी प्रस्तुत करती है, जिनमें शामिल हैं:

- **तस्करी:** तटीय क्षेत्र में निर्जन स्थानों पर हथियारों और विस्फोटकों को उतारा जाना।
- **घुसपैठ:** राष्ट्र-विरोधी तत्वों की घुसपैठ या उनका देश छोड़कर भागना। इसका उदाहरण 2008 के मुंबई हमलों के दौरान देखा गया था।
- **समुद्री आतंकवाद:** आपराधिक गतिविधियों के लिए समुद्री एवं अपतटीय द्वीपों का उपयोग।
- **समुद्री डकैती एवं सशस्त्र लूटपाट :** समुद्री मार्गों के माध्यम से उपभोक्ता व मध्यवर्ती वस्तुओं की तस्करी।

तटों पर भौतिक अवरोधों की अनुपस्थिति और इन स्थानों पर महत्वपूर्ण औद्योगिक तथा रक्षा प्रतिष्ठानों की मौजूदगी अवैध सीमापारीय गतिविधियों के लिए तटों की सुभेद्यता को बढ़ाती है। भारत की विभिन्न तटवर्ती सीमाएं राजनीतिक रूप से अस्थिर, आर्थिक मंदी से जूझ रहे और अमित्रवत देशों यथा श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और खाड़ी देशों के करीब हैं जिससे यह और भी सुभेद्य हो जाती हैं।

तटीय सुरक्षा हेतु किए गए संस्थागत उपाय

सर्वोच्च स्तर पर समुद्री और तटीय सुरक्षा संबंधी सभी मामलों का समन्वय **समुद्री और तटीय सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु राष्ट्रीय समिति (NCSMCS)** करती है। साथ ही यह समय-समय पर सभी हितधारकों के साथ मिलकर समुद्री मार्ग से होने वाले खतरों के विरुद्ध तटीय सुरक्षा की समीक्षा करती है।

VISION IAS

- वर्तमान में देश के तटीय राज्यों के लिए त्रि-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था स्थापित की गई है।
  - 12 नॉटिकल मील प्रादेशिक जलीय क्षेत्र सहित 200 नॉटिकल मील तक का समस्त समुद्री क्षेत्र भारतीय तट रक्षक बल और भारतीय नौसेना के अधिकार क्षेत्र में है।
  - संबंधित तटीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस बलों के अधिकार क्षेत्र में तट से 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र शामिल है।

तटीय सुरक्षा योजना (CSS) की विशेषताएं

- 2005-2011 की अवधि के दौरान **CSS चरण-I** को नौ तटीय राज्यों और चार तटीय संघ शासित प्रदेशों में लागू किया गया था तथा **CSS चरण-II** की अवधि 2010 से 2020 तक है।
- तटीय पुलिस स्टेशनों (CPS), तटीय चेक पोस्ट्स, समुद्री संचालन(ऑपरेशन) केंद्रों और नौकाओं / इंटरसेप्टर नौकाओं के रखरखाव एवं ठहरने के लिए रणनीतिक स्थानों पर जेटीज़ (**Jetties**) का निर्माण कर **पेट्रोलिंग की व्यवस्था**।
- आधुनिक तकनीकी उपायों जैसे **स्वचालित पहचान प्रणाली (AIS)** रिसीवर और ओवरलैपिंग तटीय रडारों की एक श्रृंखला के माध्यम से **निगरानी**।
- भारतीय नौसेना द्वारा मुंबई, विशाखापत्तनम, कोच्चि और पोर्ट ब्लेयर में तटीय सुरक्षा हेतु निरीक्षण और नियंत्रण केंद्र के रूप में **संयुक्त संचालन केंद्रों** की स्थापना।
- तकनीकी कार्यबल और प्रशिक्षण सुविधाओं की कमी में सुधार हेतु **समुद्री पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों (MPTIs)** की स्थापना।
- **मर्चेंट शिपिंग एक्ट, 1958** के तहत जलयानों / नौकाओं का पंजीकरण।
- राज्यों में समुद्री क्षेत्र के विकास की सुविधा हेतु **राज्य समुद्री बोर्डों (SMBs)** का गठन और गैर प्रमुख बंदरगाहों को प्रोत्साहन देना।
- तटीय सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करने और विभिन्न हितधारकों के मध्य बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने हेतु सचिव (सीमा प्रबंधन) के स्तर पर एक संचालन समिति।

योजना से संबंधित चिंताएं

- **लक्ष्य की अनुपस्थिति**: परियोजनाओं में से अधिकांश कार्यक्रम क्रियान्वित नहीं किये गए हैं और आवंटित राशि के आधे से भी कम का उपयोग हुआ है।
- **प्रक्रियात्मक विलंब:** निगरानी पोत और अन्य महत्वपूर्ण घटकों की खरीद में विलंब के कारण सामरिक स्थानों पर अपर्याप्त निगरानी। 10 योजनागत MOCs में से केवल एक ही कार्यान्वित किया जा सका है। CAG की एक रिपोर्ट में पाया गया कि 10 योजनाबद्ध जेटीज़ के लिए अभी तक अंतिम रूप से स्थान तय नहीं हुए हैं और 20 तटीय पुलिस स्टेशनों के उन्नयन पर काम अभी शुरू नहीं हुआ है।
- तटीय योजना चरण II के सभी योजना घटक बगैर किसी वित्तीय बाधा के वास्तविक योजना लक्ष्यों से काफी पीछे थे।

तटीय सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **भारतीय नौसेना की भारतीय समुद्री सुरक्षा रणनीति (IMSS) 2015:** इसके अंतर्गत विभिन्न समुद्री एजेंसियों के मध्य वृहद समन्वय की परिकल्पना; हिंद महासागर के प्रमुख समुद्री मार्गों (SLOCs) को सुरक्षित करना; समुद्री आतंकवाद, समुद्री डकैती इत्यादि के नवीन आकलन हेतु समुद्री सुरक्षा ऑपरेशन; बहुपक्षीय समुद्री संबद्धता, स्थानीय क्षमता निर्माण, तकनीकी सहयोग इत्यादि सम्मिलित हैं।
- तटीय राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में समुद्री पुलिस बल की सुरक्षात्मक अवसंरचना के सुदृढीकरण हेतु **तटीय सुरक्षा योजना (CSS)**।
- **केंद्रीय समुद्री पुलिस बल (CMPF):** हाल ही में केंद्रीय गृहमंत्री ने समुद्रों, तटों, बंदरगाहों और महत्वपूर्ण संस्थानों की रक्षा और तटवर्ती क्षेत्रों में हुए अपराधों की जांच के लिए केंद्रीय समुद्री पुलिस बल स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

VISION IAS

- **तटीय निगरानी नेटवर्क परियोजना-** सम्पूर्ण तटरेखा के निकट अंतराल-रहित इलेक्ट्रॉनिक निगरानी उपलब्ध कराना और अज्ञात जहाजों की घुसपैठ पर प्रतिबन्ध लगाना। सम्पूर्ण पश्चिमी तट निरंतर निगरानी में है। इसके साथ कुछ स्थानों पर छोटे अंतरालों (अंतर) को भरने के लिए और अधिक तटीय रडार स्थापित किए जा रहे हैं।
- **निगरानी और खुफिया कार्यों में मछुआरों को शामिल करना:** मछुआरों के समूहों को, तटीय सुरक्षा के 'कान और आंख' के रूप में जाना जाता है। इनमें ऐसे प्रशिक्षित स्वयंसेवक (volunteers) शामिल हैं जो समुद्रों और तटीय सीमा क्षेत्रों की निगरानी करते हैं।
- **समुद्री क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाना : नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क (NC3I)** के माध्यम से अति महत्वपूर्ण तटीय सुरक्षा नेटवर्क विकसित करना। यह हमारे तट के नजदीक से गुजरने वाले सभी जहाजों, ड्रोनों, मत्स्यन नौकाओं तथा अन्य सभी जहाजों के सम्बन्ध में आंकड़ों का संग्रहण एवं उनका प्रसार करता है।
- **क्षमता निर्माण -** नौसेना और तट रक्षक बलों ने सभी तटीय राज्यों की समुद्री पुलिस को आवधिक समुद्री प्रशिक्षण भी प्रदान किया है।
- **हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी** (Indian Ocean Naval Symposium) क्षेत्रीय रूप से प्रासंगिक समुद्री मुद्दों पर परिचर्चा हेतु एक खुला और समावेशी मंच प्रदान करता है।
- भारतीय नौसेना को अपने अड्डों और सुभेद्य क्षेत्रों तथा अतिसंवेदनशील स्थानों की सुरक्षा हेतु **सागर प्रहरी बल** नामक एक विशेष बल के गठन की भी आवश्यकता है।

तटीय सुरक्षा से सम्बंधित मुद्दे

- तटीय पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग में, विशेष रूप से रात में, कमी आना (90 प्रतिशत से अधिक) और मत्स्यन जलयानों की **भौतिक रूप से जांच-पड़ताल में गिरावट**।
- **भूमि अधिग्रहण में विलंब और समर्थनकारी अवसंरचना,** जैसे बैरकों और स्टाफ क्वार्टर, का निर्माण कई स्थानों पर अभी भी नहीं हुआ है। कार्यबल और इंटरसेप्टर नौकाओं की कमी के कारण समुद्री पुलिस स्टेशन प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं।
- **समुद्री पुलिस का अपर्याप्त प्रशिक्षण:** हालांकि समुद्री पुलिस को समग्र तटीय सुरक्षा का कार्य सौंपा गया है लेकिन उन्हें आतंकवाद का सामना करने हेतु प्रशिक्षित नहीं किया गया है।
- समुद्री और तटीय सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु राष्ट्रीय समिति (NCSMCS) के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद समन्वय अस्थायी ही बना हुआ है। दुर्भाग्यवश, राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण (NMA) के निर्माण के प्रस्ताव वाला तटीय सुरक्षा बिल 2013 से अभी तक लालफीताशाही के कारण पारित नहीं हो सका है।
- **एक समन्वयकारी तंत्र की कमी-** तटीय सुरक्षा के कार्य में नौसेना, तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस और अन्य प्राधिकरणों जैसी कई एजेंसियाँ संलग्न हैं। अतः सूचनाओं का साझाकरण और समन्वय एक बड़ी समस्या है।
- बंदरगाहों की सुरक्षा तटीय सुरक्षा व्यवस्था में सबसे उपेक्षित क्षेत्रों में से एक है। हाल ही में IB के एक ऑडिट में यह पाया गया कि भारत में 227 छोटे बंदरगाहों में से कुछ में ही सुरक्षा की उचित व्यवस्था है।
- मौजूदा नौसैनिक परिसंपत्तियों के लिए राज्य स्तर पर निम्नस्तरीय निगरानी तंत्र तथा रख-रखाव और परिचालन तंत्र का अभाव।
- **CMPF के साथ समस्या:** राज्य नियंत्रित समुद्री पुलिस को एक केंद्रीय बल के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना संरचनात्मक बाधाओं को अनदेखा करता है; जैसे कि स्थानीय खूफिया जानकारियों का अभाव, क्षेत्रीय भाषा कौशल की कमी और दोनों पक्षों के मध्य अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद।

आगे की राह

- **तटीय पुलिस की सशक्त भागीदारी-** बिना किसी विधिक अधिकार वाले एक तटीय सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के बजाय राज्य पुलिस एजेंसियों को एकीकृत किया जा सकता है। इससे आम लोगों के माध्यम से प्राप्त होने वाली आसूचना के प्रवाह को सुविधाजनक बनाया जा सकता है तथा अपराधियों की पहचान करने और उन्हें बंदी बनाने में मछुआरों एवं स्थानीय समुदायों से सहायता प्राप्त करने की इन पुलिस बलों की विशिष्ट पहुंच का इस्तेमाल किया जा सकता है।
- **एक विधायी ढांचे की आवश्यकता है-** नौपरिवहन और बंदरगाह क्षेत्र, दोनों को सम्मिलित करते हुए भारत की समुद्री अवसंरचना की सुरक्षा हेतु नियम एवं प्रक्रियाओं के संदर्भ में व्यापक कानूनों को लागू किया जाना चाहिए।

VISION IAS

- **तटरक्षक बल (CG) को सुदृढ़ बनाना-** तटरक्षक बल अधिनियम की सभी अस्पष्टताओं को दूर कर इसे मजबूत किया जाना चाहिए। तटीय सुरक्षा के संदर्भ में एक **स्पष्ट कमांड श्रृंखला** और परिभाषित मानक संचालन प्रक्रियाएं होनी चाहिए।
- **राष्ट्रीय वाणिज्यिक समुद्री सुरक्षा नीति प्रपत्र -** सरकार को वाणिज्यिक समुद्री सुरक्षा हेतु अपनी रणनीतिक दृष्टि को स्पष्ट करने के लिए राष्ट्रीय वाणिज्यिक समुद्री सुरक्षा नीति प्रपत्र जारी करना चाहिए।

2.2. भारत में क्षेत्रीय प्रवास तथा सुरक्षा संबंधी मुद्दे

(Regional Migration in India and Security Issues)

प्रवास में अस्थायी या स्थायी निवास के उद्देश्यों हेतु राज्य सीमाओं से जनसंख्या के संचरण की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है। प्रवास प्रक्रियाओं के संचालन हेतु आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक-सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक कारक सम्मिलित रूप से उत्तरदायी होते हैं। प्रवासियों एवं शरणार्थियों के सम्बन्ध में मौजूद अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा मानदंड उनकी सभी समस्याओं से सम्बंधित नहीं हैं। उदाहरणार्थ बड़ी विकास परियोजनाओं तथा जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले विस्थापन को मौजूदा कानूनों के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है।

असम में प्रवास

अवैध प्रवास के उत्तरदायी कारक :

- जनसंख्या में अनियंत्रित वृद्धि के कारण बांग्लादेश में भूमि पर दबाव तथा बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही वहां भयंकर बाढ़ तथा चक्रवात के परिणामस्वरूप जनसंख्या के बड़े हिस्से को विस्थापित होना पड़ा।
- बांग्लादेश से भारत में वृहत पैमाने पर प्रवास का प्रमुख कारण दोनों देशों के मध्य 4,096 किलोमीटर की छिद्रिल सीमा है जिसकी बाड़बंदी का कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है।
- भारत में बेहतर आर्थिक अवसरों की उपलब्धता।

पृष्ठभूमि

- असम में चाय उद्योग का विकास अंग्रेजों द्वारा किया गया था। चाय बागानों में मज़दूरी के लिए उन्होंने बिहार तथा अन्य प्रांतों से श्रमिकों का आयात किया।
- असम के लोग मुख्य रूप से ऊपरी असम में निवास करते थे तथा प्रति वर्ष केवल एक ही फसल उपजाते थे। वे न तो चाय बागानों में श्रमिकों के रूप में कार्य करने और न ही कृषि उपज में वृद्धि अथवा विस्तार करने के इच्छुक थे।
- इसलिए, अंग्रेजों ने अकृषित भूमि पर कृषि करने हेतु वर्तमान बांग्लादेश से बंगाली मुस्लिम किसानों को निचले असम में आने के लिए प्रोत्साहित किया। इससे प्रवास की पद्धति निर्धारित हुई जो स्थानीय परिस्थितियों में परिवर्तन के बावजूद वर्तमान में भी जारी है।
- 1979 में असम से अवैध बांग्लादेशियों को बाहर निकालने के लिए असम के लोगों द्वारा सामाजिक-राजनीतिक आंदोलन प्रारंभ किया गया। यह आन्दोलन 1985 में असम समझौते के साथ समाप्त हुआ।

सुरक्षा संबंधी चुनौतियाँ

- **असम आंदोलन:** अवैध प्रवास के मुद्दे से निपटने में सरकार की विफलता के कारण असम लोगों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। असम समझौता इस आंदोलन का ही परिणाम है।
- **अवैध मतदाता:** अधिकांश बांग्लादेशी आप्रवासियों ने मतदाता सूची में अवैध रूप से अपना नाम दर्ज कराते हुए राज्य की नागरिकता का दावा कर प्रस्तुत किया है। असम में आप्रवासी जनसंख्या राजनीतिक दलों के लिए वोट बैंक के रूप में कार्य करती है। हाल ही में NRC (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) पहल को प्रारंभ किया गया है। जिसका उद्देश्य राज्य में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान करना है।
- **आतंकवाद का मुद्दा:** पाकिस्तान की ISI बांग्लादेश में सक्रिय है और असम में आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन प्रदान करती है। यह भी आरोप लगाया जाता है कि आतंकवादी अवैध प्रवासियों के रूप में आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करने हेतु असम में प्रवेश करते हैं।

भारत के लिए विकल्प

- **कूटनीतिक प्रयास:** भारत द्वारा बांग्लादेश का सहयोग प्राप्त करने के लिए कूटनीतिक राजनयिक प्रयास करने आवश्यक है ,क्योंकि अवैध प्रवास की समस्या का समाधान बिना गंतव्य देश के सहयोग के किया जाना संभव नहीं है। बांग्लादेश द्वारा अपने नागरिकों के डिजिटल डेटाबेस के साझाकरण द्वारा यह प्रक्रिया और भी सुगम हो जाएगी।

VISION IAS

- **प्रतिरोधी कूटनीति:** सुरक्षा बलों की कार्रवाई द्वारा अवैध प्रवासियों को स्पष्ट रूप से यह व्यक्त करना चाहिए कि यदि वे सीमा पार करने का प्रयत्न करेंगे, तो उनके लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है।
- **बेहतर सीमा प्रबंधन:** बाड़बंदी, सीमा सड़कों का निर्माण तथा सीमा का उचित प्रबंधन करने से स्थिति में सुधार होगा।
- **विशिष्ट पहचान संख्या (UID) योजना:** डाटा को संकलित कर नए अवैध प्रवासियों के सुविधाजनक स्तर को कम करने में सहायता मिलेगी।
- **मतदान अधिकारों से वंचित करना:** पहले से मौजूद बांग्लादेशियों को केवल रोजगार की अनुमति दी जानी चाहिए न कि मतदान की। इससे इनकी एक राजनीतिक शक्ति के रूप में सरकारी निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता कम हो जाएगी।

रोहिंग्या शरणार्थी

- यह म्यांमार के रखाइन प्रान्त में निवास करने वाला मुस्लिम अल्पसंख्यक समूह है। बौद्ध बहुसंख्यक देश म्यांमार ने इन लोगों को नागरिकता से वंचित कर राज्यविहीन बना दिया है।
- लगभग 40000 रोहिंग्या प्रवासी अवैध रूप से भारत में निवास कर रहे हैं और अभी तक किसी को भी वापस नहीं भेजा गया है।
- सरकार के एक हलफनामे में कहा गया है कि एजेंटों तथा दलालों के माध्यम से म्यांमार से अवैध आप्रवासियों का एक संगठित अंतर्वाह हुआ। इस संगठित अंतर्वाह के माध्यम से अवैध आप्रवासियों/रोहिंग्याओं को बेनापोल-हरिदासपुर (पश्चिम बंगाल), कोलकाता, हिली (पश्चिम बंगाल), सोनामुरा (त्रिपुरा) और गुवाहाटी के माध्यम से भारत में प्रवेश कराया गया था।
- उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपने एक हलफनामे में केंद्र ने कहा कि रोहिंग्या मुस्लिम भारत में नहीं रह सकते क्योंकि वे राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु एक खतरा हैं।
    - सरकार के अनुसार कुछ रोहिंग्या आतंकवादी समूहों के साथ सम्बद्ध हैं और इसलिए उन्हें भारत में निवास करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
    - सुरक्षा एजेंसियों द्वारा दी गयी सूचनाएं हवाला चैनलों के माध्यम से फंड एकत्र करने, मानव तस्करी तथा जाली भारतीय पहचान दस्तावेजों की खरीद में रोहिंग्याओं की संलिप्तता की ओर संकेत करती हैं।
    - इंटेलीजेंस रिपोर्ट से यह भी संकेत मिलता है कि ISIऔर ISIS सांप्रदायिक हिंसा द्वारा पूर्वोत्तर को अस्थिर करने के लिए रोहिंग्या समुदाय का उपयोग करना चाहते हैं। ये संगठन देश के बौद्ध नागरिकों पर हिंसा के लिए भी कट्टरपंथी रोहिंग्या समुदाय का प्रयोग करना चाहते हैं।

विश्लेषण

- प्रवास तथा सुरक्षा का संबंध परस्पर जटिल एवं विरोधाभासी रहा है। व्यक्तियों और समुदायों ने प्रवास के खतरों को भिन्न-भिन्न प्रकार से समझकर उसी के अनुसार कार्यवाही की है। स्थानीय तनाव के राजनीतिक हिंसा में परिवर्तित होने पर भारतीय राज्य के लिए प्रवास एक प्रमुख मुद्दा बन जाता है और राज्य सुरक्षा के समक्ष प्रत्यक्षतः चुनौती उत्पन्न करता है।
- यद्यपि इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि प्रवास राष्ट्रीय चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तथापि प्रवास के मुद्दे को असम जैसे सीमावर्ती राज्यों में उच्च प्राथमिकता दी जाती है और राज्य एवं स्थानीय राजनीति में समर्थन में वृद्धि करने हेतु यह एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करता है।
- विभिन्न दृष्टिकोणों तथा प्राथमिकताओं के कारण प्रवास संबंधी नीतियां अधिक अस्पष्ट हो गई हैं। भारत में राष्ट्रीय नीतियों की अनुपस्थिति में राज्य सरकारें प्रवास एवं सीमा नियंत्रण पर अपने स्वयं के एजेंडे का अनुसरण करती हैं। क्षेत्रीय पार्टियाँ सुरक्षा एजेंडा स्थापित कर सकती हैं या नहीं, यह काफी हद तक राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी राजनीतिक शक्ति पर निर्भर करता है।
- राज्य एवं गैर-राज्य अभिकर्ता प्रवास को राष्ट्रीय पहचान तथा सामाजिक सुरक्षा के लिए एक खतरा बताकर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे को सुरक्षा संबंधी समस्या के रूप में देखने लगते हैं। ऐसा करके वे प्रवासियों तथा नागरिकों को मौलिक अधिकारों से वंचित कर देते हैं और पहले से ही सुभेद्य जनसंख्या के समक्ष जेनोफोबिया (विदेशियों के प्रति भय की भावना) और हिंसा की समस्या भी उत्पन्न कर सकते हैं।

VISION IAS

आगे की राह

- एक अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दे के रूप में प्रवास बहुपक्षीय दृष्टिकोणों एवं क्षेत्रीय समाधानों की मांग करता है। इसके साथ ही अनियमित प्रवास और मानव तस्करी जैसी समस्याओं के समाधान हेतु भी सामूहिक प्रयास किए जाने चाहिए।
- प्रवास के प्रवाह को विनियमित करने, आंतरिक विस्थापन और शरणार्थी संकट का समाधान करने तथा सीमा सुरक्षा में वृद्धि करने के लिए क्षेत्रीय फ्रेमवर्क को विकसित करने में भारत एक अग्रणी भूमिका निभा सकता है।
- भारत को वर्तमान मानवतावादी संकट के समाधान के लिए बांग्लादेश और म्यांमार दोनों देशों के साथ समन्वित रूप से कार्यवाही करनी चाहिए। इसके साथ ही भारत-बांग्लादेश और भारत-म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सक्रिय निगरानी की व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

नोट- भारत की शरणार्थी नीति की विस्तृत जानकारी के लिए अंतरराष्ट्रीय संबंध के Mains-365 का संदर्भ लें।

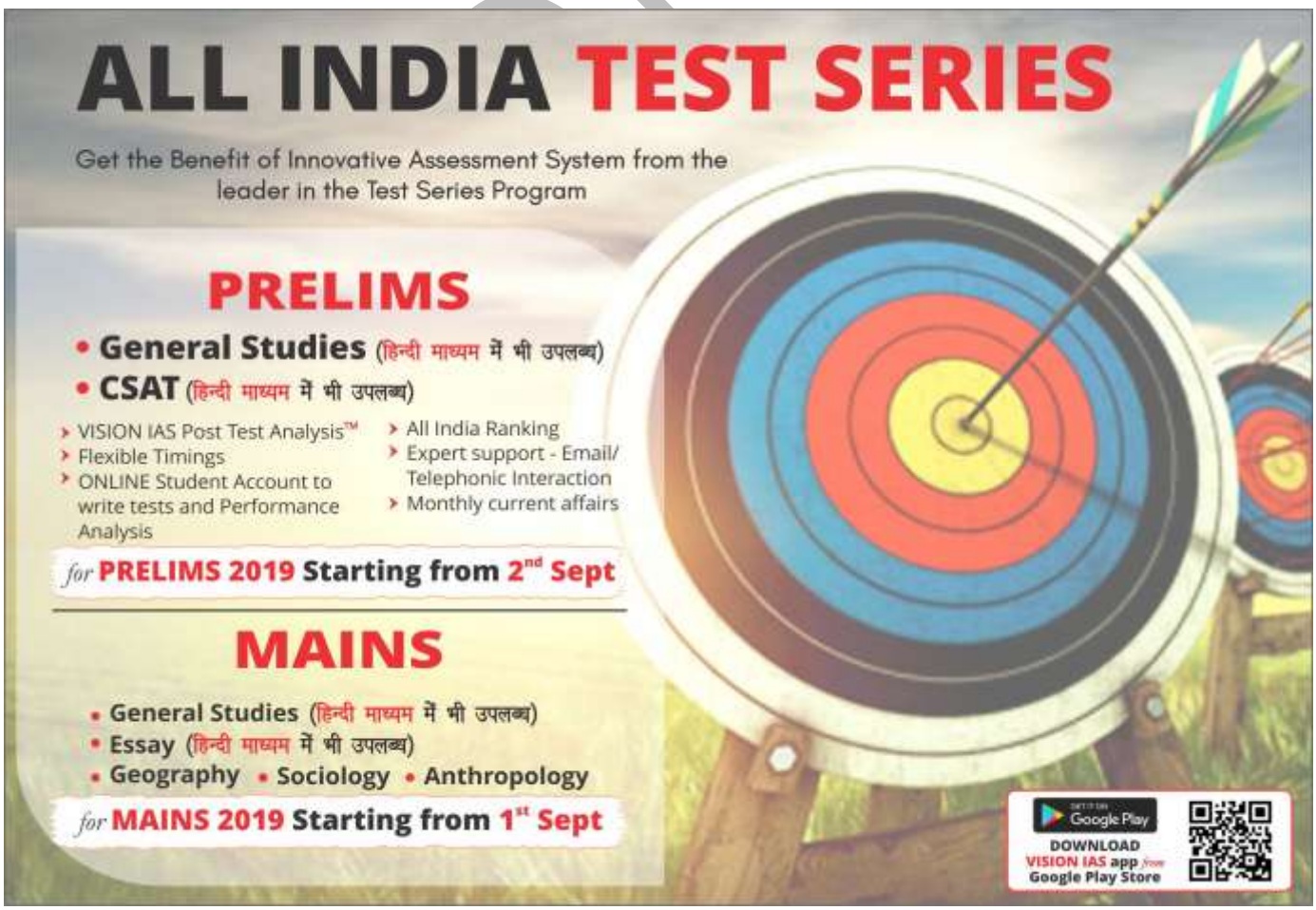

3. चरमपंथ ,बाह्य राज्यों एवं गैर राज्य शक्तियों की भूमिका

(Extremism, Role Of External State And Non-State Actors)

3.1 वामपंथी चरमपंथ

(Left Wing Extremism)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा जारी एक रिपोर्ट में वामपंथी चरमपंथ से निपटने में सफलता का दावा किया गया है।

भारत में वामपंथी चरमपंथ (LWE)

- भारत में नक्सली विद्रोह का उद्भव 1967 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) द्वारा पश्चिम बंगाल के नक्सलबारी क्षेत्र में हुआ था।
- यह संघर्ष देश के पूर्वी हिस्से में, विशेष तौर पर **लाल गलियारे (रेड कॉरिडोर)** के रूप में प्रसिद्ध विवादित क्षेत्र में केंद्रित है।
- यह सरकार की कार्यप्रणाली में कठिन परिस्थितियां उत्पन्न करता है और जबरन नियंत्रण के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के साधन के रूप में विकास में सक्रिय रूप से व्यवधान उत्पन्न करता है। यह कानून का पालन करने वाले नागरिकों के मध्य भय उत्पन्न करता है।
- ऐसा प्रतीत होता है कि माओवादी विद्रोही और सुरक्षा बल दोनों ही हिंसा के एक चक्र में संलग्न हैं, और इस चक्र के मध्य साधारण नागरिक फंसे हुए है, जिन्हें मृत्यु, आजीविका संबंधी क्षति हो रही है तथा डर और धमकी भरे माहौल में जीवन यापन करना पड़ रहा है।
- भारत द्वारा जिन मुख्य आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का सामना किया जा रहा है, उनकी सूची में वामपंथी चरमपंथ (LWE) या नक्सलवाद की समस्या शीर्ष स्थान पर है। परन्तु विगत कुछ वर्षों में LWE परिदृश्य में काफी सुधार हुआ है।
    - LWE की हिंसक घटनाओं की कुल संख्या 2016 के 1048 से घटकर 2017 में 908 हो गई।
    - संबंधित घटनाओं में होने वाली मृत्युओं में 2013 की तुलना में 2017 में 34% की गिरावट आई है, जो सरकार के प्रयासों की सफलता को इंगित करती है।
    - 2013 की तुलना में, 2016 में LWE के कार्यकर्ताओं/नेतृत्व द्वारा आत्मसमर्पण में 411 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
    - सुरक्षा बल कर्मियों के दुर्घटना के शिकार होने के मामलों में 43% की कमी आई है।

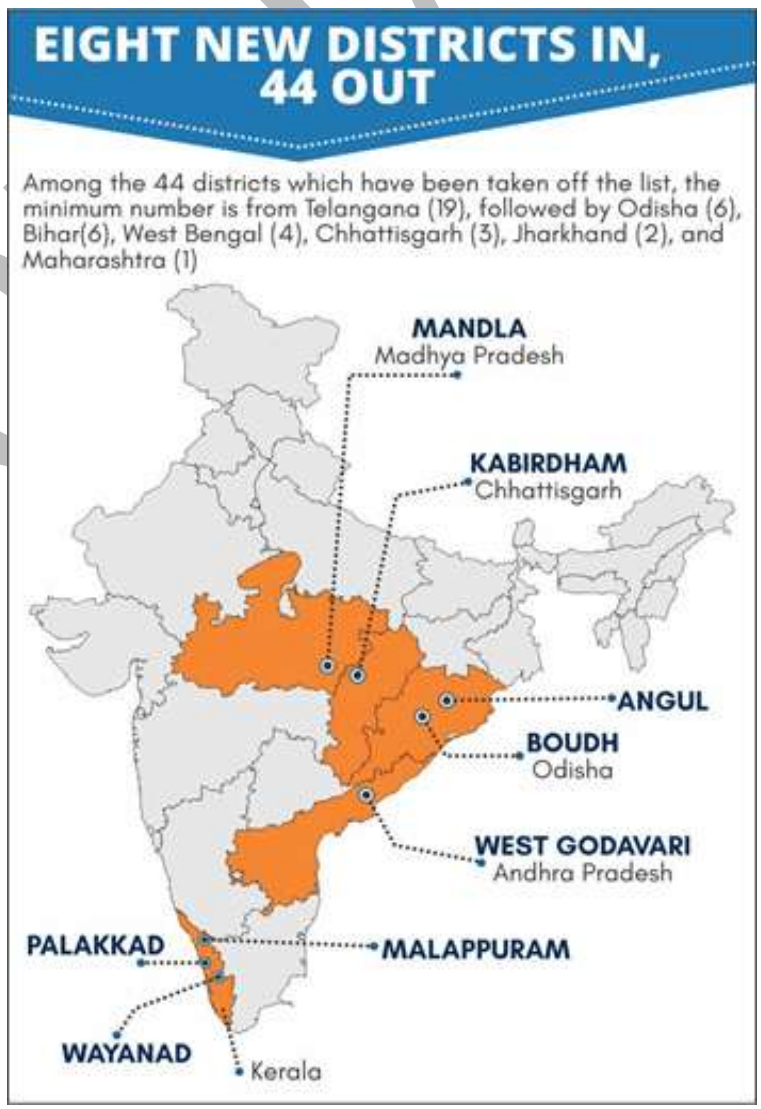

VISION IAS

- हाल ही में, गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा रेड कॉरीडोर को पुनः अंकित किया गया है, जिसके अंतर्गत नक्सल से प्रभावित जिलों की संख्या 106 से घट कर 90 तक आ गई है, ये जिले 11 राज्यों में विस्तृत हैं और सर्वाधिक प्रभावित जिलों की संख्या 36 से 30 हो गई है।
- छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और बिहार को LWE से गंभीर रूप से प्रभावित घोषित किया गया है।
- जिलों को हटाने और नए जिलों को शामिल करने का **प्रमुख मापदंड**, उनमें होने वाली **"हिंसा की घटनाएं"** थीं।

- **हिंसा में आई गिरावट के कारण**
  - LWE प्रभावित राज्यों में सुरक्षा बलों की वृहद उपस्थिति।
  - गिरफ्तारी, आत्मसमर्पण और नक्सलवादी गतिविधियों को त्याग के कारण कार्यकर्ताओं/नेतृत्व की संख्या में कमी।
  - सरकार द्वारा चलाए जा रहे पुनर्वास कार्यक्रम।
  - प्रभावित क्षेत्रों में विकास योजनाओं की बेहतर निगरानी।
  - निरंतर संचालित विद्रोही गतिविधियों के कारण माओवादी कार्यकर्ताओं में थकान।
  - धन, हथियार और गोला बारूद की कमी।
- हालांकि, LWE द्वारा नए राज्यों को लक्षित किया जा रहा है तथा इसके द्वारा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के ट्राई-जंक्शन को अपना बेस बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

वामपंथी चरमपंथ के प्रसार के कारण

भूमि संबंधित कारण	शासन संबंधित कारण
• भूमि हदबंदी कानून (land ceiling laws) का अपवंचन • भू -स्वामित्व व्यवस्था की विशिष्ट प्रणाली का विद्यमान होना (हदबंदी कानून के अंतर्गत विशेष रियायत)। • समाज के प्रभावशाली वर्गों द्वारा सरकार और सामुदायिक भूमि (यहां तक कि जल निकायों) का अतिक्रमण और इन पर कब्जा करना। • भूमिहीनों (कृषकों) द्वारा खेती की गई सार्वजनिक भूमि पर अधिकार (शीर्षक) का अभाव। • पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में गैर-आदिवासियों को जनजातीय भूमि के हस्तांतरण पर रोक लगाने वाले कानूनों का अप्रभावी क्रियान्वयन। • पारंपरिक भूमि अधिकारों को वैधानिक न बनाया जाना।	• भ्रष्टाचार तथा प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार और शिक्षा सहित आधारभूत सार्वजनिक सेवाओं के संबंध में निम्नस्तरीय एवं अप्रभावी प्रावधान। • अयोग्य,अप्रशिक्षित और अत्यल्प प्रेरित सार्वजनिक कर्मचारी जो प्रायः तैनाती के स्थान से अनुपस्थित रहते है। • पुलिस द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग और कानून के मानदंडों का उल्लंघन। • विकृत चुनावी राजनीति और स्थानीय सरकारी संस्थानों का असंतोषजनक रूप से कार्य करना। • वन अधिकार अधिनियम को वर्ष 2006 में लागू किया गया था। परन्तु वन नौकरशाही का इसके प्रति निरंतर विरोध बना हुआ है।

विस्थापन और बलात् निष्कासन	आजीविका संबंधित कारण
• पारंपरिक रूप से जनजातियों द्वारा उपयोग की जाने वाली भूमि से निष्कासित किया जाना। • पुनर्वास की उचित व्यवस्था के बिना खनन, सिंचाई और बिजली परियोजना के कारण विस्थापन। • उचित मुआवजे या पुनर्वास के बिना 'सार्वजनिक उद्देश्यों' के लिए वृहद् स्तर पर भूमि अधिग्रहण।	• खाद्य सुरक्षा का अभाव - सार्वजनिक वितरण प्रणाली (जो सामान्यतः गैर-कार्यात्मक होती है) में भ्रष्टाचार। • पारंपरिक व्यवसायों में व्यवधान और वैकल्पिक कार्य अवसरों की कमी। • सार्वजनिक संपत्ति संसाधनों में पारंपरिक अधिकारों से वंचित करना।

VISION IAS

LWE प्रभावित राज्यों के लिए आरम्भ की गई महत्वपूर्ण पहलें:

'पुलिस' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' राज्य सूची का विषय है, वामपंथी चरमपंथ की चुनौती का सामना करने की **प्राथमिक जवाबदेही राज्य सरकार** की है। हालांकि, गृह मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालय विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों के सुरक्षा प्रयास के लिए अनुपूरक का कार्य कर रहे हैं, जो निम्न है :

- वर्ष 2015 से गृह मंत्रालय द्वारा लागू **राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना** वामपंथी चरमपंथ से निपटने के लिए सुरक्षा, विकास, स्थानीय समुदायों के अधिकारों और हकदारी को सुनिश्चित करने के क्षेत्रों में एक बहुपक्षीय रणनीति है।

राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना, 2015

- **सुरक्षा संबंधी उपायों में** CAPF Bns, हेलीकॉप्टर, UAVs, सुदृढ़ पुलिस स्टेशनों का निर्माण, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए धन, हथियार और उपकरण, प्रशिक्षण सहायता, खुफिया जानकारी साझा करके LWE प्रभावित राज्यों को सहायता आदि शामिल है।
- **विकास संबंधी उपाय:** केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के अतिरिक्त LWE प्रभावित क्षेत्रों (विशेष रूप से 35 सर्वाधिक प्रभावित जिलों में) के विकास हेतु कई पहल की गई हैं।
  इनमें सड़कों का विकास, मोबाइल टावरों की स्थापना, कौशल विकास, बैंकों व डाकघर के नेटवर्क में सुधार तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं से संबंधित पहलें सम्मिलित हैं।
- **अधिकार और अधिकारिता संबंधी उपाय**

- **पुलिस आधुनिकीकरण योजना 2017-20 के अंतर्गत प्रमुख उप -योजनाएँ**
  - **सुरक्षा संबंधित व्यय (SRE) योजना (2017 में अनुमोदित):**
    - इसका उद्देश्य प्रभावशाली ढंग से LWE समस्या का सामना करने के लिए LWE प्रभावित राज्यों की क्षमता का सुदृढीकरण करना है।
    - इस योजना के अंतर्गत, केंद्र सरकार 106 जिलो में LWE की हिंसा में मारे गए नागरिकों/सुरक्षा बलों के परिवारों को अनुग्रह भुगतान, सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण एवं परिचालन आवश्यकताओं की आपूर्ति, आत्मसमर्पित LWE कैडर को मुआवजा, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था, ग्रामीण सुरक्षा समितियों के लिए सुरक्षा संबंधी अवसंरचना और प्रचार सामग्री आदि के सन्दर्भ में किए गए सुरक्षा संबंधी व्यय का पुनर्भुगतान करेगी।
  - **35 सर्वाधिक LWE प्रभावित जिलों** के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (SCA), इसका लक्ष्य सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और सेवाओं में उभरती प्रकृति के महत्वपूर्ण अंतराल को भरना है।
  - LWE प्रभावित राज्यों में 250 सुदृढ़ पुलिस स्टेशनों के निर्माण सहित विशेष **आधारभूत संरचना योजना (SIS)**। इस योजना का उद्देश्य राज्यों के सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करके राज्यों का क्षमता निर्माण करना है।
  - **LWE प्रबंधन हेतु केंद्रीय एजेंसियों की सहायता योजना:** LWE प्रभावित उन राज्यों में जिनकी क्षमता सीमित है; CAPFs, कोबरा (कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन), भारतीय वायु सेना जैसी केन्द्रीय एजेंसियों को LWE के विरुद्ध ऑपरेशन के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

समाधान (SAMADHAN)

यह LWE से निपटने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक नीतियों की रूपरेखा तैयार करने के लिए गृह मंत्रालय की एक रणनीति है। इनमें समाविष्ट हैं:

S - Smart leadership (कुशल नेतृत्व)

A - Agressive strategy (आक्रामक रणनीति)

M- Motivation and training (प्रोत्साहन और प्रशिक्षण)

A - Actionable Intelligence (कार्यवाही योग्य आसूचना)

D - डैश बोर्ड आधारित 'प्रमुख प्रदर्शन संकेतक' (Key Perfor-mance Indicators : KPI) और 'प्रमुख परिणाम क्षेत्र'

VISION IAS

(Key Result Areas : KRA)

H - Harnessing technology (प्रौद्योगिकी का दोहन)

A - Action plan for each theatre (प्रत्येक मोर्चे के लिए कार्ययोजना)

N - No access to financing (वित्तपोषण तक पहुंच रोकना)

- **सिविक एक्शन प्रोग्राम (CAP)** को 2010-11 से कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका लक्ष्य व्यक्तिगत संपर्क और स्थानीय लोगों के समक्ष सुरक्षा बलों का मानवीय पक्ष प्रस्तुत करके सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों के बीच के अंतराल को समाप्त करना है। इस योजना के अंतर्गत, LWE प्रभावित क्षेत्रों में CAPFs को धन प्रदान किया जाता है, जिससे उनके द्वारा स्थानीय लोगों के कल्याण हेतु विभिन्न नागरिक गतिविधियों का संचालन किया जा सके।
- **मीडिया प्लान स्कीम:** माओवादी के तथाकथित निर्धन-अनुकूल क्रांति के दुष्प्रचार द्वारा निर्दोष जनजातियों/स्थानीय लोगों को गुमराह करने और प्रलोभन का प्रत्युत्तर देना।

- **अवसंरचना विकास पहल**
  - **सड़क आवश्यकता योजना-1 (Road requirement plan-1: RRP-1)** इसका संचालन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2009 से LWE प्रभावित जिलों में सड़क कनेक्टिविटी में सुधार के लिए किया गया है। इसके द्वारा 8 राज्यों के 34 LWE प्रभावित जिलों में सड़क कनेक्टिविटी में सुधार किया गया है। इसमें LWE प्रभावित राज्यों में 5,422 किमी लंबी सड़क और 08 महत्वपूर्ण पुलों के निर्माण की परिकल्पना की गई है।
  - **LWE प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क योजना (RRP- 2):** इसे वर्ष 2016 में 9 LWE प्रभावित राज्यों के 44 जिलों में सड़क कनेक्टिविटी में और अधिक सुधार के लिए अनुमोदित किया गया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) इस परियोजना के लिए नोडल मंत्रालय है।
  - LWE मोबाइल टॉवर परियोजना LWE क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी में सुधार के लिए निर्मित की गई है।
  - **USOF के अंतर्गत परियोजनाओं का अनुमोदन -** केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा LWE प्रभावित राज्यों के 96 जिलों में मोबाइल सेवा प्रदान करने के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फण्ड (USOF) समर्थित योजना को मंजूरी दी गई है। इससे न केवल सुरक्षा कर्मियों अपितु यहाँ के स्थानीय निवासियों से भी संपर्क स्थापित करने में मदद मिलेगी।
  - **राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (NTRO)** द्वारा मानव रहित वायुयान (UAVs) प्रदान करके नक्सली विरोधी संचालन में सुरक्षा बलों की सहायता की जा रही है।
- **कौशल विकास से संबंधित योजनाएं**
  - पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत **'रोशनी'** एक विशेष पहल है, जिसमें 27 LWE प्रभावित जिलों से निर्धन ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण और नियोजन की परिकल्पना की गई है।
  - वर्ष 2011-12 से LWE प्रभावित 34 जिलों में कौशल विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य LWE प्रभावित जिलों में ITIs और कौशल विकास केंद्र की स्थापना करना है।
- **आत्मसमर्पण और पुनर्वास संबंधी नीतियां:** इस सन्दर्भ में राज्य सरकारों की अपनी नीतियां है, जबकि केंद्र सरकार LWE प्रभावित राज्यों के लिए सुरक्षा संबंधित व्यय (SRE) योजना के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरकता प्रदान करती है। हथियार/गोला बारूद के साथ आत्मसमर्पण करने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। आत्मसमर्पण करने वालों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और 36 महीने की अधिकतम अवधि के लिए प्रतिमाह वेतन भी प्रदान किया जाता है।
- **संस्थागत उपाय**
  - **ब्लैक पैंथर कॉम्बैट फ़ोर्स -** यह छत्तीसगढ़ के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ग्रेहाउंड यूनिट की तर्ज पर गठित किया गया एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल है।

VISION IAS

- **बस्तरिया बटालियन -** यह एक नवगठित CRPF बटालियन है जिसमें छत्तीसगढ़ के चार सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिलों से 534 से अधिक जनजातीय युवाओं के साथ-साथ महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व (महिलाओं के लिए सरकार की 33% आरक्षण की नीति के अनुरूप) प्रदान किया गया है। इस प्रकार यह अर्द्ध सैनिक बलों की प्रथम संयुक्त बटालियन है।
- LWE से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों की जांच के लिए NIA में एक अलग विभाग बनाने के लिए प्रक्रिया भी शुरू की गई है।
- **नक्सलियों के वित्तपोषण की जांच हेतु बहु-विषयक समूह-** केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा IB, NIA, CBI, ED और DRI और केंद्रीय एजेंसियों के विभिन्न अधिकारियों के समूह और राज्य पुलिस को समन्वित कर एक बहु-विषयक समूह का गठन किया है ताकि माओवादियों के लिए वित्तीय प्रवाह को रोका जा सके।

- **शिक्षा के माध्यम से युवाओं को रचनात्मक रूप से शामिल करना:** दंतेवाड़ा जिले में शैक्षणिक केंद्र और आजीविका केंद्र की सफलता को देखते हुए, सरकार द्वारा अब सभी जिलों में 'आजीविका कॉलेज' नाम से आजीविका केंद्र खोले गये हैं।
- **अन्य उपाय:** वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक की और अधिक शाखाएं खोली गई हैं। बस्तर के तीन दक्षिणी जिलों में प्रारंभ किए गए अखिल भारतीय रेडियो स्टेशन अब मनोरंजन विकल्पों को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय कार्यक्रमों को प्रसारित करेंगे। बस्तर में नई रेल सेवा के परिचालन से काष्ठ कलाकृतियों और धातु की घंटियों के लिए एक नए बाजार का सृजन होगा।

LWE के समाधान से संबंधित मुद्दे

- समय-समय पर स्थापित मानक ऑपरेटिंग प्रक्रियाओं के प्रति लापरवाही से सुरक्षा कर्मियों के मूल्यवान जीवन की क्षति हो जाती है। उदाहरणस्वरुप सुकमा हमले में कम से कम 25 CRPF कर्मियों की जान गई थी।
- **कुछ सुभेद्यतायें भी** विद्यमान हैं, जैसे- निम्नस्तरीय योजना, अपर्याप्त संख्या, अपर्याप्त इंटेलिजेंस बैकअप इत्यादि।
- **संरचनात्मक कमी और अपूर्णताएँ,** जैसे- CRPF में लगभग प्रत्येक वरिष्ठ पद पर आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति तथा बल के भीतर के अधिकारियों के दशकों के अनुभव को अनदेखा किया जाना।
- **पुलिस बल के क्षमता निर्माण के मामले में निष्क्रियता,** उदाहरण स्वरुप छत्तीसगढ़ में, राज्य पुलिस में विभिन्न रैंकों में लगभग 10,000 रिक्तियां हैं और 23 स्वीकृत पुलिस स्टेशनों की स्थापना की जानी अभी बाकी है।
- LWE गुरिल्ला युद्ध में भली-भांति प्रशिक्षित है।
- **बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए अप्रभावी तकनीक का प्रयोग:** हाल ही में छत्तीसगढ़ के सुकमा में नौ CRPF जवानों की मौत हो गई थी। जब एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) को ट्रिगर करके माइन प्रोटेक्टेड वाहन उड़ा दिया गया था। वर्तमान तकनीक सड़क के नीचे गहराई में बिछाई गई बारूदी सुरंगों का पता लगाने में असमर्थ है।
- **प्रौद्योगिकी अधिग्रहण में विलंब**: उदाहरण के लिए,157 स्वीकृत माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स (MPVs) में से अभी तक CAPFs को OFB द्वारा केवल 13 की आपूर्ति की गई है।
- **गैर सरकारी संगठनों (NGOs) के माध्यम से वित्तपोषण:** प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी जांच का विस्तार करते हुए उन NGOs को अपनी जाँच के दायरे में लिया है, जिन पर राज्य में नक्सल गतिविधियों के वित्तपोषण के मामले में संदेह है।
- **धन का शोधन:** बिहार और झारखंड में कार्यरत नक्सली नेताओं द्वारा चल और अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के द्वारा वसूले गए धन का शोधन किया जा रहा है।

आगे की राह

- **छत्तीसगढ़ पुलिस मॉडल का अनुसरण:** चूंकि छत्तीसगढ़ पुलिस को बस्तर में माओवादियों से निपटने का अनुभव प्राप्त है, अब वे आसूचना और अपनी स्थानीय उपस्थिति को सुदृढ़ करने के लिए सीमावर्ती राज्यों के साथ समन्वय स्थापित कर रहे हैं। इस तरह के उपायों को नए क्षेत्रों में भी अपनाया जा सकता है, जहां माओवादी स्वयं को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं।

VISION IAS

- इस क्षेत्र में जनजातियों को अलगाव की ओर अग्रसर करने वाली **समस्या के मूल कारण को समाप्त करना।** अब सड़कों के निर्माण, संचार टावरों को स्थापित करने, जनजातियों की प्रशासनिक और राजनीतिक पहुंच में वृद्धि, विभिन्न सरकारी योजनाओं तक उनकी पहुंच में सुधार पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए।
- **केंद्र-राज्य सहयोग:** केंद्र और राज्यों को उनके समन्वित प्रयासों को जारी रखना चाहिए, जहां केंद्र को राज्य पुलिस बलों के नेतृत्व में सहायक की भूमिका निभानी चाहिए।
- **तकनीकी उपायों को अपनाना**: सुरक्षा कर्मियों के जीवन को होने वाली क्षति को कम करने के लिए माइक्रो या मिनी-UAVs या छोटे ड्रोन का उपयोग करना।
- **परस्पर विश्वास का निर्माण:** माओवादियों के विरुद्ध मनोवैज्ञानिक युद्ध जीतना अभी भी एक अपूर्ण कार्य है। इस विश्वास की कमी को दूर करने के लिए, ग्रामीणों के विकास के अधिकार की प्राप्ति हेतु सिविल सोसाइटी को सरकार के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए।
- **जागरूकता सृजन:** सरकार द्वारा जागरूकता और पहुँच (आउटरीच) कार्यक्रम एवं समावेशी विकास कार्यक्रम आरंभ किए जाने चाहिए।
- **वन अधिकार**: अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 को प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए।
- **वित्तीय सशक्तिकरण:** 'स्व सहायता समूहों (SHGs)' के गठन को प्रोत्साहित करने वाले उपायों को अपनाना चाहिए, जिससे क्रेडिट और विपणन तक पहुंच सुनिश्चित हो और वंचित वर्गों का सशक्तिकरण किया जा सके।
- **धन आपूर्ति को बाधित करना:** राज्य पुलिस द्वारा एंटी-इक्स्टॉर्शन और एंटी मनी लॉन्डरिंग सेल की स्थापना के माध्यम से अवैध खनन/वन ठेकेदारों एवं ट्रांसपोर्टरों तथा चरमपंथियों के बीच सांठ-गांठ समाप्त किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि इस सांठ-गांठ के द्वारा ही चरमपंथी आंदोलन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
- **अवसंरचनात्मक विकास:** चरमपंथियों द्वारा अवसंरचना परियोजनाओं का दृढ़ता से विरोध किया जाता है या वे स्थानीय ठेकेदारों से धन उगाही करते हैं। इसलिए, बड़े पैमाने पर आधारभूत परियोजनाओं के कार्यान्वयन, विशेष रूप से सड़क नेटवर्क के निर्माण के कार्यभार को अस्थायी उपाय के तौर पर स्थानीय ठेकेदारों के स्थान पर सीमा सड़क संगठन जैसी विशेषीकृत सरकारी एजेंसियों को सौंपा जा सकता है।
- हिंसक वामपंथी चरमपंथ के दुष्प्रचार के प्रति सुभेद्य वर्गों के मध्य असंतोष को नियंत्रित करने के लिए संवैधानिक और सांविधिक सुरक्षा उपायों, विकास से संबंधित योजनाओं और भूमि सुधार पहलों के **कार्यान्वयन की निगरानी के लिए विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।**
- विकास के साथ-साथ प्रत्यक्ष कार्यवाही की सुरक्षा बलों की द्वि-स्तरीय नीति के परिणाम परिलक्षित हो रहे हैं - सरकार ने सर्वाधिक प्रभावित जिलों को पहले से ही चिन्हित कर लिया है और वह यहाँ पर माओवादियों के विस्तार को रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित है। सक्रिय पुलिस और समग्र विकास के प्रतिमान के द्वारा भविष्य में इससे भी अधिक महत्वपूर्ण परिणाम सुनिश्चित किए जा सकते हैं।

3.2. पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोह

(Insurgency In North East)

भारत में राज्यों की निर्माण प्रक्रिया के दौरान नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, असम, त्रिपुरा और मेघालय जैसे सीमावर्ती उत्तर-पूर्वी राज्यों में अनेक नृजातीय अलगाववादी विद्रोह हुए हैं। इस क्षेत्र में हुए संघर्षों को व्यापक रूप से निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है:

- **राष्ट्रीय संघर्ष:** इसके अंतर्गत, पृथक राष्ट्र के रूप में एक विशिष्ट 'मातृभूमि' (homeland) की अवधारणा और इसके समर्थकों द्वारा इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किये जाने वाले प्रयास शामिल हैं।
- **नृजातीय संघर्ष:** इसके अंतर्गत प्रमुख जनजातीय समूह के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक प्रभुत्व के विरुद्ध संख्यात्मक रूप से छोटे और कम प्रभावशाली आदिवासी समूहों के दावे को शामिल किया जाता है। असम में इस संघर्ष ने स्थानीय और प्रवासी समुदायों के मध्य तनाव का स्वरूप ग्रहण कर लिया है।

VISION IAS

- **उप-क्षेत्रीय संघर्ष:** इसमें उप-क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को मान्यता दिलाने हेतु किये जाने वाले आंदोलन शामिल हैं। ये महात्वाकांक्षाएं प्रायः राज्य सरकारों या स्वायत्त परिषदों के साथ प्रत्यक्ष टकराव की स्थिति में होती हैं।

पूर्वोत्तर में विद्रोह के कारण

- **स्वतंत्रता पूर्व कारक:**
  - जनजातियों को सख्त राजनीतिक नियंत्रण और कठोर नियमों के तहत नहीं लाया गया था। माना जाता है कि ये ब्रिटिश जनजातीय नीति और ईसाई शिक्षा ही थी जिसने स्वतंत्र भारत के लिए पूर्वोत्तर के जनजातीय मुद्दों को और भी जटिल एवं असाध्य बना दिया।
  - अंग्रेजों द्वारा आरक्षित वनों की स्थापना के परिणामस्वरूप प्राकृतिक संसाधनों पर जनजातीय नियंत्रण को क्षति हुई।
- **स्वातंत्र्योत्तर कारक**
  - 1950 के दशक में राज्य सीमाओं के रेखांकन की प्रक्रिया के दौरान जातीय एवं सांस्कृतिक विशिष्टताओं की उपेक्षा की गयी जिससे पहचान संबंधी दावे और असंतोष उत्पन्न हुआ।
  - इस क्षेत्र में निर्धनता, बेरोजगारी, कनेक्टिविटी का अभाव, अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल एवं शैक्षिक सुविधाओं, उपेक्षा की भावना और स्वयं के मामलों के संचालन में गैर-भागीदारी ने विद्रोह को भड़काने में योगदान दिया।
  - सुशासन की कमी, व्यापक भ्रष्टाचार व्याप्त होने की जनधारणा और उत्तरदायित्व के अभाव ने स्थानीय आबादी के बड़े वर्गों में अलगाववाद की भावना के सृजन में भी योगदान दिया है।
  - नीतियां प्रायः स्थानीय ज़मीनी स्तर की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित और स्थानीय संवेदनाओं को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करती हैं। इसके अतिरिक्त, जो नीतियां हैं, उनका भी कार्यान्वयन संतोषजनक नहीं होता है।
  - शेष भारत के लोगों में उत्तर-पूर्व के प्रति अभिरुचि, इस क्षेत्र की समस्याओं के प्रति समझ एवं इनकी चिंताओं के संदर्भ में जागरूकता का अभाव है जो अत्यंत चिंताजनक है।
  - मैदानी क्षेत्रों से लोगों के प्रवासन के कारण जनजातियों के लिए आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक खतरा उत्पन्न हुआ है।
  - प्रतिद्वंदी पड़ोसी देशों द्वारा छिद्रिल अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के माध्यम से नैतिक और भौतिक समर्थन में वृद्धि।
  - बेहतर नेतृत्व और जन समर्थन की कमी।
  - सुरक्षा बलों की ज्यादतियों तथा उनके द्वारा मानवाधिकार हनन के कारण अलगाव की प्रबल भावना।
  - दुर्गम क्षेत्रों और अपर्याप्त आधारभूत संरचना के कारण संघर्ष में शामिल विद्रोहियों को सहायता मिलती है।

पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों में विद्रोह का वर्तमान परिदृश्य

- गृह मंत्रालय के अनुसार, 90 के दशक की तुलना में विद्रोह से संबंधित घटनाओं में 85% की कमी हुई है। नागरिक और सुरक्षा बल संबंधी जनहानि में 96% की कमी आई है।
- इस क्षेत्र की कुल हिंसक घटनाओं में लगभग 54 प्रतिशत केवल मणिपुर में घटित हुईं। वर्ष 2017 के दौरान इस क्षेत्र की कुल 308 घटनाओं में से 167 घटनाएँ केवल मणिपुर राज्य में दर्ज की गयी हैं। इसका मुख्य कारण मणिपुर स्थित छह आतंकवादी संगठनों के एक समूह कोरकॉम (समन्वय समिति) द्वारा संचालित गतिविधियां हैं।
- अरुणाचल प्रदेश निरंतर चिंता का विषय बनता जा रहा है, यद्यपि इस राज्य में स्वयं का कोई विद्रोही समूह नहीं है। इसका प्राथमिक कारण NSCN गुटों, ULFA (I) व NDFB (S) की आतंकवादी गतिविधियां हैं जो म्यांमार में अपनी शरण-स्थली तक पहुंचने के लिए इस राज्य का ट्रांजिट कॉरिडोर के रूप में उपयोग करते हैं।
- विगत वर्ष त्रिपुरा और मिजोरम में विद्रोह से संबंधित कोई घटना दर्ज नहीं हुई थी।
- असम में विद्रोह का उद्भव 1979 में आल असम स्टूडेंट यूनियन (AASU) के साथ ऑल असम गण संग्राम परिषद (AAGSP) द्वारा आरम्भ किए गए असम आंदोलन में हुआ था। यह तथाकथित "विदेशियों" और उन जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के विरुद्ध आंदोलन था जो 1947 के पश्चात् प्रवासियों के अत्यधिक अंतर्वाह के कारण घटित हुए थे। अगस्त 1985 के असम समझौते के कारण AASU को राज्य में सत्ता प्राप्त हुई परन्तु यह समझौता राज्य में शांति स्थापित करने में असफल रहा। AASU द्वारा अपनाए गए हिंसक साधनों की सफलता से प्रोत्साहित होकर एक अन्य आतंकवादी संगठन - यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (ULFA) ने स्वतंत्र असम के लिए आंदोलन आरम्भ कर दिया। ULFA का विद्रोह वर्तमान में भी सक्रिय है और यह अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी फैल गया है।

VISION IAS

- नागा विद्रोह, पूर्वोत्तर भारत में संचालित सबसे पुराना विद्रोह है। यह 1997 से विभिन्न युद्धविराम वार्ताओं के माध्यम से एक दशक से अधिक समय तक अधिकांशतः शांत स्थिति में रहा है, परन्तु अभी तक समाधान नहीं मिला है।

नागा विद्रोह

पृष्ठभूमि

- नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड- इसाक मुइवा, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड -खापलांग, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड -युनिफिकेशन और नागा राष्ट्रीय परिषद जैसे नागालैंड के कई सशस्त्र समूह हैं।
- 1947: नागा राष्ट्रीय परिषद (NNC) द्वारा स्वतंत्रता की मांग और विद्रोह करने के साथ ही नागालैंड में संघर्ष प्रारम्भ हो गया।
- 1975 शिलांग समझौता: NNC सदस्यों के एक प्रतिनिधि मंडल ने तत्कालीन असम के राज्यपाल से भेंट करते हुए भारतीय संविधान को स्वीकार करने, शस्त्र विद्रोह को समाप्त करने और सामान्य जीवन जीने के लिए सहमति व्यक्त की।
- 1980: 1980 में NSCN का गठन जिससे इस संगठन में खापलांग के नेतृत्व में म्यांमारी नागाओं का एक वर्ग भी सम्मिलित हो गया।
- 1988: NSCN, खापलांग और इसाक-मुइवा (I-M) गुटों में विभाजित हो गया ।
- 1997: सरकार और NSCN (I-M) समूह के मध्य युद्धविराम की घोषणा हुई और समझौते के लिए वार्ता आरम्भ की गयी।
- पांच वर्ष पश्चात खापलांग ने सरकार के साथ संघर्ष के समापन की घोषणा की, जिसके परिणामस्वरूप एक समझौता संपन्न हुआ।
- NSCN (IM) के विपरीत, NSCN (K) के म्यांमार में स्थित होने के कारण, इसके साथ कोई संवाद नहीं हुआ।
- 2015: NSCN-IM की अध्यक्षता में भारत सरकार और नागा सशस्त्र समूहों के मध्य नागा फ्रेमवर्क समझौते या नागा शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
- 2015 में NSCN (K) ने युद्धविराम का उल्लंघन करते हुए एक सैन्य रक्षक दल पर हमला किया।
- हाल ही में सरकार ने NSCN/नियोकपाओ-खितोवी (NSCN/NK) और NSCN/रिफॉर्मेशन (NSCN/R) के साथ अप्रैल, 2019 तक एक वर्ष की अवधि के लिए सस्पेंशन ऑफ़ ऑपरेशन का विस्तार करने का निर्णय लिया था।

नागा शांति समझौता 2015

- फ्रेमवर्क समझौता नागाओं के "अद्वितीय" इतिहास पर आधारित है तथा इस सार्वभौमिक सिद्धांत को मान्यता प्रदान करता है कि लोकतंत्र में संप्रभुता लोगों में अन्तर्निहित होती है।
- NSCN ने 'ग्रेटर नागालैंड' की मांग को त्याग दिया और भारत के संविधान के प्रति निष्ठा व्यक्त की है। समझौते के विवरण को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है।
- भारत सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि राज्यों की मौजूदा सीमाओं में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

शांति के समक्ष विद्यमान चुनौतियां

- नागालैंड में जनजातीयता सुदृढ़ता से स्थापित है और किसी भी एक समूह के सभी नागाओं का प्रतिनिधित्व करने के दावों का अन्य समूहों द्वारा विरोध किया गया है।
- NSCN-IM द्वारा नागा-निवास क्षेत्रों के एक 'ग्रेटर नागालैंड' में एकीकरण पर बल दिया गया है, जिसे वे नागालिम के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। इसमें वे तीन भारतीय राज्यों - असम, मणिपुर एवं अरुणाचल प्रदेश तथा म्यांमार के क्षेत्रों को शामिल करते हैं।
- इस प्रकार नागालिम की मांग का सीमावर्ती राज्यों द्वारा विरोध किया जा रहा है।
- भारत और म्यांमार के नागाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति भिन्न है और इसलिए नागाओं के लिए एक साझा घोषणा-पत्र पर एकमत होने के प्रयास अतीत में विफल रहे हैं।
- खापलांग द्वारा म्यांमार में स्वतंत्र और स्वायत्त सरकार के संचालन हेतु प्रयास किया गया और 2015 में युद्धविराम का उल्लंघन किया गया।

VISION IAS

विद्रोह के प्रभाव

- इस क्षेत्र में विद्रोह तथा विभिन्न गुटों के मध्य परस्पर संघर्ष के कारण निरंतर अशांति की स्थिति बनी हुई है।
- नागा विद्रोह इस क्षेत्र के ULFA, NFLT और बोडो जैसे अधिकांश अन्य समूहों के लिए दार्शनिक तथा लॉजिस्टिक सम्बन्धी आधार प्रदान करता है।
- क्षेत्र में निवेश का अभाव; विशेष रूप से जल-विद्युत् के लिए इसकी अप्रयुक्त क्षमता।
- स्थानीय लोगों विभिन्न गुटों, व्यवसायों, अधिकारियों आदि द्वारा "करों" की जबरन वसूली के कारण इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। हिंसा भी इस क्षेत्र की निवेश संभावनाओं को कमजोर करती है।
- विद्रोही समूहों ने विद्रोह को जारी रखने हेतु धन जुटाने के लिए मुक्त आवागमन क्षेत्र और स्वर्णिम त्रिभुज (golden triangle) के माध्यम से अवैध मादक पदार्थों का व्यापार आरम्भ कर दिया है।

सरकार द्वारा उठाये गए उपाय

पूर्वोत्तर में विद्रोह को समाप्त करने के लिए नई दिल्ली द्वारा जो नीतियां अपनाई जा रही हैं, वह सैन्य शक्ति, सैन्य अभियानों का निलंबन, संवाद और युद्धविराम का मिश्रित रूप हैं:

- छठीं अनुसूची में उल्लिखित संवैधानिक संरक्षण न केवल जनजातीय कानूनों, प्रथाओं और भूमि अधिकारों की रक्षा करता है; बल्कि जनजातियों को न्यूनतम बाहरी हस्तक्षेप के साथ स्वयं को प्रशासित करने के लिए पर्याप्त स्वायत्तता भी प्रदान करता है।
- **प्रोटेक्टेड एरिया परमिट:** सुरक्षा कारणों से कुछ क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र/प्रतिबंधित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। यहां कोई भी विदेशी सक्षम प्राधिकारी से परमिट प्राप्त किए बिना प्रवेश या निवास नहीं कर सकता है।
- दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए अंगीकृत एक्ट ईस्ट पॉलिसी पूर्वोत्तर क्षेत्र को लाभ पहुंचाएगी।
- मिजोरम शांति समझौता और हाल ही में किया गया नागा शांति समझौता, स्थायी शांति की स्थापना और उत्तर-पूर्व क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से संपन्न किये गए हैं।

विद्रोह के समाधान के समक्ष विद्यमान चुनौतियां

- **दोहरी ज़िम्मेदारी:** पूर्व-असम राइफल्स (देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल) छिद्रिल भारत-म्यांमार सीमा की रक्षा करने के साथ-साथ विप्लव-रोधी कार्यवाही की दोहरी सेवा प्रदान करता है।
- **खुली सीमा की रक्षा करना,** जहां दोनों देशों के लोगों द्वारा एक-दूसरे के क्षेत्रों में निर्बाध यात्रा के लिए एक स्वतंत्र आवगमन व्यवस्था विद्यमान है।
- म्यांमार, भूटान आदि मित्र राष्ट्रों की कूटनीतिक **संवेदनाओं का ध्यान रखना**।
- **अन्य राष्ट्र राज्य द्वारा प्रदत्त बाह्य सहायता**: उदाहरण के लिए- उत्तर पूर्व में चीन द्वारा कथित रूप से हथियारों की तस्करी।
- **NEC, DoNER और हाल ही में निर्मित नार्थ ईस्ट फोरम जैसे निकायों और एजेंसियों की बहुलता।** इन निकायों की भूमिकाओं के संबंध में स्पष्टता की आवश्यकता है।
- **अन्य मुद्दे**: परियोजना कार्यान्वयन में देरी, धन का अभाव।

- **अवसंरचनात्मक विकास**
  - **कालादान मल्टीमॉडल परियोजना** मिजोरम के माध्यम से उत्तर पूर्व को शेष भारत के साथ निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।
  - **त्रिपक्षीय राजमार्ग {मोरेह (मणिपुर) -मांडले- थाईलैंड}** दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ पूर्वोत्तर भारत के व्यापार को सुगम बनाएगा।
  - **उत्तर-पूर्व सड़क क्षेत्र विकास योजना (NERSDS)** भारत में एक क्षेत्र आधारित सड़क विकास कार्यक्रम है।
- किसी भी ऐसे युवा उद्यमी या स्टार्ट-अप के लिए प्रारंभिक पूंजी सहायता के रूप में **"वेंचर फंड"** की स्थापना करना। जो उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में एक प्रतिष्ठान या उद्यम प्रारंभ करने के इच्छुक हों।
- उत्तर पूर्व के विकास हेतु हाइड्रोकार्बन क्षमता का लाभ उठाने के लिए **विजन हाइड्रोकार्बन 2030**।

VISION IAS

- उत्तर पूर्व में बागवानी और जैविक कृषि को प्रोत्साहन प्रदान करना। सिक्किम भारत का प्रथम जैविक राज्य है।
- **नागालैंड स्वास्थ्य परियोजना:** स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और नागालैंड में लक्षित स्थानों पर समुदायों द्वारा उनके उपयोग में वृद्धि।

आगे की राह

- **उत्तर-पूर्वी परिषद (NEC) एक फोरम के रूप में:** NEC (जिसके सदस्य उत्तर-पूर्वी राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री हैं) व्यापक रूप से सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान कर सकता है।
- **बहु-हितधारक दृष्टिकोण:** उत्तर-पूर्व की समस्याओं के समाधान हेतु गठित किसी भी मंच पर न केवल सिविल सोसाइटी, विद्वानों एवं अन्य लोगों का बल्कि पेशेवरों का भी व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
- **उत्तर-पूर्व के विभिन्न राज्यों की समस्याओं के भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझना:** उत्तर-पूर्व के लिए कोई भी सार्थक नीति ऐसी होनी चाहिए जो प्रत्येक राज्य और क्षेत्र की विशिष्ट समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो।
- **आर्थिक विकास:** इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के विकास हेतु शीघ्रता से नए निवेश के लिए मार्ग प्रशस्त किया जाना चाहिए और साथ ही उत्पादक परिसंपत्तियों की उपलब्धता एवं पर्यटन की संभावित क्षमता की प्राप्ति को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- **पड़ोसी देशों से अवैध आप्रवासन संबंधी समस्या का समाधान:** रोजगार की खोज में आने वाले लोगों के लिए पहचान पत्र और कार्य परमिट अनिवार्य किया जाना चाहिए।
- सरकार और प्रशासन के **शासन एवं वितरण तंत्र में सुधार**।
- सभी हितधारकों को शामिल करते हुए किसी ठोस समाधान तक पहुंचने के लिए एक अनवरत प्रक्रिया के रूप में **संवाद पर बल** दिया जाना चाहिए। विद्रोही समूहों को दिन-प्रतिदिन संकीर्ण होती नृजातीय और भाषायी पहचान पर आधारित नए राज्यों और क्षेत्रों की मांग करने के बजाय (जिन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता) संवैधानिक अधिदेश के अंतर्गत अधिक स्वायत्तता प्राप्त करने का अपेक्षाकृत अधिक यथार्थवादी प्रयास करना चाहिए।
- **पड़ोसी देशों के साथ मिलकर समन्वित कार्यवाही का संचालन** किया जाना चाहिए और सैन्य बलों का उपयोग केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए।
- **AFSPA जैसे अत्यधिक कठोर कानूनों को निरस्त** कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह उत्तर-पूर्व में विद्रोह को प्रेरित करने वाले कारणों में से एक है।
- **राज्यों के साथ सहयोग:** इस क्षेत्र के राज्यों की पुलिस और केंद्रीय बलों को आतंकवादियों के विरुद्ध जाँच एवं कार्यवाही के संदर्भ में आसूचना साझाकरण के माध्यम से सहयोग करना चाहिए। सेना ने आरोप लगाया है कि हाल ही में सेना पर किया गया हमला राज्य पुलिस द्वारा हमले के बारे में खुफ़िया जानकारी साझा नहीं करने के कारण संभव हुआ।
- **नागा विद्रोह रोकने के लिए:** नागालैंड के नागाओं के साथ-साथ देश में अन्य स्थानों में निवासित नागाओं के हितों के संरक्षण हेतु एक जनजातीय सांस्कृतिक सामूहिक निकाय का गठन किया जा सकता है। साथ ही, नागा विद्रोहियों को नेपाली माओवादियों की तर्ज पर राज्य बलों में शामिल करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है।

3.3. भारत में आतंकवाद

(Terrorism In India)

आतंकवादी विभिन्न लक्ष्यों और उद्देश्यों से प्रेरित होते हैं तथा समूह/समूहों के उद्देश्यों के आधार पर आतंकवाद की प्रकृति भी भिन्न-भिन्न होती है।

- **नृजातीय-राष्ट्रवादी आतंकवाद:** अपने निहित उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए किसी उपराष्ट्रीय नृजातीय समूह द्वारा की गई सुविचारित हिंसा। ये पृथक राज्य के निर्माण पर अथवा अन्य नृजातीय समूहों की तुलना में किसी विशिष्ट नृजातीय समूह की स्थिति के उत्थान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। श्रीलंका में तमिल राष्ट्रवादी समूह और पूर्वोत्तर भारत में उग्रवादी समूह इसके उदाहरण हैं।
- **धार्मिक आतंकवाद:** ये पूर्णतः या कुछ हद तक धार्मिक निर्देशों से चालित होते हैं तथा इनके अनुसार हिंसा को पवित्र कर्त्तव्य अथवा पुण्य के कार्य के रूप में माना जाता है।

धार्मिक कट्टरवाद पर आधारित आतंकवाद

- भारत में विभिन्न आतंकवादी घटनाएं हुई हैं जो धार्मिक कट्टरवाद से प्रेरित थीं। इनमें से कुछ गतिविधियों में राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी समाहित होती हैं, जैसे- जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी तत्व।

VISION IAS

- 2001 में, नई दिल्ली में कई इस्लामी आतंकवादी हमले हुए जिनमें दिसंबर 2001 में संसद भवन पर हुआ आतंकवादी हमला सबसे महत्वपूर्ण था।
- भारत में इस्लामिक चरमपंथ को बढ़ावा देने के लिए स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। सामान्य रूप से विभिन्न इस्लामिक धर्मार्थ संगठनों द्वारा उदारतापूर्वक वित्त पोषित तथा विशेष रूप से वर्ल्ड असेम्बली ऑफ मुस्लिम यूथ (जिसका मुख्यालय रियाद में है) द्वारा वित्त पोषित SIMI ने अपनी गतिविधियों को भारत के विभिन्न राज्यों में विस्तारित किया है। सितंबर, 2001 में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत भारत सरकार द्वारा SIMI पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

- **विचारधारा उन्मुख आतंकवाद:** हिंसा और आतंकवाद के प्रयोग का समर्थन करने हेतु किसी विचारधारा का उपयोग किया जा सकता है:
  - **वामपंथी आतंकवाद -** सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग के विरुद्ध मुख्यतः कृषक वर्ग द्वारा की जाने वाली हिंसा वामपंथी विचारधाराओं द्वारा प्रेरित होती है। इन विचारधाराओं के अनुसार पूंजीवादी समाज में मौजूद सभी सामाजिक संबंध और राज्य संरचनाएं शोषणकारी प्रकृति की होती हैं और हिंसक साधनों के माध्यम से एक क्रांतिकारी परिवर्तन आवश्यक है। उदाहरण: भारत और नेपाल में माओवादी समूह।
  - **दक्षिणपंथी आतंकवाद:** इसके तहत यथा-स्थिति को बनाए रखने का प्रयास किया जाता है अथवा उस पूर्व स्थिति में लौटने का प्रयास किया जाता है, जिसे इनके अनुसार संरक्षित किया जाना चाहिए था। ये सरकार पर किसी पड़ोसी देश में 'उत्पीड़ित' अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए हस्तक्षेप करने के लिए या किसी क्षेत्र को अधिगृहीत करने हेतु दबाव डाल सकते हैं।
- **राज्य प्रायोजित आतंकवाद:** राज्य प्रायोजित आतंकवाद उतना ही पुराना है जितना सैन्य संघर्ष। कुछ देशों ने विदेशी नीति के सुविचारित साधन के रूप में आतंकवाद को अपनाया है। आतंकवाद के अन्य रूपों से राज्य प्रायोजित आतंकवाद में मुख्य अंतर यह है कि इसे मीडिया का ध्यान आकर्षित करने अथवा लक्षित लोगों को आतंकित करने के बजाय स्पष्ट रूप से परिभाषित विदेश नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रारंभ किया जाता है।
- **नार्को-आतंकवाद:** यह मादक पदार्थों (नार्कोटिक्स) की तस्करी करने वालों द्वारा सुनियोजित आतंक अथवा हिंसा के प्रयोग के माध्यम से सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास है।
- **साइबर आतंकवाद:** राजनीतिक एवं सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी देश की सरकार या उसके लोगों को भयभीत करने या उन पर दबाव डालने के लिए कंप्यूटर, नेटवर्कों तथा उनमें संग्रहित सूचनाओं पर किये गए गैर-कानूनी हमले और हमलों की धमकी। यह आतंकवाद का एक गैर-परंपरागत तरीका है।
- **नगरीय आतंकवाद:** इसका आशय शहरी परिवेश में प्रायोजित आतंकवादियों के खतरे से है जो शहरी आधारभूत संरचना और जीवन को अव्यवस्थित करने और बाधित करने का प्रयास करते हैं।

शहरी आतंकवाद के बारे में अन्य सम्बंधित तथ्य

- यह मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है-
  - जब हमला लोगों पर केन्द्रित होता है, जैसे- सामूहिक हत्याएं
  - जब हमला प्रत्यक्ष रूप से नगरीय अवसंरचना पर केन्द्रित होता है।
- हाल ही में, आधुनिक अमेरिकी इतिहास में सबसे घातक शूट-आउट लास वेगास में हुआ था।

ऐसे हमलों में वृद्धि क्यों हो रही है?

- **आसान लक्ष्य-** शहरी संकुलन में निर्मित इमारतों की सघनता और वृहद् शहरी यातायात अवसंरचना के कारण बड़ी संख्या में लोग एक ही स्थान पर एकत्रित होते हैं। इस कारण वे आतंकवादी हमलों के प्रभाव में वृद्धि के लिए आसान लक्ष्य बन जाते हैं।
- **पहचान छिपाने का अवसर:** ग्रामीण क्षेत्रों के विपरीत, शहरों और कस्बों के निवासियों में अधिक विविधता होती है जिसके कारण यहाँ पहचान छिपाने के अवसर अधिक होते हैं। इसके परिणामस्वरूप आत्मघाती हमलावरों का समय पर पता लगाना अथवा उन्हें रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है।
- **सुविधाओं की उपलब्धता-** हथियार, सार्वजनिक परिवहन इत्यादि लॉजिस्टिक सपोर्ट शहरी क्षेत्रों में सुगमता से उपलब्ध हो जाते हैं।

VISION IAS

- **आसान भर्ती-** क्योंकि शहर सामान्यतः असंतोष के पोषण में सहायक होते हैं।
- **सरकार की विश्वसनीयता पर हमला:** अत्यधिक महत्त्वपूर्ण (हाई प्रोफ़ाइल) प्रतीकात्मक लक्ष्यों पर हमला कर आतंकी समूह यह सन्देश प्रेषित करने का प्रयास करते हैं कि जब सरकार अत्यधिक महत्त्वपूर्ण स्थलों की रक्षा करने में समर्थ नहीं है तो निश्चित ही यह सामान्य स्थलों की सुरक्षा नहीं कर सकती।
- **अंधाधुंध आतंकरोधी ऑपरेशन से संरक्षण-** चूंकि ऐसे अनियंत्रित ऑपरेशन से विशाल संपार्श्विक क्षति (कोलैटरल डैमेज) की सम्भावना होती है।
- **सीमित आवश्यकताओं वाले ऑपरेशन** - शहरी क्षेत्रों में किसी आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए आतंकवादियों को पहाड़ी या ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कम शारीरिक शक्ति एवं सहनशीलता की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही उन्हें वांछित क्षति पहुँचाने के लिए परिष्कृत लंबी दूरी के हथियारों की भी आवश्यकता नहीं होती है।
- **भय का सुगम प्रसार:** चूंकि आतंकवाद **का उद्देश्य कृत्यों द्वारा प्रचारित** होना होता है अतः शहरी परिवेश में बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों की उपलब्धता तथा उनके द्वारा ऐसी घटनाओं की त्वरित रिपोर्टिंग के कारण आतंकवादियों का ध्यान आकर्षण का लक्ष्य आसानी से पूरा हो जाता है। इस प्रकार के कवरेज सामान्यतः आतंकवादी कृत्यों की **भय उत्पन्न करने की क्षमताओं में वृद्धि करते** हैं।
- **इंटरनेट के कारण सुभेद्यता:** व्यक्तिगत डेटा की उपलब्धता में वृद्धि ने व्यक्तियों को आतंकवाद के प्रति सुभेद्य बना दिया है। **इस प्रकार की सूचना कट्टरता के प्रसार या हिंसक कृत्यों के लिए लक्षित करने के उद्देश्य हेतु प्रयुक्त की जा सकती है।**

भारत में आतंकवाद

जम्मू-कश्मीर

जम्मू-कश्मीर में विद्रोह की जड़ों को 1940 के दशक के उत्तरार्द्ध में देखा जा सकता है, जब जम्मू-कश्मीर पर अधिग्रहण करने के उद्देश्य से पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था। तब से यहां जनसंख्या का एक वर्ग भारत से अलगाव में विश्वास रखता है। सीमा पार से सहायता और प्रेरणा प्राप्त ये समूह प्रायः आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होते हैं।

इस्लामिक कट्टरवाद और अल-कायदा के उदय ने जम्मू-कश्मीर में विद्रोह में एक और आयाम को शामिल किया है।

भारत सरकार एक समग्र दृष्टिकोण सहित एक बहुपक्षीय रणनीति के माध्यम से इस अशांत राज्य की समस्याओं से निपटने का प्रयास कर रही है। इसके लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं:

- न केवल जम्मू-कश्मीर के भीतर बल्कि पाकिस्तान के साथ भी विश्वास का निर्माण करने वाले उपायों पर बल देना।
- जम्मू-कश्मीर और POK के निवासियों के मध्य आपसी संपर्क को सुविधाजनक बनाना।
- श्रीनगर-मुजफ्फराबाद और पुंछ-रावलकोट बस सेवाओं को प्रारंभ कर सीमा के दोनों ओर स्थित पृथक परिवारों को एकजुट करने की पहलें।
- अलगाववादियों सहित विभिन्न मतों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूहों के साथ आवधिक वार्ताओं का आयोजन।
- **आंतरिक सुरक्षा से संबंधित उपाय**
    - गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 2004 के तहत JeM, LeT, HM और HuM सहित जम्मू-कश्मीर में कार्यरत 9 आतंकवादी संगठनों को प्रतिबंधित करना।
    - सावधानीपूर्वक जांच के बाद चयनित क्षेत्रों में ग्राम रक्षा समितियों की स्थापना और विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति।
- **प्रशासनिक मोर्चे पर**
    - उग्रवाद के पीड़ितों के लिए राहत उपाय।
    - कश्मीरी प्रवासियों की वापसी को प्रोत्साहित करना और इसे सुगम बनाना।
    - कश्मीर घाटी में नियुक्त केंद्र सरकार के कर्मचारियों को विशेष सुविधाएँ और रियायतें प्रदान करना।

पंजाब

विभाजन के बाद भारत में एक पृथक सिख पहचान की इच्छा एक अलग राज्य की मांग के रूप में प्रकट हुई। पंजाब के एक अलग राज्य के रूप में गठन के बाद भी कुछ संबंधित मुद्दे अनसुलझे बने रहे, जैसे- चंडीगढ़ को राज्य की राजधानी बनाने संबंधी मांग, नदी जल का बँटवारा आदि। ऐसे में जब आतंकवादी तत्वों ने एक अलग 'खालिस्तान' की मांग उठायी तो स्थिति और गंभीर हो गई।

VISION IAS

अंत में, सरकार द्वारा चार मानकों पर आधारित नीति के तहत संघर्ष का समाधान किया गया था:

- आतंकवाद को नियंत्रित करने और समाप्त करने के लिए सुरक्षा कार्रवाई;
- उग्रवादियों के साथ अप्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा उन्हें हिंसा का त्याग करने और वार्ता प्रक्रिया में भाग लेने हेतु प्रेरित करना;
- उन असंतुष्ट तत्वों के साथ प्रत्यक्ष वार्ता करना जो देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पूर्ण एकीकरण तथा प्रभावित जनसंख्या की धार्मिक, सांस्कृतिक और नृजातीय भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता के बदले में संविधान के मूल सिद्धांतों को स्वीकार करने तथा हिंसा का त्याग करने हेतु तैयार हैं;
- वर्तमान में भी कुछ लोगों में अलगाव की आकांक्षा विद्यमान है और यह समस्या मुख्य रूप से विदेशों में रहने वाले वर्गों द्वारा उत्पन्न की जा रही है।

भारत की आतंकवाद-विरोधी रणनीति

भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने की रणनीति को राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के संदर्भ में विकसित किया जाना आवश्यक है। वस्तुतः आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए एक बहुपक्षीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

- सामाजिक-आर्थिक विकास एक प्राथमिक आवश्यकता है ताकि समाज के सुभेद्य वर्ग धन और समता का वादा करने वाले आतंकवादियों के प्रचार के शिकार न हों।
- प्रशासन को लोगों की वैध शिकायतों के प्रति उत्तरदायी होने की आवश्यकता है ताकि इनका शीघ्र समाधान किया जा सके और आतंकवादी समूहों द्वारा इनका लाभ न उठाया जा सके।
- मानव अधिकारों के प्रति सम्मान बनाए रखते हुए आपराधिक तत्वों से निपटने के लिए कठोर उपाय किए जाने की आवश्यकता है।

आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए विभिन्न हितधारकों, जैसे-सरकार, राजनीतिक दलों, सुरक्षा एजेंसियों, नागरिक समाज और मीडिया की सहभागिता के साथ एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता होगी। ऐसी रणनीति के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं:

- **राजनीतिक सर्वसम्मति:** राष्ट्रीय रणनीति तैयार करते समय केंद्र सरकार द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ गहन वार्ता की जानी चाहिए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भारत सरकार के नोडल मंत्रालय के साथ परामर्श में अपना योगदान करने की आवश्यकता है।
- **सुशासन और सामाजिक-आर्थिक विकास:** इसके लिए आवश्यक होगा कि विकास कार्यों को उच्च प्राथमिकता दी जाए तथा साथ ही जमीनी स्तर पर इनके वास्तविक कार्यान्वयन को भी सुनिश्चित किया जाए। वास्तविक कार्यान्वयन हेतु सभी स्तरों पर स्वच्छ, भ्रष्टाचार रहित और उत्तरदायी प्रशासन एक अनिवार्य आवश्यकता है।
- **विधि के शासन का सम्मान:** विद्रोह या आतंकवाद के कारण उत्पन्न संवेदनशील परिस्थितियों से निपटने हेतु भी सरकारी एजेंसियों को विधि का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यदि मौजूदा कानूनों द्वारा असाधारण परिस्थितियों का सामना नहीं किया जा सकता है, तो नए कानून लागू किए जा सकते हैं ताकि कानून प्रवर्तन एजेंसियां विधानेत्तर या अवैध तरीकों का सहारा न लें।
- **आतंकवादियों की ध्वंसात्मक गतिविधियों का सामना करना:** सरकार को राजनीतिक ध्वंसकारी गतिविधियों (जैसे-आतंकवादियों और माओवादियों द्वारा उत्पन्न) को समाप्त करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। आतंकवाद और विद्रोह से निपटने के लिए सैन्य उपायों के विपरीत असैन्य उपायों पर बल देना चाहिए।
- **उचित वैधानिक ढांचा उपलब्ध कराना:** यह संभव है कि देश के साधारण कानून आतंकवादी को हिरासत में लेने हेतु पर्याप्त न हों। इसके लिए विशेष कानून और प्रभावी प्रवर्तन तंत्र की आवश्यकता हो सकती है, परन्तु इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय भी सुनिश्चित करने होंगे।
- **क्षमता निर्माण:** क्षमता निर्माण प्रक्रिया को खुफिया जानकारी एकत्र करने वाली मशीनरी, सुरक्षा एजेंसियों, नागरिक प्रशासन और व्यापक रूप से समाज तक विस्तारित किया जाना चाहिए।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967; राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980; आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (TADA), 1985 और 1987; आतंकवाद निरोधक अधिनियम, 2002 (POTA) जैसे **विधायी ढांचे को लागू करना।**

VISION IAS

- **अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय (CCIT) को अपनाने के लिए अनुरोध करना।** यह एक प्रस्तावित संधि है, जो आतंकवाद के विरुद्ध व्यापक वैश्विक कानूनी ढांचा प्रदान करती है।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सहयोग:** 2011 में, यूएस-इंडिया होमलैंड सिक्यूरिटी डायलॉग का सृजन किया गया था। यह दोनों देशों के मध्य 'अपने-अपने देश (होमलैंड) की सुरक्षा से सम्बंधित मुद्दों' पर पहली व्यापक द्विपक्षीय वार्ता थी। इसके तहत अमेरिकी राज्य विभाग के **आतंकवाद-विरोधी सहायता कार्यक्रम** के माध्यम से 250 से अधिक भारतीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया।
- **ग्लोबल नेटवर्क ऑफ़ सिटीज़ ऑन टेरर फाइट का हिस्सा बनना:** मुंबई, संयुक्त राष्ट्र स्तर पर गठित इस नेटवर्क में सम्मिलित हो गया है। यह नेटवर्क चरमपंथ का मुकाबला करने और साइबर सुरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए तकनीकों का आदान-प्रदान करेगा और आधारभूत संरचना का विकास करेगा।

क्या किये जाने की आवश्यकता है?

- **खुफिया एजेंसियां-** केंद्र, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों के मध्य सहयोग की आवश्यकता है।
- **उचित निगरानी-** कार्यक्षम खुफ़िया जानकारी प्राप्त करने के लिए आतंकवादी संगठनों के नेटवर्क और स्लीपर सेल्स का पता लगाना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- किसी व्यक्ति या वाहन के भटकने जैसी संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने और ऐसी गतिविधियों के प्रति सतर्क करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए।
- सुरक्षा कर्मियों को लावारिश छूटी **संदिग्ध वस्तुओं को तलाशने और उन्हें लोगों से दूर करने के प्रति** संवेदनशील होना चाहिए।
- **प्रशिक्षित सशस्त्र बल-**
  - पुलिस बल को नगरीय आतंक की नई परिघटना से निपटने हेतु प्रभावी ढंग से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
  - घातक आतंकवादी हमलों से निपटने के लिए प्रत्येक राज्य में NSG के समान सैन्य बल होना चाहिए।
  - बड़े आतंकवादी हमलों के बाद किये जाने वाले जांच एवं बचाव कार्यों के सन्दर्भ में आवधिक रूप से **अभ्यास** किया जाना चाहिए और **विभिन्न आकस्मिक स्थितियों का कृत्रिम रूप से निर्माण कर** उन पर अनुक्रिया करने का अभ्यास किया जाना चाहिए।

3.3.1. आतंकवाद का वित्त-पोषण

(Terror Financing)

अधिकांश मामलों में आतंकवादी गतिविधियों हेतु अत्यधिक मात्रा में वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। वास्तव में, आतंकवाद के वित्त-पोषण (TF) को **आतंकवाद की जीवन रेखा** के रूप में जाना जा सकता है। यह आंतरिक व बाह्य रूप में इस खतरे को बनाए रखने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। आतंकवादी गतिविधियों हेतु धन जुटाने के लिए निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जाता है:

- आतंकवादी **गैर-क़ानूनी गतिविधियों** में संलग्न रहकर फंड प्राप्त करते हैं।
- वैध गतिविधियों द्वारा प्राप्त आय से भी फंडिंग की जा सकती है। **आतंकवादी विचारधारा के समर्थक** इन संगठनों को आय के अपने ज्ञात स्रोतों द्वारा वित्तीय योगदान प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार के योगदान आतंकवादी संगठनों के लिए फ्रंट के रूप में कार्य करने वाले ज्ञात अथवा अज्ञात कुछ गैर-लाभकारी या धर्मार्थ संस्थानों द्वारा भी किए जा सकते हैं।
- मादक द्रव्यों की तस्करी, नशीले पदार्थों (नारकोटिक्स) के व्यापार आदि में शामिल समूहों के साथ कार्य करके अथवा उनका सहारा लेकर, जिसमें उन्हें मनी लॉन्डरिंग (धन शोधन) का भी प्रयोग नहीं करना पड़ता है।
- फंडिंग के अंतर्गत मुद्रा तथा नकली मुद्रा की तस्करी इत्यादि भी शामिल हो सकती है।
- अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध जगत अपराधों से हुई अपनी आय के शोधन हेतु धनराशि को स्थानांतरित करने के लिए विधियों और नेटवर्किंग की एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग करता है। आतंकवादी इस प्रक्रिया में शामिल होकर वित्त प्राप्त करते हैं।
- आतंकवादी संगठन भारी मात्रा में नकदी की तस्करी का सहारा भी ले सकते हैं तथा धन के हस्तांतरण हेतु अनौपचारिक चैनलों (जैसे हवाला) का उपयोग कर सकते हैं।
- वृहत पैमाने पर वित्तीय संस्थानों और जनता से धोखा-धडी करना।

VISION IAS

आतंकवाद के वित्त-पोषण से निपटने हेतु रणनीति:

आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण से निपटने हेतु वित्तपोषण से संबंधित गतिविधियों को बाधित करने पर बल दिया जाना चाहिए। आतंकवादी गतिविधियों के वित्तीय पहलुओं से निपटने हेतु रणनीति के मुख्य बिंदुओं में निम्नलिखित कार्यवाहियाँ शामिल की जानी चाहिए :

- संपत्ति की पुनः प्राप्ति एवं व्यवधान संबंधी शक्तियाँ ।
- आतंकवाद को वित्त पोषित करने में शामिल व्यक्तियों/संगठनों के विरुद्ध वैध जुर्माना आरोपित करना।
- वित्तीय संस्थानों / एजेंसियों द्वारा ग्राहक पहचान (Customer Identification) के कार्यक्रमों को कर्मठता से संचालित करना तथा मानक रिकॉर्ड रखने की प्रक्रियाओं को अपनाना।
- व्यक्तियों एवं संस्थानों द्वारा संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों की रिपोर्टिंग।
- एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग उपायों को अपनाना।
- सम्बद्ध एजेंसियों के मध्य क्षमता निर्माण एवं समन्वय तंत्र की स्थापना करना।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।

वित्तीय आसूचना एकक (Financial Intelligence Unit)- IND (FIU-IND)

- FIU-IND एक केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी है जो संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से संबंधित सूचनाओं की प्राप्ति, प्रसंस्करण, विश्लेषण और प्रसारण हेतु उत्तरदायी है।
- FIU-IND मनी लॉन्डरिंग एवं संबंधित अपराधों के विरुद्ध वैश्विक प्रयासों को आगे बढ़ाने में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय आसूचना, जांच एवं प्रवर्तन एजेंसियों के प्रयासों में समन्वय स्थापित करने और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए भी उत्तरदायी है।
- FIU-IND एक स्वतंत्र निकाय है जो वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक आसूचना परिषद (EIC) को सीधे रिपोर्ट करती है।

आतंकवादी गतिविधियों के वित्त पोषण हेतु धन के प्रवाह को अवरुद्ध करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपाय:

- **आतंकवादी वित्त पोषण को अपराध घोषित करना:** टाडा और पोटा के अंतर्गत आतंकवादी गतिविधि के माध्यम से व्युत्पन्न अथवा प्राप्त संपत्ति रखना या आतंकवादी फंड के माध्यम से ऐसी सम्पति को अधिग्रहित करना एक अपराध घोषित किया गया है।
- **वित्तीय आसूचना इकाई:** विनियमों के अंतर्गत निर्धारित लेन-देन के रिकॉर्ड का रखरखाव, निर्धारित प्रारूप में FIU-IND को जानकारी प्रस्तुत करना तथा निर्धारित रीति से ग्राहकों का सत्यापन करना शामिल है।
- **विमुद्रीकरण-** इसके माध्यम से सरकार प्रचलन में मौजूद जाली नोटों को लक्षित करती है। ये नोटें आतंकवाद के वित्त पोषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत होती हैं। एक अध्ययन के अनुसार प्रति वर्ष 70 करोड़ रुपये के नकली नोट अर्थव्यवस्था में प्रवेश कर जाते हैं।
- **मुद्रा में बेहतर सुरक्षात्मक विशिष्टताएं शामिल करना-** आधुनिक सुरक्षात्मक उपायों के द्वारा नए नोटों की नक़ल करने को कठिन बना दिया गया है।
- **2013 में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) का सुदृढ़ीकरण:** इसके लिए निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया गया:
  - अनुसूचित अपराधों हेतु मौद्रिक सीमा को हटाने से संबंधित प्रावधान,
  - मनी लॉन्डरिंग की जांच के संबंध में संपत्ति को ज़ब्त करने और अस्थायी रूप से कब्ज़े में लेने की शक्तियों का सुदृढ़ीकरण,
  - PMLA के दायरे के अंतर्गत नए वित्तीय संस्थानों और निर्दिष्ट गैर-वित्तीय व्यवसायों तथा पेशों को कवर करना।
- वर्ष 2011 में केन्द्रीय खुफिया/प्रवर्तन एजेंसियों तथा राज्य विधि प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक **स्पेशल कॉमबेटिंग फाइनेंसिंग ऑफ़ टेररिज्म (CFT) सेल** की स्थापना की गई है।
- आतंकवाद के वित्तपोषण से संबंधित मामलों के अन्वेषण हेतु राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अंतर्गत एक **टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल** स्थापित की गयी ।

VISION IAS

3.3.2. भारत में डी-रेडिकलाइजेशन

(De-Radicalization In India)

डी-रेडिकलाइजेशन को किसी व्यक्ति की मान्यताओं को परिवर्तित करने, चरमपंथी विचारधारा को अस्वीकृत करने एवं उदार मूल्यों को अपनाने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है।

रेडिकलाइजेशन का मुख्य कारण

- समुदायों का निर्धनता, बीमारी, निरक्षरता तथा द्वेषपूर्ण निराशा से प्रभावित होना।
- सामाजिक असमानता, सीमांतीकरण (marginalization) और बहिष्करण।
- राजनीतिक उत्पीड़न और मौलिक अधिकारों का हनन।
- अन्याय, दुःख, भुखमरी, ड्रग्स, बहिष्करण, पूर्वाग्रह तथा संभावनाओं के अभाव में निराशा।

यद्यपि भारत ने दशकों से देश के कई हिस्सों में विभिन्न कट्टरपंथी क्षेत्रीय और धार्मिक संगठनों द्वारा विद्रोहों और आतंकवादी कार्यवाहियों का सामना किया है, किन्तु विचारधारात्मक और परिचालन संबंधी स्तरों पर ऐसी समस्याओं का मुकाबला करने हेतु एक व्यापक नीति विकसित नहीं की गई है। इस्लामी आतंकवाद के उदय के साथ, कट्टरवाद का खतरा बढ़ गया है। इस सन्दर्भ में, भारत काउंसलिंग से संबंधित विभिन्न उपायों के माध्यम से कट्टरपंथ के प्रसार और कट्टर समूहों में भर्ती के प्रयासों का मुकाबला करने हेतु एक समेकित रणनीति तैयार कर रहा है;

- इस्लामिक स्टेट (IS) की विचारधारा का सामना करने के लिए सुभेद्य और कट्टरपंथी' युवाओं के साथ-साथ उनके परिवारों की काउंसलिंग तथा इस्लाम की 'उदार' व्याख्याओं का प्रसार करना।
- हाल ही में ऑस्ट्रिया द्वारा स्थापित 'इक्स्ट्रीमिस्ट काउंसलिंग हॉटलाइन' जैसे विभिन्न उपायों ने भारतीय अधिकारियों का भी ध्यान आकर्षित किया है।
- अमेरिका के कट्टरपंथी-विरोधी कार्यक्रमों की व्यवहार्यता समुदाय की पहुँच पर केंद्रित है और भारतीय संदर्भ में UK के प्रिवेंट एंड चैनल कार्यक्रमों पर विचार किया जा रहा है।

राज्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र ने फरवरी 2016 में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक डी-रेडिकलाइजेशन कार्यक्रम प्रारंभ किया है।

- इसके अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यक तक पहुँच स्थापित करने की परिकल्पना की गयी है।
- पुलिस को बिना बल प्रयोग के सांप्रदायिकता की किसी भी भावना को पहचानने और इसमें कमी लाने का निर्देश दिया गया है।
- एक समान विचारधारा वाले देशों के साथ सहयोग और पीड़ित देशों की सहायता, जैसे कि हाल ही में भारत ने ISIS के विरुद्ध युद्ध में इराक को सैन्य सहायता की पेशकश की है।

कर्नाटक

निम्नलिखित उपायों द्वारा मदरसों के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव रखा गया है:

- अकादमिक ज्ञान के साथ-साथ कुरान की वास्तविक शिक्षाओं को समझना
- मस्जिदों और मदरसों का गहन सर्वेक्षण और विस्तृत डेटाबेस तैयार करना

आगे की राह

- **समस्या की पहचान:** सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं को हल्के में लेकर या किसी एकजुट किन्तु विवादग्रस्त परिवार में होने वाली आम घटना के जैसा मानकर खारिज नहीं किया जाना चाहिए। भारत में पहले से ही बड़ी संख्या में संप्रदायिक और जातिवाद के आधार पर विभाजित कट्टरपंथी जनसंख्या उपस्थित है।
- **सिविल सोसायटी को शामिल करना:** कट्टरता के बढ़ते खतरे से निपटने में सिविल सोसायटी की भूमिका महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। यह संबद्ध एवं साझी पहचान की भावना को प्रोत्साहन दे सकते हैं और सुभेद्य समुदायों के सदस्यों के मध्य वास्तविक और कथित अलगाव को कम कर आंतरिक समुदाय के विभाजन को समाप्त करने का कार्य कर सकते हैं।

VISION IAS

- **सामुदायिक पहुंच:** सामान्य जनसंख्या से कट्टरपंथियों को अलग करने के लिए घरेलू स्तर पर विकसित सशक्त सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से सभी समुदायों में उदार विचारधारा को सशक्त बनाने की आवश्यकता है।
- **वित्तपोषण को रोकना:** कुछ धार्मिक संगठनों के वित्त पोषण के माध्यम को भी ट्रैक करने की आवश्यकता है जो कट्टरवाद की समस्या को बढ़ा रहे हैं।
- **धर्म के राजनीतिकरण को रोकना:** प्रशासनिक स्तर पर, मौजूदा कानूनों का कठोरता से क्रियान्वयन और चुनाव के दौरान आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन कर राजनीति के क्षेत्र में धर्म के बढ़ते राजनीतिकरण को नियंत्रित करने की आवश्यकता है ।
- विश्वविद्यालयों में **धर्मनिरपेक्ष अकादमिक अध्ययन के विषय** के रूप में **धार्मिक अध्ययन** का आरंभ किया जाए, ताकि विदेशी चरमपंथी समूहों के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से फैलाए जा रहे भ्रामक धार्मिक विचारों को रोका जा सके। धार्मिक नेताओं को भी कट्टरपंथ के विरुद्ध अपना विचार रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- **साइबर स्पेस का उपयोग:** वर्तमान साइबर विश्व में एक सशक्त काउंटर-रेडिकलाइजेशन तंत्र के विकास के महत्त्व को कम नहीं आँका जाना चाहिए। यह विशेष रूप से उन क्षेत्रीय भाषाओँ में विकसित किया जाना चाहिए जिनमें ISIS और अल-कायदा धीरे-धीरे अपने विचारों का प्रसार कर रहे हैं। IB द्वारा संचालित 'ऑपरेशन चक्रव्यूह' की भांति अन्य अभियानों का संचालन किया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत अधिकारियों का एक समर्पित समूह पूरे दिन वेब पर नजर रखता है और उन युवाओं की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करता है जो ISIS ऑपरेटरों के संपर्क में हैं या उनके द्वारा पोस्ट की गई सामग्री का अवलोकन करते हैं।
- **युवाओं के साथ अधिकतम संलग्नता:** युवाओं की आत्मानुभूति के लिए उनकी शिक्षा एवं ज्ञान के साथ-साथ सहिष्णु चेतना और व्यवहार को विकसित करने हेतु एक सकारात्मक परिवेश निर्मित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। युवाओं को सशक्त बनाना, उनकी कानूनी जागरूकता और सामाजिक जुड़ाव तथा रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देना भी महत्वपूर्ण है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** कोई भी देश अकेले इस चुनौती का सामना नहीं कर सकता है। रेडिकलाइजेशन और आतंकवाद अंतरराष्ट्रीय/सीमा-पारीय चुनौतियाँ हैं। इनका सामना करने के लिए पर्याप्त बहुपक्षीय प्रयासों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है।

3.4. कश्मीर मुद्दा (Kashmir Issue)

8 जुलाई 2016 को भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा हिजबुल मुजाहिदीन (HM) के आतंकवादी कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने के पश्चात् कश्मीर में स्थितियों में नाटकीय परिवर्तन हुए।

कश्मीर में पाकिस्तान से नियंत्रण रेखा (LOC) से आतंकवादियों की घुसपैठ बढ़ने के बारे में भी रिपोर्ट हैं।

कश्मीर मुद्दे के दो आयाम-

- **बाह्य आयाम** - पाकिस्तान की संलिप्तता और जम्मू-कश्मीर राज्य पर इसके दावों के कारण;
  - कश्मीर के माध्यम से भारत के विरुद्ध पाकिस्तान द्वारा छद्म युद्ध के प्रसार ने हमारी आंतरिक सुरक्षा स्थिति को निरंतर असुरक्षित बनाया हुआ है। राष्ट्र की मुख्यधारा से जम्मू-कश्मीर को अलग करने के अतिरिक्त, यह भारत के विकास के इतिहास में एक गंभीर समस्या है।
  - इससे देश के संसाधनों का निरंतर अपव्यय हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप रक्षा व्यय में वृद्धि हुई है।

पाकिस्तान के उद्देश्य

- बलपूर्वक कश्मीर को हड़पने के अपने सभी प्रयासों की विफलताओं और अपने प्रयासों में पराजित होने के लिए बदला लेने का एजेंडा । 1971 के युद्ध में अपनी हार का बदला लेने के लिए कश्मीर को भारत से अलग करना जैसे कि भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से पृथक किया था।
- अस्थिरता का माहौल बनाए रखना जिससे भारत को अपने पर्याप्त संसाधनों को सतर्कता और सुरक्षा के लिए प्रयोग करना पड़े, इस प्रकार भारत की संवृद्धि में बाधाएं उत्पन्न करना।

VISION IAS

- अपनी पहचान के एकीकरण और अखंडता के लिए पाकिस्तान में भारत विरोधी भावनाओं को उग्र बनाये रखना। यह पाकिस्तानी सेना को स्वयं के लिए धन और भत्ते की उदार प्राप्ति सुनिश्चित करने के अतिरिक्त, देश पर अपनी पकड़ बनाए रखने में भी सहायता करता है।
- कश्मीर मुद्दे का एक समस्या के रूप में अंतर्राष्ट्रीयकरण करना, जिसमें एक लोकप्रिय आंदोलन को भारत द्वारा मजबूती से दबाया गया है।

- **आंतरिक आयाम**- भारत से जम्मू-कश्मीर के लोगों की सामाजिक-राजनीतिक मांगों के कारण-
  - धर्म और क्षेत्र के साथ-साथ बहु नृ-जातीयता/बहु-सांस्कृतिक और राजनीतिक मुद्दों के मध्य एक जटिल अंतःक्रिया है।
  - अधिक स्वायतता और विशिष्ट अधिकारों की मांग हेतु किये जाने वाले विरोध, आंदोलन, और बंद ने राज्य में गतिरोध उत्पन्न किया है। यह राज्य की राजव्यवस्था की अस्थिर प्रकृति को रेखांकित करता है।
  - मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों के कारण भारत को महान वैश्विक शक्ति के रूप में घोषित किये जाने के समक्ष बाधा।

कश्मीर में युवाओं के मध्य वैमनस्य क्यों?

- **मुख्य धारा के राजनीतिक दलों के विरुद्ध अविश्वास:** लोगों में यह भावना है कि राजनीतिक दल लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के बजाय सत्ता में रहने के ज्यादा इच्छुक हैं।
- आंदोलनों और पथराव के आरोप में अत्यधिक संख्या में कश्मीरी युवाओं को जेल हुई थी। उनमें से अनेक युवाओं की कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुनः विभिन्न मौकों पर निवारक गिरफ़्तारी की गई थी। इसने युवाओं में पुलिस और सुरक्षा बलों के विरुद्ध असंतोष उत्पन्न किया।
- बेरोजगारी युवाओं में निराशा का एक प्रमुख कारण है। अस्थिर सुरक्षा स्थिति के साथ-साथ 2014 में आयी बाढ़ के कारण विगत दो वर्षों में पर्यटन में गिरावट आयी है।
- कश्मीर में व्यवसायों और उद्यमों की संख्या सीमित है। नागरिक सुविधाओं अत्यधिक निम्नस्तरीय होने और मौसम की प्रतिकूल दशाओं के कारण उत्पादक कार्य हेतु सीमित दिन ही उपलब्ध होते हैं।
- कई सरकारी विभागों में विशेष रूप से सरकारी नौकरियां प्राप्त करने के मामलों में भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के आरोप भी लगाए जाते हैं।
- कश्मीरी लोगों ने अपने सम्पूर्ण जीवन में हिंसा और आंदोलनों को देखा है। उन्होंने कई मुठभेड़ और सुरक्षा बलों की अत्यधिक उपस्थिति देखी है, जो समाज में भय और अशांति की भावना उत्पन्न करती है।

कश्मीरी लोगों का पाकिस्तान के प्रति दृष्टिकोण

- नृ-जातीयता और संस्कृति के आधार पर पाकिस्तान का जम्मू-कश्मीर के साथ केवल एक सीमित सम्पर्क है। पाकिस्तान के वे भाग जहाँ भिन्न संस्कृतियां और नृजातीय जनसंख्या निवास करती है, अधिकत्तर युद्धरत्त रहते हैं और पक्षपातपूर्ण व्यवहार के कारण पाकिस्तान से अलग होने की मांग करते हैं।
- पाकिस्तान में कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में कश्मीरी अवगत हैं, जहां न्यायेतर हत्याएं; सड़कों, मस्जिदों और स्कूलों पर नियमित बम विस्फोट की घटनाएं सामान्य हैं।
- पाकिस्तान में निम्नस्तरीय मानवाधिकार रिकॉर्ड, इसकी संशोधनवादी नीतियों और इसके नेताओं के तानाशाही रवैये का अधिकतर कश्मीरियों द्वारा दृढ़ता से विरोध किया जाता है।
- कश्मीरी लोग आतंकवादियों के द्वारा स्थानीय लोगों के साथ किए गए अत्यंत खराब व्यवहार से भी पीड़ित हैं, जो युवाओं को बलपूर्वक आतंकवादियों के रूप में भर्ती करने के लिए ले जाते हैं और महिलाओ का भी शोषण करते हैं।
- बुरहान वानी प्रकरण के पश्चात्, कश्मीर में पाकिस्तान के समर्थन में भावनाओं में वृद्धि हुई है। यह पाकिस्तान के प्रति कश्मीरियों में किसी बड़े आशावाद के कारण नहीं बल्कि यह भारत के विरुद्ध अधिक विरोधी भावनाओं के कारण हुआ है, क्योंकि स्थानीय पुलिस और भारतीय सुरक्षा बलों के द्वारा काफी लोगों की मौतें हुई हैं और काफी लोग घायल भी हुए हैं।

VISION IAS

कश्मीरी पंडितों की वापसी

महत्व

- कश्मीरी पंडितों की उनकी मातृभूमि पर वापसी कश्मीरी समस्या के स्थायी समाधान की प्राप्ति में एक महत्वपूर्ण कारक है।
- कश्मीरी पंडित न केवल कश्मीरी समाज का अभिन्न अंग हैं, बल्कि कश्मीरियत के महत्वपूर्ण तत्त्व भी हैं। ये समेकित कश्मीरी संस्कृति का मिलन बिंदु हैं, जिसके बिना धर्मनिरपेक्ष भारत के साथ कश्मीर का एकीकरण अपूर्ण है।
- मुस्लिम बाहुल्य कश्मीर घाटी में पंडितों का पुनर्वास करना एक सद्भाव और धार्मिक सद्भावना का विख्यात उदाहरण स्थापित करने के समान है।

कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास

- घाटी में अस्थिर सुरक्षा माहौल को देखते हुए, मात्र आवास के लिए स्थान के प्रावधान अथवा यहां तक कि आजीविका के लिए नौकरियों के द्वारा पुनर्वास प्राप्त करना अत्यंत कठिन है।
- लोगों के मध्य आपसी संपर्क (पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट) को समाज में समुदायों के मध्य विश्वास और सुरक्षा की भावना के निर्माण के लिए दृढ़ वांछनीय तत्व के रूप में देखा जाता है।
- इसकी अनुपस्थिति में, बस्तियां शत्रुतापूर्ण तत्वों का लक्ष्य बन जाएंगी, जिससे कश्मीर घाटी में निवासियों के मध्य विश्वसनीय सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त नहीं हो सकेगी।

कश्मीर मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में संभावित कदम

- **कश्मीर में हिंसा का निवारण**
  - इसकी प्राप्ति के लिए, सभी पार्टियों द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए। पाकिस्तान की ओर से कश्मीर में आतंकवाद के लिए किसी भी प्रकार की सहायता को समाप्त किया जाना चाहिए।
  - अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों की पर्याप्त पहुंच वाले प्रशिक्षण शिविरों और मौद्रिक सहायता को समाप्त कर सकता है।
- **भारतीय विदेश नीति में परिवर्तन**
  - भारत को सीमा विवादों का समाधान करने का प्रयास करना चाहिए और कश्मीर मुद्दे का समाधान करने से पूर्व चीन के साथ मित्रवत संबंध विकसित करना चाहिए।
  - जब तक पाकिस्तान और चीन सहयोगी बने रहेंगे और भारत उनका साझा विरोधी रहेगा, तब तक कश्मीर का रणनीतिक महत्व इस मुद्दे के किसी भी समाधान की अनुमति नहीं प्रदान करेगा।
- भारत सरकार को राज्य में अधिक भागीदारी भी प्रदर्शित करनी चाहिए। इसे कश्मीरी लोगों की आवश्यकताओं और इच्छाओं पर विचार करना चाहिए ताकि लोगों में स्वीकार किए जाने और भारत का अभिन्न हिस्सा होने की भावना जाग्रत हो सके।
- **कश्मीर से पाकिस्तान को अलग करना**
  - कश्मीर मुद्दे को प्रभावित करने के लिए पाकिस्तान के पास केवल सीमित क्षमता है। यहां तक कि आतंकवाद के लिए, इसकी प्रभावकारिता काफी हद तक लोगों की जमीनी स्तर की सहायता पर निर्भर करती है।
  - कश्मीर में अलगाववाद का राजनीतिक मुद्दा भारत के लिए बड़ी चुनौती है। इसलिए, आंतरिक मुद्दों का समाधान करने की तत्काल आवश्यकता है।

VISION IAS

- **घाटी में अधिकांश लोगों में व्याप्त अलगाव और उपेक्षा की भावना को समाप्त करना**
  - घाटी में लोगों के लिए अत्यधिक मानवीय सहायता भेजना तथा स्थानीय प्रशासन में भ्रष्टाचार, अन्याय और अक्षमता को समाप्त करना।
  - कश्मीरी अवसंरचना में निवेश से लोगों के जीवन में सुधार लाएगा और यह भारत के विरुद्ध असंतोष को कम करने में सहायक होगा।
- भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा **मानवाधिकारों के दुरुपयोग की जांच** करना। यदि क्षेत्र में हिंसा कम हो जाती है, तो राज्य से सुरक्षा बलों को वापस बुलाकर कश्मीर में सामान्य स्थिति को पुनः बहाल करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।
- **कश्मीर से विस्थापित कश्मीरी पंडित आबादी को उनके मूल घरों में पुनः अधिवासित किया जाना चाहिए।** इससे धार्मिक सहिष्णुता बढ़ेगी और कश्मीर की अर्थव्यवस्था में भी अधिक योगदान प्राप्त होगा।

VISION IAS

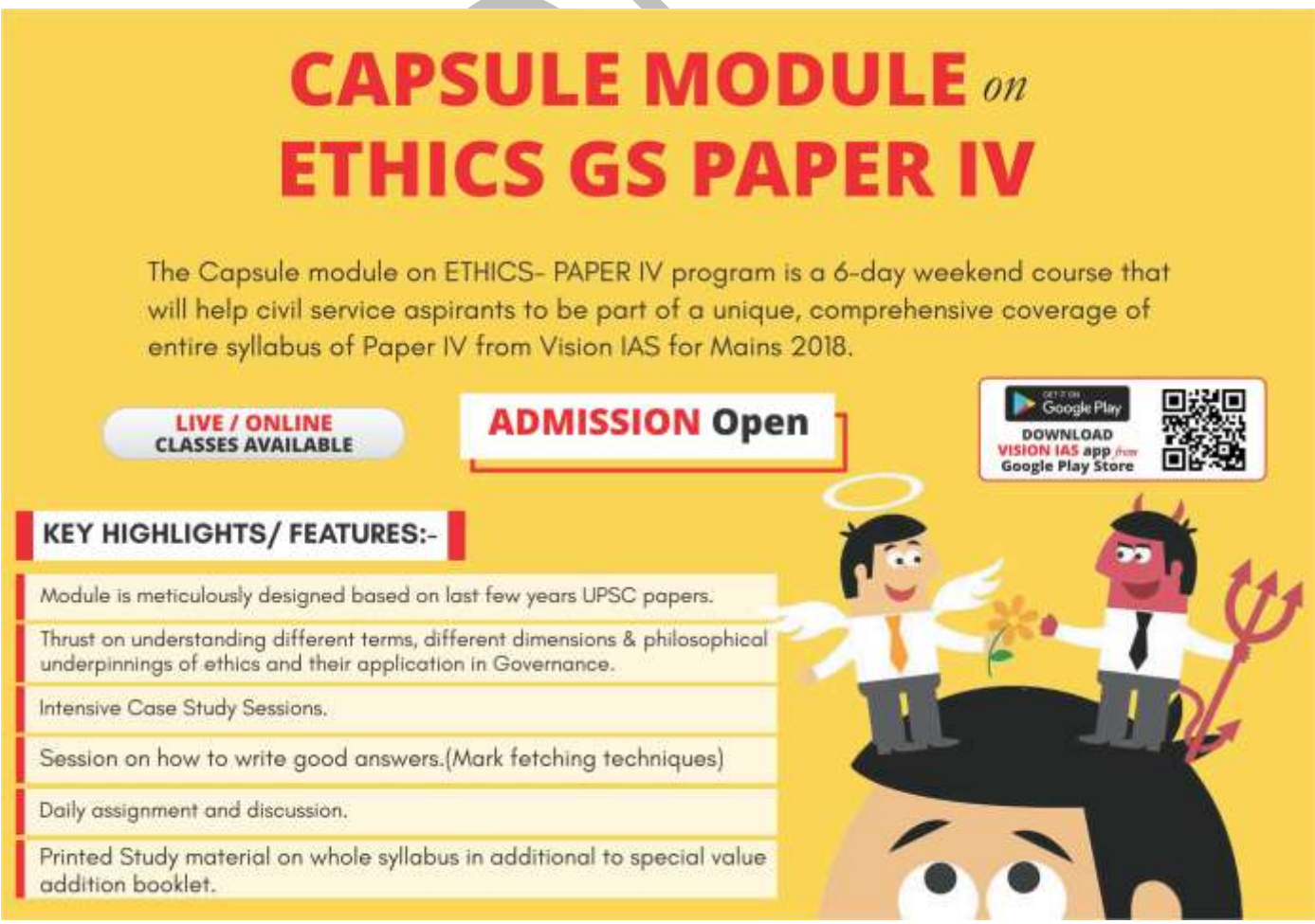

4. धनशोधन, संगठित अपराध और आतंकवाद

(Money-Laundering, Organized Crime And Terrorism)

4.1. धन शोधन निवारण

(Prevention of Money Laundering)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार के द्वारा वित्त अधिनियम, 2018 के माध्यम से धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 में संशोधन किया गया है।

धन शोधन (मनी लॉन्डरिंग) क्या होता है?

- इसका तात्पर्य किसी भी आपराधिक अथवा अवैध गतिविधियों से प्राप्त आय को वैध संपत्ति के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया से है। साथ ही, इस प्रक्रिया में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शामिल प्रत्येक व्यक्ति को धन शोधन के अपराध का दोषी माना जाएगा।
- धनशोधन के कुछ सामान्य तरीकों में वृहत मात्रा में नकद की तस्करी, शेल कंपनियां (Shell company) एवं संगठन, राउंड-ट्रिपिंग, हवाला और फर्जी चालान इत्यादि शामिल हैं।

हवाला तथा धनशोधन

हवाला धन को वास्तविक रूप में स्थानांतरित किए बिना उसे अन्यत्र हस्तांतरित करने की एक प्रक्रिया है। हवाला लेनदेन में नकदी का भौतिक संचालन नहीं होता है। यह एक वैकल्पिक या समानांतर प्रेषण प्रणाली है, जो बैंक तथा औपचारिक वित्तीय प्रणालियों के बाहर कार्य करती है।

हवाला लेन-देन बैंकों के माध्यम से नहीं किए जाने के कारण सरकारी एजेंसियों द्वारा इसे विनियमित नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में यह चिंता के एक प्रमुख कारण के रूप में उभरा है क्योंकि प्रायः इसका उपयोग अपराधियों द्वारा गैर-क़ानूनी गतिविधियों के लिए धन जुटाने हेतु किया जाता है। इस नेटवर्क का व्यापक रूप से उपयोग समस्त विश्व में काले धन का विस्तार करने और आतंकवाद, ड्रग की तस्करी तथा अन्य अवैध गतिविधियों के लिए धन उपलब्ध कराने हेतु किया जा रहा है।

भारत में, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 2000 और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 दो प्रमुख कानून हैं, जो ऐसे लेन-देन को अवैध बनाते हैं तथा इन्हें प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

लोग हवाला को वरीयता क्यों देते हैं?

- हवाला के माध्यम से धन हस्तांतरित करने के लिए कमीशन की दरें काफी कम हैं।
- इसके लिए किसी भी पहचान पत्र तथा आय के स्रोत के प्रकटीकरण की कोई आवश्यकता नहीं होती है।
- चूंकि इसमें नकदी का कोई भौतिक संचालन नहीं होता है, इसलिए हवाला ऑपरेटर आधिकारिक विनिमय दर की तुलना में बेहतर विनिमय दर प्रदान करते हैं।
- बैंकों द्वारा किए जाने वाले व्यापक दस्तावेज़ीकरण की तुलना में यह एक सरल और परेशानी रहित प्रक्रिया है।
- यह अप्रमाणित आय को स्थानांतरित करने का एकमात्र तरीका है।

भारत में धन शोधन की रोकथाम हेतु संरचना

- **सांविधिक संरचना:** इसमें **धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002** का अधिनियमन शामिल है।
- **संस्थागत संरचना:** इसमें मुख्यतः दो निकाय सम्मिलित हैं:
  - **प्रवर्तन निदेशालय** धन शोधन निवारण के अंतर्गत आने वाले मामलों का अन्वेषण करने तथा अभियोजन के लिए उत्तरदायी है।

VISION IAS

- **वित्तीय आसूचना इकाई -भारत (FIU-IND)** संदिग्ध वित्तीय लेन-देन से संबंधित सूचना प्राप्त करने, उनके प्रसंस्करण, विश्लेषण और प्रसार के साथ-साथ धन शोधन के विरुद्ध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आसूचना, जांच और प्रवर्तन एजेंसियों के प्रयासों का समन्वय तथा सुदृढ़ीकरण।

- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग**
  - **फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF):** यह एक अंतर-सरकारी निकाय है, जो धन शोधन एवं आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के लिए मानकों को निर्धारित करता है तथा नीतियों को विकसित एवं प्रोत्साहित करता है।
  - **एशिया/पैसिफ़िक ग्रुप ऑन मनी लॉन्डरिंग (APG)** की सदस्यता : यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत धन शोधन विरोधी और FATF द्वारा निर्धारित आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण मानकों को अपनाने, कार्यान्वयन और प्रवर्तन को सुविधाजनक बनाती है।

फाइनेंसियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) के एक प्रभावी निकाय के रूप में उभरने के कारण:

- यह निर्णयन के सर्वसम्मति पर आधारित मॉडल का पालन करता है, जिसमें इसके किसी भी सदस्य को अधिभावी मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है। इस प्रकार, ये देश वित्त को अवरुद्ध करने से रोक नहीं सकते हैं जैसा कि संयुक्त राष्ट्र में है।
- इसके द्वारा सुधार पर केंद्रित "नेमिंग एंड शेमिंग" की नीति अपनाई गयी है। किसी भी देश को निर्धारित सूची (ग्रे लिस्ट) में शामिल किया जा सकता है और आवश्यक दिशा-निर्देशों को लागू करने की प्रगति को देखते हुए किसी देश को इस सूची से हटाया जा सकता है। यह आतंकवादी वित्तपोषण और धन शोधन का सामना करने के लिए किये गये प्रयासों में सुधार सुनिश्चित करता है।
- FATF द्वारा देशों को उनके द्वारा पारदर्शी दिशा-निर्देशों के अनुपालन तथा इनके प्रभावी कार्यान्वयन के आधार पर सूचीबद्ध किया जाता है।
- इसके कार्य वस्तुनिष्ठ और पेशेवर विश्लेषण के बाद निर्धारित तकनीकी मानकों पर अधिक और भू-राजनीतिक विचारों पर कम आधारित हैं।
- यह किसी भी देश के आर्थिक कल्याण को नुकसान पहुँचाने की अपनी क्षमता से विश्वसनीयता प्राप्त करता है क्योंकि किसी देश द्वारा इसके दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने के संकेत उस देश की रेटिंग को बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य देशों के संदर्भ में नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं।
- यह न केवल देश के कानूनों की बल्कि उनके कार्यान्वयन की भी जांच करता है।

PMLA से संबंधित तथ्य

यह धन शोधन से निपटने के लिए भारत द्वारा गठित विधिक संरचना के प्रमुख भाग का निर्माण करता है। इसकी मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:

- **विभिन्न कानूनों के तहत सम्मिलित कई अन्य अपराधों को इसमें शामिल करके अधिनियम की पहुंच का विस्तार करना:** यह IPC, नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस अधिनियम, शस्त्र अधिनियम, वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत ऐसे कुछ विशिष्ट अपराधों की पहचान करता है, जिन्हें इस अधिनियम के तहत कवर किया जाएगा।
- **सीमा-पार धन शोधन** के मामलों में यह केंद्र सरकार को संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिग्रहित संपत्ति को प्रार्थी देश को वापस करने में सक्षम बनाता है।
- यह संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक, धन स्थानांतरण सेवा और मास्टर कार्ड जैसे कुछ **वित्तीय संस्थानों** को अधिनियम के दायरे में लाने की मांग करता है।
- यह अधिनियम के तहत संपत्ति की कुर्की या जब्ती से संबंधित मामलों से निपटने के लिए तीन सदस्यीय **अभियोजन प्राधिकरण** के गठन हेतु निर्दिष्ट करता है।
- इसके तहत, **प्रशासक** के रूप में कार्य करने हेतु एक अधिकारी को जब्त संपत्तियों के प्रबंधन के लिए नियुक्त किया जाएगा। यह अधिकारी संयुक्त सचिव से नीचे के पद का नहीं होना चाहिए।

VISION IAS

- **अभियोजन प्राधिकरण** और अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई हेतु एक अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
- केंद्र सरकार धन शोधन अपराध के मुकदमे की सुनवाई हेतु उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, एक अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट क्षेत्र के लिए एक या एक से अधिक न्यायालयों अथवा सत्र को विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट कर सकती है।

PMLA तथा इसके तहत अधिसूचित नियमों द्वारा बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और मध्यवर्ती संस्थाओं पर ग्राहकों की पहचान सत्यापित करने, रिकॉर्ड बनाए रखने और FIU-IND को सूचना प्रस्तुत करने का दायित्व सौंपा गया है।

PMLA में प्रस्तावित संशोधन

PMLA में संशोधन का लक्ष्य अधिनियम की प्रभावशीलता में वृद्धि करना, इसके दायरे को विस्तारित करना और PMLA से संबंधित मामलों के अभियोजन में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सामना की जाने वाली कुछ प्रक्रियात्मक कठिनाइयों का ध्यान रखना है। यह एजेंसियों के मध्य सूचना के आदान-प्रदान को भी सक्षम बनाएगा और काले धन के विरुद्ध प्रयासों की प्रभावशीलता में वृद्धि करेगा। प्रस्तावित महत्वपूर्ण संशोधनों में शामिल हैं:

- **"आपराधिक गतिविधियों से अर्जित आय" की परिभाषा में संशोधन** ताकि प्रवर्तन निदेशालय देश के बाहर आपराधिक गतिविधियों से अर्जित आय के माध्यम से प्राप्त संपत्ति की कुर्की और जब्ती हेतु प्रयास कर सके।
- **जमानत संबंधी प्रावधानों में संशोधन:** PMLA के तहत सभी अपराधों के लिए जमानत की शर्तों को एक समान बनाया जाएगा, न कि केवल उन अपराधों के लिए जिनमें 3 वर्ष से अधिक के कारावास का प्रावधान है।
- **कॉर्पोरेट धोखाधड़ी को अपराधों की सूची में** : कंपनी अधिनियम की धारा 447 (कॉर्पोरेट संबंधी धोखाधड़ी) को PMLA के तहत निर्धारित अपराधों की सूची में शामिल किया गया है ताकि उपर्युक्त मामलों में कंपनियों के रजिस्ट्रार को PMLA प्रावधानों के तहत प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कार्रवाई के लिए ऐसे मामलों की रिपोर्ट की जा सके।
- **जाँच की प्रभावशीलता बढ़ाने हेतु उपाय**: ED को अभियोजन फाइल करने और एक अस्थायी जब्ती आदेश पास करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करना।
- **सूचना का प्रकटीकरण :** इस अधिनियम के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा जांच के दौरान सामने आए अन्य किसी कानून के उल्लंघन की सूचना संबंधित प्राधिकरण को देने हेतु स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

मनी लॉन्डरिंग की रोकथाम से संबंधित चुनौतियां

- **डिजिटल तकनीक में तीव्र गति से उन्नयन:** प्रवर्तन एजेंसियां प्रगतिशील तकनीकी गति से स्वयं को समन्वित नहीं कर पाई हैं। साइबर वित्तीय तकनीक मनी लॉन्डरर्स को आपराधिक गतिविधियों से अर्जित आय के स्रोत को प्रवर्तन एजेंसियों से गुप्त रखने में समर्थ बनाती हैं।
- **धन शोधन संबंधी अपराधों की गंभीरता के विषय में जागरूकता की कमी:** गरीब और अशिक्षित लोग, बैंकों में लंबे कागजी कार्य से होने वाले लेनदेन की अपेक्षा, हवाला प्रणाली को अधिक पसंद करते हैं जहां औपचारिकताएं बहुत कम होती हैं, या दस्तावेज़ भी कम या बिलकुल नहीं लगते, निम्न दर और अनामिकता की सुविधा होती है।
- **KYC मानदंडों के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाना:** बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने बैंकों को सुरक्षा मानकों को कम करने के लिए बाध्य किया है इससे धन शोधकों को अपने अपराध के संबंध में इस व्यवस्था का अनुचित लाभ मिल जाता है।
- **वित्तीय संस्थानों के कर्मचारियों की भागीदारी:** वित्तीय संस्थानों का कार्य धन के स्रोतों की जांच, खातों से संबंधित गतिविधियों की जांच करना और अनियमित लेनदेन को ट्रैक करना है। परन्तु सामान्य तौर पर वित्तीय संस्थानों के कर्मचारियों की संलिप्ता के कारण धन शोधकों का काम आसान हो जाता है।
- **समग्र प्रवर्तन एजेंसियों की कमी:** धन शोधन का अपराध सीमारहित है और इसका विस्तार विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। भारत में, कई अलग -अलग कानून प्रवर्तन एजेंसियां है जो धन शोधन, आतंकवादी गतिविधि, आर्थिक अपराध इत्यादि से निपटने हेतु कार्यरत हैं। परन्तु उनके बीच तालमेल का अभाव है।
- **टैक्स हेवन देश:** ये लंबे समय से मनी लॉन्डरिंग से जुड़े हुए हैं क्योंकि उनके कठोर वित्तीय गोपनीयता कानून वित्तीय जानकारी के खुलासे को प्रतिबंधित करने के साथ -साथ बेनामी खाते खोलने की अनुमति देते हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ ठोस साक्ष्य इस ओर संकेत करते हैं कि इन फंडों का एक बड़ा हिस्सा अल-कायदा जैसे आतंकवादी समूहों को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया गया है।

VISION IAS

आगे की राह

- **एक उपभोक्ता के रूप में:** निष्क्रिय खातों (dormant account) को जल्द से जल्द बंद कर दिया जाना चाहिए क्योंकि उन्हें आसानी से मनी लॉन्डरिंग गतिविधियों के संचालन के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- **जोखिम मूल्यांकन:** वित्तीय संस्थानों द्वारा नए उत्पादों, व्यावसायिक गतिविधियों या नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग से पहले इससे संबंधित जोखिमों का मूल्यांकन कर लेना चाहिए।
- **PMLA 2002 के तहत प्रस्तावित 'क्लाइंट ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस' का अनुपालन:** यह ग्राहकों की स्वीकृति पर आधारित एक समग्र नीति से संबंधित विशिष्ट मानक है, इस प्रक्रिया के द्वारा ग्राहकों की पहचान और लेनदेन की निगरानी और रिपोर्टिंग की जा सकती है।
- **टैक्स हेवन देशों का सामना:** कुछ देशों में वित्तीय गोपनीयता के नियमों का स्पष्ट निर्धारण करने की आवश्यकता है क्योंकि इनकी वर्तमान कमियों के माध्यम वित्तीय संस्थान मनी लॉन्डरिंग हेवन बन रहे हैं।
- **विकेंद्रीकरण:** केंद्र और राज्य के बीच एक उचित समन्वय आवश्यक है, क्योंकि अधिक विकेंद्रीकृत कानून अधिक बेहतर पहुंच को संभव बनाएगी।
- **वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF) की सिफारिशों को लागू करना** जो एक व्यापक और सुसंगत संरचना को निर्धारित करता है। इसकी कुछ सिफारिशें निम्नलिखित हैं:
    - जोखिमों की पहचान, नीतियों का निर्माण और स्थानीय स्तर पर समन्वय स्थापित कर मनी लॉन्डरिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण जोखिमों में कमी लाना।
    - वियना कन्वेंशन और पालेर्मो कन्वेंशन के आधार पर मनी लॉन्डरिंग को गैर-कानूनी घोषित करना। पलेर्मो कन्वेंशन जो यह सुनिश्चित करता है कि वित्तीय संस्थानों के गोपनीयता कानून FATF सिफारिशों के कार्यान्वयन को बाधित न कर सकें।
    - निर्दिष्ट अपराधों की विस्तृत श्रेणी को शामिल करने के दृष्टिकोण से मनी लॉन्डरिंग के अपराध को सभी गंभीर अपराधों पर लागू करना।
    - आतंकवाद और आतंकवादी वित्तपोषण की रोकथाम और शमन से संबंधित UNSC संकल्प के अनुपालन में लक्षित वित्तीय प्रतिबंधों की व्यवस्था लागू करना।
    - गैर लाभकारी संगठनों से संबंधित कानूनों और नियमों की उपयुक्तता की समीक्षा करने की आवश्यकता है। इससे ऐसे संगठनों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा जिनकी आतंकवादी संगठनों के वित्तपोषण के प्रति सुभेद्य होने की पहचान की गयी है।
    - वित्तीय क्षेत्र और अन्य निर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए पूर्व -सतर्कता संबंधी उपायों को लागू करना।
    - वित्तीय संस्थानों को कम से कम पांच वर्ष तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन से संबंधित सभी आवश्यक सूचनाओं को बनाए रखना चाहिए, जिससे वह सक्षम प्राधिकरण द्वारा मांगे गए सूचना अनुरोध को पूरा करने में समर्थ होंगे।
    - सक्षम प्राधिकरणों (उदाहरण के लिए, जांचकर्ता, कानून प्रवर्तन और पर्यवेक्षी प्राधिकरण) और अन्य संस्थागत उपायों के लिए शक्तियों और उत्तरदायित्व का निर्धारण करना।
    - देश में एंटी-मनी लॉन्डरिंग नीति होनी चाहिए और ऐसी नीतियों के लिए एक प्राधिकरण को नामित करना चाहिए जो इन नीतियों के प्रति उत्तरदायी हों।
    - मनी लॉन्डरिंग के संबंध में पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान करना और मनी लॉन्डरिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के संबंध में प्रत्यर्पण अनुरोधों को प्रभावी ढंग से निष्पादित करना।

मनी लॉन्डरिंग को पृथक अपराध की श्रेणी में रखना

केंद्र सरकार मनी लॉन्डरिंग को एक पृथक अपराध की श्रेणी में रखने संबंधी एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इसकी जाँच प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जाएगी, भले ही कोई अन्य एजेंसी भी इसके संबंध में कोई जाँच कर रही हो।

सन्दर्भ

- मनी लॉन्डरिंग को आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि करने वाले कारक के रूप में माना जाता है, क्योंकि यह अपराधियों को आर्थिक शक्ति प्रदान करता है।

VISION IAS

- भारत में विद्यमान व्यवस्था के तहत मनी लॉन्डरिंग संबंधी मामलों का निर्णयन विभिन्न एजेंसियों की जांच और अभियोजन पर निर्भर करता है क्योंकि "आपराधिक गतिविधियों से अर्जित आय" की परिभाषा PMLA अधिनियम की अनुसूची के तहत सूचीबद्ध निर्दिष्ट अपराधों पर निर्भर है।
- इस प्रकार, संगठित अपराध से निपटे बगैर मनी लॉन्डरिंग से निपटना समय और प्रयासों की बर्बादी मात्र है।
- मनी लॉन्डरिंग एक पृथक अपराध के रूप तब प्रारंभ होता है जब व्यक्ति अनुचित धन को छिपा कर रखने का विचार त्याग दे। मनी लॉन्डरिंग और संगठित अपराध के बीच संपर्क तोड़ने और जांच में तेज़ी लाने के लिए मनी लॉन्डरिंग को एक पृथक अपराध के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है।

पृथक अपराध की श्रेणी में रखने का महत्व

- 2010 में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF) ने अपनी समीक्षा में और काले धन पर भारत के विशेष जांच दल (SIT) ने भी इसकी सिफारिश की थी। इससे मनी लॉन्डरिंग गतिविधि में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित हो सकेगी।
- इससे भारत का कानून अन्य देशों जैसे UK आदि में प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप हो जाएगा, जहां मनी लॉन्डरिंग को अलग से एक अपराध माना जाता है और दोषसिद्धि के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर मात्र यह सिद्ध करना होता है कि आय का स्रोत कोई आपराधिक गतिविधि है। पृथक अपराध की श्रेणी में रखने के कारण दोषसिद्धि के सन्दर्भ में अन्य जांचों के परिणामों की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है।

4.2 अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध

(Trans-National Organised Crime)

संगठित अपराध (OC) अत्यधिक जटिल,विविधतापूर्ण एवं व्यापक गतिविधि है, जिसके द्वारा गैरकानूनी तरीके से और बल, धोखाधड़ी तथा भ्रष्टाचार का अवैध प्रयोग करके वैश्विक अर्थव्यवस्था से प्रत्येक वर्ष कई अरब डॉलर की निकासी होती है। संगठित अपराध (OC) की शक्ति का प्रमुख स्रोत अवैध गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त धन है। इन गतिविधियों में नशीली दवाओं की तस्करी, मानव तस्करी, मनी लॉन्डरिंग, आतंकवाद, हथियारों का अवैध व्यापार एवं सामाजिक उत्पीड़न के अन्य रूप जैसे अवैध वसूली आदि सम्मिलित हैं। इस धन एवं शक्ति का अत्यधिक प्रयोग घुसपैठ तथा हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भ्रष्ट करने के लिए किया जाता है।

संगठित आपराधिक गतिविधियां देश की आर्थिक प्रणाली की स्थिरता को कमजोर करती हैं, जिससे निर्दोष निवेशकों तथा प्रतिस्पर्धी संगठनों को हानि होती है। ये बाजारों की मुक्त प्रतिस्पर्धा में हस्तक्षेप करती हैं। ये अंतरराज्यीय तथा विदेशी व्यापार वाणिज्य को गंभीरता से प्रभावित करती हैं, घरेलू सुरक्षा के समक्ष खतरा उत्पन्न करती हैं तथा राष्ट्र एवं उसके नागरिकों के सामान्य कल्याण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं।

संगठित अपराध के लक्षण

किसी समूह को संगठित अपराध का एक निकाय माना जाता है, यदि

- आदेशों (कमान) की एक श्रेणीबद्ध संरचना प्रणाली मौजूद हो ;
- आंतरिक दण्ड प्रणाली के तौर पर शारीरिक हिंसा का प्रयोग किया जाता है;
- समूह एक से अधिक प्रकार के अपराधों को अंजाम देने की विशिष्टता रखता हो;
- अवैध रूप से प्राप्त धन को वैध आर्थिक गतिविधियों में निवेश किया जाता हो;
- सरकारी अधिकारियों एवं वैध व्यवसायियों को घूस या धमका कर अपना काम कराते हों।

संगठित अपराधों के प्रकार

ड्रग दुर्व्यसन एवं ड्रग तस्करी: भारत भौगोलिक रूप से 'गोल्डन ट्रायंगल, तथा 'गोल्डन क्रेसन्ट' के देशों के मध्य स्थित है और इन क्षेत्रों में उत्पादित नारकोटिक ड्रग के लिए एक पारगमन बिंदु है।

VISION IAS

- **तस्करी**: इसके तहत गुप्त परिचालन के माध्यम से बिना किसी रिकॉर्ड के व्यापार किया जाता है, जो एक प्रमुख आर्थिक अपराध है। तस्करी की वस्तुओं एवं इसकी मात्रा का स्वरुप मौजूदा राजकोषीय नीतियों द्वारा निर्धारित होता है। भारत की लगभग 7,500 किलोमीटर की विशाल तट रेखा है तथा इसकी नेपाल एवं भूटान के साथ खुली सीमाएं, बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित और अन्य उपभोग की वस्तुओं की तस्करी के लिए अनुकूल हैं।
- **अवैध शस्त्र व्यापार:** हल्के शस्त्रों का प्रसार एक वैश्विक घटना है। इसका मानव जीवन एवं सम्पूर्ण क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। मुंबई में,अवैध शस्त्रों का व्यापार एक खतरनाक दर से बढ़ रहा है।
- **धन शोधन (मनी लॉन्डरिंग) व्यापार:** ड्रग संबंधी अपराधों का प्रचलन विश्वभर में मनी लॉन्डरिंग का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह लक्ष्य सामान्यतः 'प्लेसमेंट', 'लेयरिंग' एवं 'इंटीग्रेशन' के जटिल चरणों के द्वारा प्राप्त किया जाता है ताकि वैध अर्थव्यवस्था में इस प्रकार से एकीकृत धन को अपराधियों द्वारा पहचान के डर के बिना प्रयोग किया जा सके।
- **कॉन्ट्रैक्ट किलिंग**: इसके तहत पेशेवर गिरोह द्वारा धन के बदले हत्याओं को अंजाम दिया जाता है। बॉम्बे के गिरोहों को कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में विशेषज्ञता हासिल है। इनके द्वारा हत्या करने के बदले में ली जाने वाली राशि काफी बड़ी होती है तथा यह राशि टारगेट की सामाजिक आर्थिक स्थिति के अनुसार अलग-अलग होती है।
- **फिरौती के लिए अपहरण**: यह शहरी क्षेत्रों में एक अत्यधिक संगठित अपराध है। कई स्थानीय गिरोहों के साथ-साथ अंतर-राज्यीय गिरोह भी इसमें सम्मिलित होते हैं, क्योंकि इस कृत्य में श्रम एवं जोखिम की तुलना में कहीं अधिक वित्तीय प्रतिफल प्राप्त होता है। आम तौर पर, यदि अपहरणकर्ताओं की मांग पूरी कर दी जाती है तो उनके द्वारा अपहरित व्यक्ति को कोई चोट नहीं पहुंचाई जाती है।
- **मानव तस्करी:** इसे धमकी या बल प्रयोग या उत्पीड़न, अपहरण, धोखाधड़ी एवं छल आदि के माध्यम से, शोषण के उद्देश्य से व्यक्तियों की भर्ती, परिवहन, स्थानांतरण, उन्हें आश्रय में रखने या उनकी प्राप्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। मानव तस्करी भारत के संगठित अपराध के एक बड़े रैकेट का प्रतिनिधित्व करती है। देश में मानव तस्करी के लिए प्रचलित रैकेट की दो प्रमुख श्रेणियां हैं- बलात् यौन कार्य (sex work) के लिए तस्करी एवं बलात् श्रम के लिए तस्करी।
    - **सरकार द्वारा उठाए गए कदम**
        - मानव तस्करी से निपटने हेतु विभिन्न निर्णयों को लागू करने एवं राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्यवाहियों पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा एंटी-ट्रैफिकिंग नोडल सेल बनाया गया है।
        - महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा उज्ज्वला योजना के माध्यम से महिलाओं तथा बच्चों के लिए (विशेष रूप से यौन दुर्व्यापार की शिकार महिलाओ के लिए) गैर सरकारी संगठन संचालित आश्रय और पुनर्वास सेवाओं को, एवं कठिन परिस्थितियों में फँसी महिलाओं के लिए स्वाधार कार्यक्रम को वित्तपोषित किया जाता है।
        - सरकार ने मानव तस्करी को रोकने के लिए बांग्लादेश, नेपाल, बहरीन आदि के साथ समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं।
        - हाल ही में सरकार के द्वारा लोकसभा में "मानव तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018" प्रस्तुत किया गया है।

संगठित अपराधों एवं आतंकवाद के मध्य संबंध

- भारत में संगठित अपराध से प्राप्त धन, तीव्रता से वित्तीय आतंकवादी संक्रियाओं से जुड़ रहा है, जो देश को विश्व के आतंकवाद से सर्वाधिक ग्रसित राष्ट्रों में शामिल करता है।
- कुछ शक्तिशाली संगठित एवं अपराधी समूह स्वेच्छा से भारत (मुंबई) एवं पाकिस्तान (कराची) के मुख्य बंदरगाहों में आतंकवादियों के साथ कार्य करते हैं। इन बंदरगाहों पर लोगों, हथियारों तथा विस्फोटकों के अवैध स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करने वाले आपराधिक संगठनों का प्रभुत्व होता है।
- आतंकवादियों और संगठित अपराधियों की गतिविधियां प्रायः एक-दूसरे को सुदृढ़ता प्रदान करती हैं। आतंकवादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संगठित अपराध गतिविधियों, जैसे- मानव तस्करी, स्मगलिंग, बलपूर्वक वसूली में संलग्न होते हैं जो राज्य सुरक्षा, स्थिरता एवं सामाजिक तथा आर्थिक विकास को कमजोर करने का कार्य करती हैं, इसके परिणामस्वरूप संगठित आपराधिक समूहों के विकास के लिए सहायक परिस्थितियों का निर्माण होता है।
- काले धन के प्रसार एवं आतंकवादी घटनाओं के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए विश्व भर में हवाला नेटवर्क का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

VISION IAS

- दूसरी ओर, संगठित अपराध समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु हिंसा के रणनीतिक प्रयोग सहित अन्य आतंकवादी युक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।
- गंभीर एवं संगठित अपराध तथा आतंकवाद के मध्य संबंधों के दोहरे खतरे हैं:
  - प्रथम, संगठित अपराध (OC) के नेटवर्क का इस्तेमाल आग्नेयास्त्र या जाली दस्तावेज हासिल करने, वस्तुओं एवं लोगों के स्थानांतरण तथा आतंकवादी समूहों को हमलों के प्रयुक्त किए जाने वाले घातक हथियारों की डिलीवरी के लिए किया जा सकता है।
  - द्वितीय, गंभीर एवं संगठित अपराध में आतंकवादियों की संलग्नता उन्हें आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए धन प्राप्त करने का अवसर प्रदान कर सकती है।

संगठित अपराध का सामना करने में विद्यमान समस्याएं

- **अपर्याप्त विधिक संरचना:** भारत में संगठित अपराध को नियंत्रित करने या रोकने के लिए कोई विशेष कानून नहीं है। विद्यमान कानून इसके लिए अपर्याप्त हैं, क्योंकि ये कानून व्यक्तियों को लक्षित करते हैं न कि आपराधिक समूह या आपराधिक उद्यमों को।
- **साक्ष्य प्राप्त करने में कठिनाइयां :** जैसा कि संगठित आपराधिक समूह पदानुक्रमित रूप से संरचित होते है, उच्च सोपानिक नेतृत्व कानून प्रवर्तन से बचा रहता है। साथ ही, हिंसा के अपराधों में शायद ही कोई दस्तावेज संबंधी साक्ष्य उपलब्ध हो पाता है।
- **मुकदमों की धीमी गति एवं दोषसिद्धि की निम्न दर**: इस प्रकार, आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रभावकारिता में लोगों का विश्वास कम हो रहा है तथा अपराध नियंत्रण के प्रयासों के प्रति लोगों का रुख रूखा, उदासीन और असहयोगी हो गया है।
- **संसाधन तथा प्रशिक्षण की कमी:** पुलिस व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। अधिकांश राज्य संसाधनों की कमी का सामना कर रहे हैं तथा आपराधिक न्याय प्रणाली एजेंसियों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, संगठित अपराध की जांच के लिए शायद ही कोई प्रशिक्षण सुविधाएं विद्यमान हैं।
- **समन्वय का अभाव:** राज्य पुलिस बल, राज्य के भीतर संगठित आपराधिक गतिविधियों के बारे में खुफिया जानकारी एकत्रित करते हैं एवं सामान्य तौर पर इसे अन्य राज्यों या केंद्रीय एजेंसियों के साथ साझा नहीं करते हैं।
- **दोहरी आपराधिकता (Dual Criminality)**: कुछ अपराधों, विशेष रूप से ड्रग तस्करी, के मामले में विश्व के किसी एक भाग में इसकी योजना बनाई जाती है एवं दूसरे भाग में कार्यान्वित की जाती है। भिन्न -भिन्न देशों में अलग-अलग कानूनी संरचनाएं होती हैं और एक देश से दूसरे देश में अपराधियों का प्रत्यर्पण केवल तभी संभव होता है जब दोहरी आपराधिकता का सिद्धांत लागू हो।
- **आपराधियों, राजनीतिज्ञों एवं नौकरशाही के मध्य गठजोड़:** इसके कारण, जांच तथा अभियोग चलाने वाली एजेंसियों को इनसे प्रभावी ढंग से निपटने में काफी समस्याएं आती हैं।

आगे की राह

- **आपराधिक कानूनों का सुदृढीकरण:** चूँकि वर्तमान में भारत में संगठित अपराध को नियंत्रित करने या रोकने के लिए एक विशेष अधिनियम नहीं है, अतः तत्काल विधायी हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
- **समन्वय में सुधार तथा विशिष्ट इकाइयों की स्थापना करना:** विभिन्न राज्यों के पुलिस बलों और केंद्रीय जांच एजेंसियों के मध्य समन्वय के लिए वर्तमान प्रवर्तन एजेंसियों के कार्यक्षेत्र से बाहर एक राष्ट्रीय स्तर के समन्वय निकाय की स्थापना की आवश्यकता है।
- भगोड़े आपराधियों के शीघ्र प्रत्यर्पण या निर्वासन के लिए **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि;** अंतर्राष्ट्रीय अपराधों की प्रभावी जांच तथा अभियोजन के लिए पारस्परिक विधिक सहायता हेतु समझौता किया जाए।
- **राजनीतिक प्रतिबद्धता**: विधायी कार्यवाहियों, आपराधिक न्याय प्रणाली को सुदृढ़ बनाने तथा संगठित अपराध के विरुद्ध मजबूत जनमत के निर्माण के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता।
- **सार्वजनिक जागरूकता:** सामान्य लोगों को इसकी रोकथाम एवं जांच में शामिल करना तथा मीडिया के माध्यम से और संगठित अपराध में सम्मिलित लोगों का सामाजिक बहिष्कार करके इसके विरुद्ध जनमत तैयार करना।

VISION IAS

- **मास मीडिया की भूमिका**: मास मीडिया (जिसमें प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों सम्मिलित हैं) संगठित अपराध को उजागर करने तथा इसके विरुद्ध जनमत निर्माण में सहायता कर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

4.2.1. मादक पदार्थों की तस्करी

(Drug Trafficking)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल स्कीम के लिए **राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को दी जाने वाली सहायता** का विस्तार किया है। **वित्तीय सहायता** के माध्यम से मादक एवं नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी को रोकने हेतु सभी एंटी-नारकोटिक्स एजेंसियों को यह सहायता 3 और वर्षों (2020 तक) तक प्रदान की जाएगी।

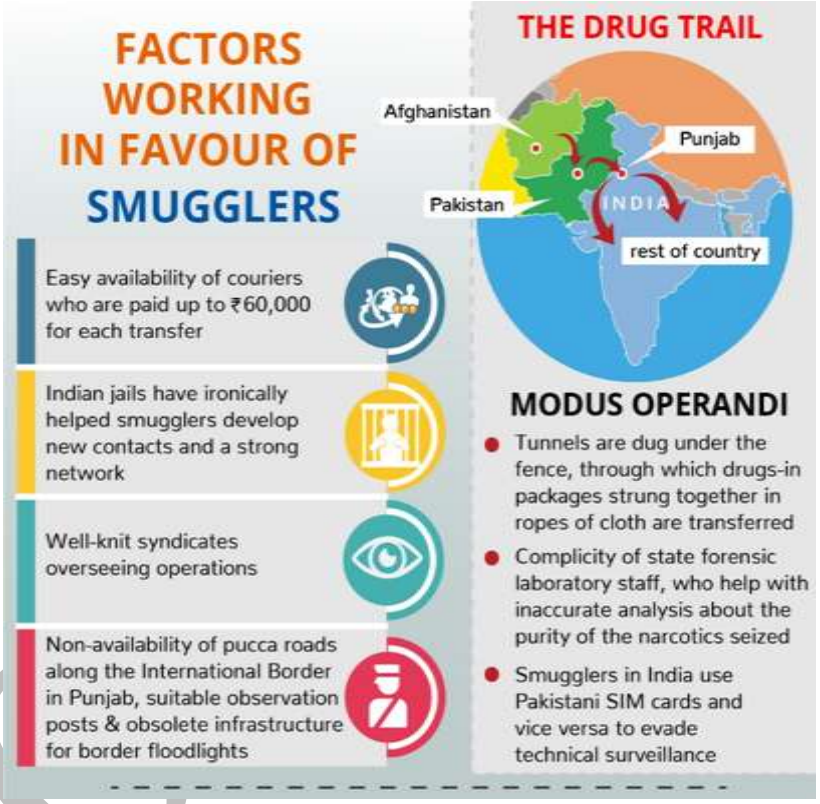

भारत में मादक पदार्थों के दुष्प्रयोग तथा मादक पदार्थों की तस्करी की स्थिति

गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग 40 लाख लोग मादक पदार्थों के व्यसनी हैं। सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले मादक पदार्थ हैं- गांजा, चरस (हशीश), अफीम तथा हेरोइन। इनके दुष्प्रयोग तथा तस्करी के निम्नलिखित कारण हैं:

- इस क्षेत्र में **गोल्डन क्रेसेंट तथा गोल्डन ट्रायंगल** की उपस्थिति के कारण भारत मादक पदार्थों की तस्करी और इसके दुष्प्रयोग हेतु अत्यधिक सुभेद्य रहा है।
- भारत में **स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (Narcotics Drugs and Psychotropic Substance Act 1985)** लागू है। इस अधिनियम के तहत, ऐसे अपराधों के लिए न्यूनतम 10 वर्ष के कारावास का प्रावधान है। परन्तु राज्यों द्वारा इसका कार्यान्वयन बेहतर रूप से नहीं किया जा रहा है।
- भारत ने 'मादक पदार्थों पर नियंत्रण ' हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, म्यांमार, अफगानिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, मॉरिशस, ज़ाम्बिया तथा रुसी परिसंघ के साथ **द्विपक्षीय समझौतों** पर भी हस्ताक्षर किए हैं।
- इसके अतिरिक्त **बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसी** के उदय ने भी मादक पदार्थों के अवैध व्यापारियों तथा तस्करों के लिए वित्तीयन के मार्गों में वृद्धि की है।
- देश के भीतर **औषधीय सामग्रियों** जैसे कोडीन आधारित कफ़सिरप 'बुप्रेनोफाइन' तथा दर्दनिवारक दवा 'प्रोक्सिवोन' **का दुष्प्रयोग।**
- **अन्य कारक:** विभिन्न एजेंसियों के मध्य अधिकार-क्षेत्र को लेकर संघर्ष, भ्रष्टाचार, आसूचना सम्बन्धी विफलता, मानव संसाधन एवं अवसंरचना का अभाव, मादक पदार्थों का पता लगाने हेतु दिए जाने वाले प्रशिक्षण का निम्न स्तर तथा प्रक्रियात्मक विलम्ब वे अन्य कारक हैं, जो देश में मादक पदार्थों की रोकथाम के प्रयासों की प्रभावशीलता को अवरोधित करते हैं।

प्रभाव

- **सामाजिक-राजनीतिक प्रभाव:** मादक पदार्थों की तस्करी सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिरता तथा सतत विकास को कमजोर करती है।

- **मानव जीवन की क्षति:** मादक पदार्थों की तस्करी और दुष्प्रयोग का परिणाम, विशेष रूप से बहुमूल्य मानव जीवन की क्षति और सम्पूर्ण विश्व के अनेक लोगों के उत्पादक वर्षों की क्षति के रूप में सामने आता है।
- यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम (UNODC) द्वारा उत्तर-पूर्वी राज्यों के लोगों में HIV/AIDS के **निरंतर बढ़ते प्रसार** को इसके प्रमुख प्रभावों में से एक के रूप में रेखांकित किया गया है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा:** मादक पदार्थों की तस्करी में विभिन्न आतंकवादी संगठनों तथा सिंडिकेट की संलिप्तता, नार्को-टेररिज्म के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा तथा राज्यों की संप्रभुता हेतु खतरा उत्पन्न करती है।

भारत द्वारा उठाए गए कदम

- **वैधानिक उपाय:** भारत ने स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985) तथा स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थों का अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (Prevention of Illicit Trafficking of Narcotics Drug and Psychotropic Substances Act, 1988) को लागू किया है। इन अधिनियमों के माध्यम से भारत मादक पदार्थ सम्बन्धी समस्याओं के विभिन्न पहलुओं का समाधान कर रहा है।
- **अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन:** भारत **संयुक्त राष्ट्र के तीनों कन्वेंशनों** अर्थात् एकल स्वापक औषधि कन्वेंशन, 1961; मनः प्रभावी पदार्थ कन्वेंशन, 1971 तथा स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थों की अवैध तस्करी के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, 1988 का हस्ताक्षरकर्त्ता है। इसके अतिरिक्त भारत ने मादक पदार्थों के बढ़ते खतरे को नियंत्रित करने हेतु यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम **(UNODC)** द्वारा किए जा रहे वैश्विक प्रयासों का भी समर्थन किया है।
- **अंतर-सरकारी पहलें:** भारत क्षेत्र के देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों, नेपाल, थाईलैंड एवं म्यांमार के साथ समझौता ज्ञापन, आतंकवाद का सामना करने हेतु संयुक्त कार्यदल तथा न्यायिक सहयोग जैसी विभिन्न व्यवस्थाओं में शामिल हुआ है।
- भारत ने **राष्ट्रीय स्वापक औषधि एवं मन-प्रभावी पदार्थ नीति (नेशनल पालिसी ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटांस)** का निर्माण किया है, जिसमें आपूर्ति और मांग में कटौती पर समान रूप से जोर दिया गया है।
- **हाल ही में मादक पदार्थों एवं नशीली दवाओं की जब्तियों के मामले में अधिकारियों, गुप्तचरों तथा अन्य व्यक्तियों को प्रदान किये जाने वाले पुरस्कार हेतु नए दिशा-निर्देश भी जारी किए गए थे।**
- गश्ती और निगरानी को सुदृढ़ करते हुए **सीमाओं और तटीय क्षेत्रों की भौतिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना।**
- मादक पदार्थों और सिंथेटिक ड्रग के दुष्प्रयोग की रोकथाम के प्रयासों में **स्वैच्छिक संगठनों के साथ सहयोग ।**
- **अन्य पहलें:** मादक पदार्थों के दुष्प्रयोग के निवारण के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं तथा व्यक्तियों को राष्ट्रीय पुरस्कार तथा नेशनल ड्रग एब्यूज हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत जो मादक पदार्थों के दुष्प्रयोग के पीड़ितों और उनके परिवारों की काउंसलिंग में मदद एवं अन्य सहायता प्रदान करेगा।

राष्ट्रीय स्वापक औषधि तथा मन:प्रभावी पदार्थ नीति, 2014

- अफीमयुक्त कच्चे माल के परम्परागत आपूर्तिकर्ता के अपने दर्जे को बनाए रखने हेतु भारत को समर्थ बनाने के लिए किसी कंपनी या कॉरपोरेट निकाय द्वारा भारत में पॉपी स्ट्रॉ के कंसन्ट्रेट (CPS) का उत्पादन।
- नशे की लत वाले (व्यसनी) लोगों द्वारा पॉपी स्ट्रॉ का उपभोग किये जाने में **उत्तरोत्तर कमी** करना।
- अफ़ीम और भांग की अवैध कृषि का पता लगाने हेतु **उपग्रह इमेजरी (imageries) का प्रयोग** तथा इनकी कृषि का निरंतर उन्मूलन, साथ ही इनकी कृषि में संलग्न व्यक्तियों के लिए **आजीविका के वैकल्पिक साधनों** का विकास करना।
- **निजी क्षेत्र को अफीम से अल्कलॉयड (alkaloids) के उत्पादन की अनुमति प्रदान करना** जो वर्तमान में केवल सरकारी ओपियम एवं अल्कलॉयड फैक्ट्रीज (GOAFs) द्वारा उत्पादित किया जाता है।
- उपशामक (palliative) देखभाल हेतु **मॉर्फीन** और अन्य आवश्यक मादक पदार्थों तक **पर्याप्त पहुँच**।
- इंटरनेशनल नारकोटिक्स कण्ट्रोल बोर्ड की अनुशंसाओं की अनुक्रिया में **एक समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करना**।

VISION IAS

आगे की राह

- मादक पदार्थों के तस्करों पर प्रतिबंध लगाने तथा अपराधियों के आदान-प्रदान हेतु पड़ोसी देशों के **घरेलू कानूनों के मध्य सामंजस्य (सिंक्रनाइज़ेशन) तथा समन्वय** स्थापित करना।
- समुद्री मार्गों के माध्यम से होने वाली मादक पदार्थों की तस्करी के उभरते खतरे से निपटने हेतु **साझी रणनीतियों का विकास करना।**
- **इंटेलिजेंस नेटवर्क** का निरंतर सुदृढ़ीकरण और उन्नयन, **निगरानी उपकरणों** का उन्नयन तथा प्रशिक्षण अकादमी एवं ड्रग लैब्स जैसी आगामी संस्थागत आवश्यकताओं की पूर्ति करना।
- प्रक्रियात्मक कमियों के निवारण तथा अपराधों के समूहीकरण द्वारा दंडों की जांच हेतु **नारकोटिक्स अधिनियम** में संशोधन किया जा सकता है।
- **मांग में कमी करना:** रणनीतियों में आपूर्ति न्यूनीकरण के साथ-साथ मांग में कमी को भी शामिल किया जाना चाहिए।आपूर्ति न्यूनीकरण के लिए प्रवर्तन गतिविधियाँ जबकि **मांग में कमी के लिए** पुनर्वास तथा व्यसन मुक्ति उपाय कारगर होंगे।
- **अन्य उपाय:** जांच-पड़ताल संबंधी कौशलों का उन्नयन तथा मुकदमों का शीघ्र निपटान; शीघ्रतम संभावित साधनों के द्वारा देशों के मध्य सूचनाओं का अंतर-एजेंसी विनिमय तथा इसके साथ-साथ शीघ्रगामी प्रत्यर्पण कार्यवाहियाँ।

5. सैन्य आधुनिकीकरण

(Military Modernisation)

निम्नलिखित क्षेत्रों में सैन्य आधुनिकीकरण हो सकता है -

- **युद्धक क्षमताओं में सुधार** - प्रभावी सशस्त्र बलों का निर्माण, उन्हें बनाए रखना और उनका उपयोग करना किसी भी राज्य और इसके रक्षा प्रतिष्ठान का केंद्रीय कार्य है।
- **प्रक्रियाओं, संरचनाओं एवं प्रणालियों में सुधार** - एक रक्षा प्रतिष्ठान के पास क्या है, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वह कैसे कार्य करता है।
- **उच्च सुरक्षा की संरचना** - सैन्य नेतृत्व के विभिन्न भाग एक-दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए हैं तथा कैसे सैन्य कमान का नेतृत्व अंततः निर्वाचित नागरिक नेतृत्व से जुड़ा हुआ है।

5.1. युद्धक क्षमताओं एवं प्रक्रियाओं में सुधार

(Improvement in Combat Capabilities and Procedures)

- भारत अपनी क्षेत्रीय अखंडता के समक्ष व्याप्त खतरे एवं स्वयं को एक महान शक्ति के रूप में स्थापित करने की आकांक्षा से प्रेरित होकर सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण कर रहा है।

महत्व

वर्षों से भारतीय सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण की गति काफी धीमी रही है एवं तकनीकी रूप से भारतीय सेनाओं का जितना उन्नयन होना चाहिए वह नहीं हो पाया है।

- **भारत विश्व में सबसे बड़े हथियार आयातकों में से एक है** क्योंकि प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी उत्पादन में भारत अभी भी पिछड़ा हुआ है।
- भारत की थल सेना के पास परिष्कृत हथियारों एवं शस्त्रागारों की कमी है, नौसेना के पनडुब्बी बेड़े का आकार न्यूनतम आवश्यकता से 40 प्रतिशत कम है। लड़ाकू स्क्वाड्रन अनिवार्य आवश्यकता के केवल 60 प्रतिशत के स्तर पर हैं, जो भारत के रक्षा आधुनिकीकरण की धीमी गति को देखते हुए एक चिंता का विषय है।
- **संभवतः भारत की रक्षा आवश्यकताएँ चीन की बढ़ती आक्रामक क्षमताओं से प्रभावित हैं।**
- अपने सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्नत रक्षा उपकरण एवं प्रौद्योगिकी के विकास के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का समाधान किया जा सकता है।

भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा चिंता तथा रक्षा तैयारियां

- भारत वर्तमान में सर्वाधिक जटिल खतरों एवं चुनौतियों का सामना कर रहा है जिनमें परमाणु हथियारों से लेकर उप-पारंपरिक हथियार तक शामिल हैं।
- **चीन तथा पाकिस्तान के साथ अनिर्णीत क्षेत्रीय विवादों** जैसे मुद्दे, जम्मू-कश्मीर एवं उत्तर पूर्वी राज्यों में विद्रोह, वामपंथी चरमपंथ की बढ़ती समस्याओं तथा **शहरी आतंकवाद के बढ़ते खतरे** ने भारत की सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ा दिया है।
- अतः, **वर्तमान भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष गंभीर खतरे उत्पन्न करने वाली चुनौतियों** का सामना करने हेतु रक्षा क्षमताओं (अर्थात **थल, वायु एवं समुद्री क्षमताओं) को उन्नत करने की आवश्यकता** रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण (मेक इन इंडिया जैसी पहलों) की दिशा में **भारतीय नीतियों में काफी हद तक प्रतिबिंबित हो रही** है।
- **भारत का रक्षा उद्योग** वर्तमान परिस्थितियों में भारत की रक्षा आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असफल रहा है। यही कारण है कि आज भारत विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक है।
- भारत की रक्षा तैयारी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बना हुआ है, क्योंकि रक्षा उद्योग में व्याप्त गंभीर कमियों के कारण सशस्त्र बलों की विभिन्न सेवाओं में से कुछ सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सका है।
- **उभरते भू-राजनीतिक परिदृश्य** में खतरों की बदलती प्रकृति के कारण भारत को सशस्त्र बलों के निरंतर आधुनिकीकरण हेतु क्षमता निर्माण पर ध्यान देना चाहिए।

VISION IAS

भारत के रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण सम्बन्धी मुद्दे:

- **आत्म-निर्भरता**: भारत को खरीदार-विक्रेता संबंधों से परे हटकर विचार करना चाहिए जो वर्तमान में लगभग पूरी तरह से इसकी रक्षा औद्योगिक नीतियों की विशेषता बन चुका है। इसके लिए उन्नत हथियार प्रणाली एवं रक्षा प्रौद्योगिकी को स्वदेशी बनाने के साधन विकसित करने चाहिए।
- **बजट आवंटन**: रक्षा बजट GDP के 2 प्रतिशत से भी कम है। ऊपर से इसका अधिकांश भाग वेतन एवं पेंशन में ही खर्च हो जाता है। अतः थल सेना, नौसेना एवं वायु सेना के आधुनिकीकरण हेतु यह धनराशि पर्याप्त नहीं है।
- **निर्णय लेने की धीमी प्रक्रिया:** पदानुक्रमिक संरचना के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सामरिक मामलों पर निर्णय लेने की धीमी प्रक्रिया समय पर हथियारों के उत्पादन तथा उनका क्रय करने की भारत की क्षमता को प्रभावित करती है।
- इसके अतिरिक्त सेना के लिए हथियार, उपकरण तथा गोला बारूद के स्वदेशी डिजाइन तथा निर्माण के लिए उत्तरदायी रक्षा मंत्रालय के विभिन्न अंगों अर्थात् DRDO, ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड (OFB) एवं रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों (DPSU) में परस्पर सामंजस्य का अभाव है। हाल ही में **केंद्र सरकार ने केंद्रीकरण के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए DRDO को अधिक वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की है।**
- **हथियार डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी:** इस क्षेत्र में सेना के पास पर्याप्त विशेषज्ञता नहीं है जिसके परिणामस्वरूप स्वदेशी रक्षा उद्योग को सार्थक इनपुट नहीं मिल पाते।
- **रक्षा खरीद:** रक्षा खरीद के संबंध में विशेषज्ञता के विकास हेतु सतत प्रयासों का अभाव है। सेना अभी भी हथियारों की खरीद संबंधी कार्यों के लिए 'विशेषज्ञ' की बजाय 'सामान्यज्ञ' दृष्टिकोण को प्रयोग में ला रही है।

आगे की राह:

- भारतीय सेना में उपयुक्त संख्या में कर्मियों को बनाए रखते हुए अधिक कुशल टीथ टू टेल अनुपात (teeth-to-tail ratio) (अग्रिम मोर्चे पर लड़ रहे सैनिकों तथा उनके सहायक कर्मचारियों का अनुपात) के साथ एक इष्टतम आधुनिक सैन्यबल बनने हेतु रूपांतरण की प्रक्रिया से गुज़रना होगा।
- उपकरणों के आधुनिकीकरण में न केवल पुराने उपकरणों को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए बल्कि, चरणबद्ध ढंग से पुराने सेवायोग्य उपकरणों की चयनित मात्रा का उन्नयन करना भी आवश्यक है।
- **सरकार को प्रारंभ में रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन** (पेंशन को छोड़कर) **को बढ़ाकर GDP का 2.5 प्रतिशत** कर देना चाहिए, और जब तक सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती इस आवंटन को क्रमशः और बढ़ाकर 3 प्रतिशत तक कर देना चाहिए।
- सरकार को रक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र को संरक्षण देना बंद कर देना चाहिए। स्वदेशी रक्षा हथियारों एवं उपकरणों के उत्पादन में निजी क्षेत्र के लिए भी समान अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
- **आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो (ADB)** को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण रूप से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। इसे सेना के लिए सभी प्रकार के हथियारों तथा उपकरणों की अत्याधुनिक डिजाइन बनाने की दिशा में योगदान करने के लिए सशक्त किया जाना चाहिए।
- सेना मुख्यालय में खरीद व्यवस्था के अंतर्गत सभी कार्य सामान्यज्ञों के बजाय विशेषज्ञों द्वारा किये जाने चाहिए, इस प्रकार वर्तमान प्रणाली में व्यापक सुधारों की आवश्यकता है।

5.1.1. हाल में उठाये गए कदम

(Recent Steps Taken)

5.1.1.1. नई रक्षा खरीद नीति 2016

(New Defence Procurment Policy)

- नई रक्षा खरीद नीति में प्रक्रियाओं के दोहराव को समाप्त कर खरीद में विलंब को कम करने पर बल दिया गया है।

VISION IAS

- नई नीति में खरीद हेतु सर्वाधिक अधिमान्य (मोस्ट प्रेफर्ड) श्रेणी के रूप में स्वदेशी रूप से अभिकल्पित, विकसित एवं विनिर्मित (Indigenously Designed Developed and Manufactured: IDMM) नामक एक नई श्रेणी को शामिल किया गया है। "मेक (Make)" श्रेणी के अंतर्गत तीन उप-कार्यप्रणालियां घरेलू स्तर के निजी तथा लघु स्तरीय उद्योगों को बढ़ावा देंगी।
- अधिग्रहण योजनाओं को मुख्यतः 'बाइ (Buy)', 'बाइ एंड मेक (Buy and Make)' तथा 'मेक (Make)' श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। 'बाइ' को पुनः 'बाइ (IDDM)', 'बाइ (इंडियन)' तथा बाइ (ग्लोबल)' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 'बाइ एंड मेक' का आशय पूर्णतः निर्मित (Fully Formed) अवस्था में उपकरणों की प्रारम्भिक खरीद और बाद के चरणों में प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण (ToT) के माध्यम से स्वदेशी उत्पादन से है। बाइ इंडियन या IDDM में कम से कम 40% स्वदेशी सामग्री शामिल होगी।
- भारतीय विनिर्माताओं हेतु औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने की व्यवस्था को उदारीकृत किया गया है तथा औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता वाले रक्षा उत्पादों की सूची में से अधिकांश अवयवों को हटा दिया गया है। यह नए प्रवेशकों (विशेष रूप से लघु एवं मध्यम उद्यमों) हेतु प्रवेश बाधाओं को कम करेगा।
- भारतीय विक्रेताओं हेतु विनिमय दर परिवर्तन (ERV) से सुरक्षा, 'बाइ (ग्लोबल)' मामलों में ऑफसेट दायित्व तथा रक्षा उपकरणों पर उत्पाद/सीमा शुल्क जैसे उपाय भारतीय एवं विदेशी विनिर्माताओं के मध्य तथा सार्वजनिक क्षेत्रक एवं निजी क्षेत्रक के मध्य रक्षा क्षेत्र में प्रवेश के समान अवसर सुनिश्चित करेंगे।

5.1.1.2 रक्षा उत्पादन पर मसौदा नीति, 2018

(Draft Defence Production Policy, 2018)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा उत्पादन पर मसौदा नीति, 2018 (DProP, 2018) जारी की गयी।

पृष्ठभूमि

- भारत के रक्षा उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि देखने को मिली है। यह 2013-14 के 43,746 करोड़ रूपये से बढ़कर 2016-17 में 55,894 करोड़ रूपये हो गया।
- हालांकि, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की रिपोर्ट के अनुसार 2013-17 के मध्य विश्व के हथियार आयात में भारत की 12% की हिस्सेदारी रही है। इस प्रकार यह दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है।

मुख्य बिंदु

- इस नीति का उद्देश्य सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से एयरोस्पेस और रक्षा उद्योगों में भारत को विश्व के शीर्ष पांच देशों में सम्मिलित करना है।
- **उद्देश्य**
    - एक ऐसे परिवेश का निर्माण करना, जो 'मेक इन इंडिया' पहल के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में एक गतिशील, सुदृढ़ और प्रतिस्पर्धी रक्षा उद्योग को प्रोत्साहित करे।
    - देश में प्रौद्योगिकी के तीव्र समावेशन की सुविधा प्रदान करना और एक श्रेणीबद्ध रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना।
    - 2025 तक 13 निर्धारित क्षेत्रों जैसे कि लड़ाकू विमान, मिसाइल प्रणाली, छोटे हथियार, लैंड कॉम्बैट व्हीकल्स आदि के निर्माण में **आत्मनिर्भरता प्राप्त करना**।
    - 2025 तक हथियारों की घरेलू बिक्री में वृद्धि कर इसे 1.7 लाख करोड़ रुपये (26 अरब डॉलर) करना तथा रक्षा वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात को 35,000 करोड़ रुपये (5.0 अरब डॉलर) तक पहुँचाना।
    - साइबर स्पेस एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों में भारत को वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनाना।
- **नीति का उद्देश्य निम्नलिखित उपायों के माध्यम से ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस में सुधार करना है:**
    - घरेलू विनिर्माण; मुख्यतः स्टार्टअप्स और MSMEs (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) का समर्थन करने के लिए कर प्रणाली को तर्कसंगत बनाना और लाइसेंसिंग प्रक्रिया का उदारीकरण करना।

VISION IAS

- MSMEs समेत निजी रक्षा उद्योगों की विभिन्न तकनीकों को अपनाने की मूल क्षमता/दक्षता के आकलन हेतु **कॉम्पिटेंसी मैपिंग (Competency Mapping)** प्रारम्भ करना।
- हमारी सेनाओं द्वारा आगामी 10 वर्षों की समय-सीमा के भीतर खरीदे जाने हेतु विचाराधीन प्लेटफॉर्मों / हथियार प्रणालियों को सूचीबद्ध करने के लिए **टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव कैपेबिलिटी रोडमैप (TPCR)** का निर्माण करना।
- रक्षा उत्पादन क्षेत्र में उद्योगों के सुगम प्रवेश हेतु **रक्षा खरीद प्रक्रिया (DPP) 2016 की मेक-II प्रक्रिया** को सुव्यवस्थित करना।
- कुछ विशिष्ट प्रौद्योगिकियों के लिए स्वचालित मार्ग के तहत **FDI की अधिकतम सीमा** को **वर्तमान** 49% से बढाकर 74% तक करना।
- DPP के अंतर्गत एक **रक्षा निवेशक प्रकोष्ठ (डिफेन्स इन्वेस्टर सेल)** की स्थापना करना। यह प्रकोष्ठ, राज्य और अन्य प्राधिकरणों से संबंधित मुद्दों के निस्तारण एवं रक्षा उत्पादन में MSMEs एवं अन्य निवेशकों को सहायता प्रदान करने का कार्य करेगा।

- रक्षा क्षेत्र में FDI व्यवस्था को उदारीकृत बनाया जाएगा और विशिष्ट प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग के तहत 74% तक FDI सीमा को स्वीकृति दी जाएगी।
- बौद्धिक संपदा अधिकारों के पंजीकरण की सुविधा के लिए बौद्धिक संपदा प्रकोष्ठ का सृजन किया जाएगा।
- **स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना:** देश भर में **रक्षा नवाचार केंद्रों** की स्थापना हेतु **इनोवेशन फॉर डिफेन्स एक्सीलेंस (iDeX) स्कीम** का निर्माण किया जाएगा। इसका मुख्य कार्य रक्षा क्षेत्र के स्टार्ट-अप्स को आवश्यक समर्थन और अवसंरचना सहायता प्रदान करना है। साथ ही यह स्टार्टअप्स के समक्ष उपस्थित रक्षा संबंधी विशिष्ट अनुसन्धान एवं विकास आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 1,000 करोड़ रूपये के कोष की स्थापना भी करेगी।
- तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में **रक्षा औद्योगिक गलियारों** की स्थापना की जाएगी। इनमें से प्रत्येक गलियारा एक केंद्रीय इकाई (एंकर यूनिट) और उसके आसपास विकसित अन्य रक्षा उत्पादन इकाइयों का एक बड़ा समूह होगा।
- विदेशों में भारतीय रक्षा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्षेत्र के साथ संयुक्त रूप से **रक्षा निर्यात संगठन** को स्थापित किया जाएगा।
- **OFB और सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा देना:** ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को प्रतिस्पर्द्धी बनाने एवं उनकी उत्पादकता में सुधार करने हेतु उन्हें पेशेवर बनाया जाएगा।
- डिजाइन, विकास और विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और सरकार के मध्य 50:50 लागत साझाकरण के आधार पर एक **एयरोनॉटिकल यूनिवर्सिटी** की स्थापना की जाएगी।
- विस्तार एवं स्वदेशीकरण से सम्बंधित सैन्य एवं नागरिक विमानन आवश्यकताओं को जोड़ने के लिए एक स्वायत्त **नेशनल एयरोनॉटिकल कमीशन** की स्थापना की जाएगी।
- संभावित अवसरों के विषय में जागरूकता के प्रसार तथा विभिन्न हितधारकों द्वारा अनुभव की जाने वाली चुनौतियों को जन सामान्य के समक्ष लाने के लिए देश के विभिन्न भागों में **आउटरीच कार्यक्रम** आयोजित किए जाएंगे।
- **रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा उत्पादन विभाग (DDP)** रक्षा उत्पादन नीति, 2018 के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग होगा।
- राज्य सरकारों को इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए राज्य विशिष्ट एयरोस्पेस एवं रक्षा नीतियों के निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

संबंधित चिंताएं

- यद्यपि 2011 की नीति के विपरीत, 2018 की नीति का मसौदा एक स्पष्ट विज़न, उद्देश्यों का समुच्चय और रणनीतियाँ सुनिश्चित करता है; तथापि यह सरकार एवं निजी क्षेत्रक के मध्य विद्यमान विश्वास की कमी को सम्बोधित नहीं करता। इस विश्वास की कमी का कारण है सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा कंपनियों के गवर्निंग बोर्ड में रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति, जिसके कारण प्रायः बड़े अनुबंधों का आवंटन इनके पक्ष में हो जाता है।

VISION IAS

- मसौदा नीति विभिन्न हितधारकों के भिन्न-भिन्न हितों के वास्तविक समाधान प्रस्तुत नहीं करती है। इन हितधारकों में DDP, DRDO और MoD के अधिग्रहण विभाग सम्मिलित हैं जो एक-दूसरे से पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वतंत्र हैं।
- स्वदेशी उत्पादन हेतु चिह्नित की गई 13 भिन्न-भिन्न श्रेणियों में सम्मिलित वस्तुओं में से अधिकांश सामान्य सामग्री हैं तथा इनमें वे वस्तुएं शामिल हैं जिनका उत्पादन या तो किया जा रहा है अथवा जिन्हें निकट भविष्य में उत्पादन हेतु मंजूरी दी गई है। यह नीति ऐसी किसी विशिष्ट नई परियोजना के नाम का उल्लेख नहीं करती है जो उद्योग क्षेत्रक को संभावित व्यावसायिक अवसरों का संकेत देती हो।
- **बजट संबंधी बाधाएं** नीति के लिए निर्धारित निवेश को समयबद्ध तरीके से लाभप्रद होने से रोक सकती हैं।

5.1.1.3. रक्षा क्षेत्र में निजी भागीदारी

(Private Participation In Defence)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने 'मेक II' प्रक्रिया को सरल बनाया है।
- रक्षा मंत्रालय (MOD) ने निजी कंपनियों को सभी आर्मी बेस वर्कशॉप्स (ABW) का संचालन और प्रबंधन करने की अनुमति देने का भी निर्णय लिया है।

रक्षा खरीद प्रक्रिया में 'मेक' श्रेणी

- सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों में स्वदेशी क्षमताओं को प्रोत्साहित कर, 'मेक इन इंडिया' पहल में निहित दृष्टिकोण को साकार करने हेतु यह एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।

DPP-2016 के अनुसार, 'मेक' प्रक्रिया की दो उप श्रेणियां निर्धारित की गई हैं:

- मेक-I (सरकार द्वारा वित्तपोषित): इसमें 90% का सरकारी वित्त पोषण शामिल है, जिसे चरणबद्ध तरीके से जारी किया जाएगा।
- मेक-II (उद्योग द्वारा वित्तपोषित): इसके अंतर्गत, निजी उद्योग अपने उत्पाद के लिए अनुसंधान को निधि प्रदान करता है और उसका प्रोटोटाइप (मूल रूप) विकसित करता है। प्रोटोटाइप के विकास के लिए कोई सरकार द्वारा कोई वित्त प्रदान नहीं किया जाएगा, परंतु प्रोटोटाइप के सफल परीक्षण और विकास पर आर्डर दिए जाने का आश्वासन दिया जाता है।

मेक II प्रोसीजर, रक्षा खरीद प्रक्रिया (DPP) -2016 के मौजूदा 'मेक प्रोसीजर' में संशोधन करेगा।

- इससे रक्षा मंत्रालय को उद्योगों से प्राप्त स्व-प्रेरित प्रस्तावों को स्वीकार करने और साथ ही नए उद्यमों को भारतीय सशस्त्र बलों के लिए उपकरण विकसित करने की अनुमति प्राप्ति होगी।
- 'मेक II' परियोजनाओं में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता मानदंडों में छूट प्रदान की गई है। साथ ही तीन करोड़ से कम लागत वाली परियोजनाएं MSMEs के लिए आरक्षित रहेंगी।

आर्मी बेस वर्कशॉप्स (ABW)

- ABWs अब "GOCO (Government-Owned Contractor-Managed) मॉडल" के तहत संचालित किए जाएंगे। इस मॉडल में ठेकेदार उपलब्ध सुविधाओं का संचालन और उपयोग करता है एवं सभी प्रकार के कार्यों का प्रबंधन करता है। इसके साथ ही वह आपसी सहमति से निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक लाइसेंस, प्रमाणीकरण और प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए भी उत्तरदायी होता है।
- यह निर्णय डी बी शेकाटकर समिति की सिफारिशों के आधार पर होने वाले व्यापक सैन्य सुधारों का एक भाग है।

निजी भागीदारी की आवश्यकता

- **रक्षा बजट का प्रभावी उपयोग**: वर्तमान में रक्षा बजट का प्रमुख हिस्सा विदेश निर्मित उपकरणों को खरीदने में खर्च किया जाता है और इसके तहत विदेशों द्वारा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भी नहीं किया जाता है। निजी क्षेत्र की भागीदारी में वृद्धि से स्वदेशी क्षमता निर्माण में वृद्धि होगी और टिकाऊ परिसम्पत्तियों का निर्माण किया जाएगा जिससे आयात निर्भरता कम होगी।

VISION IAS

- **अर्थव्यवस्था में वृद्धि**: विनिर्माण क्षेत्रक का एक प्रमुख घटक होने के कारण रक्षा क्षेत्र एक प्रेरक के रूप में कार्य करता है जो उद्यमिता, निवेश और रोजगार को बढ़ावा देगा।
- **खरीद प्रणाली सुव्यवस्थित हो जाएगी**: विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता खरीद में देरी का कारण बनती है और कभी-कभार उनके द्वारा खराब गुणवत्ता उपलब्ध करा दी जाती है। इसके अतिरिक्त स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति में भी समस्याएं हैं।
- **सामरिक स्वायत्तता और आत्मनिर्भरता**: युद्ध जैसी गंभीर परिस्थितियों में सामरिक स्वायत्तता और आत्मनिर्भरता अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। कारगिल युद्ध के दौरान, अमेरिका द्वारा अपनी GPS सुविधा वापस ले लेने के कारण मृतकों की संख्या में वृद्धि हुई थी।

चुनौतियाँ

- रक्षा खरीद प्रक्रियाओं में क्षमता और अनुभव के आधार पर भारतीय कंपनियों के साथ पक्षपात किया जाता है। निजी कंपनियों को **रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स (RFP) के** स्तर पर भी बाहर रखने के लिए प्राय: उनकी अनुभवहीनता को कारण बताया जाता है।
- अधिकांश रक्षा खरीद प्रक्रियाओं में रक्षा क्षेत्र की PSUs और ऑर्डनेंस फैक्ट्रियों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नामांकन, निजी कंपनियों की कठिनाइयाँ बढ़ा देता है।
- अन्य देशों के साथ व्यापक विचार-विमर्श कर बनाई गई रणनीतिक योजनाओं की कमी अक्सर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में बाधा उत्पन्न करती है। अधिकांश सरकारों द्वारा बनाये गए कठोर निर्यात नियंत्रण नियम भी निजी कंपनियों की भागीदारी को प्रतिबंधित करते हैं।
- जटिल **भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण अनापत्तियाँ** तथा **बौद्धिक संपदा अधिकारों पर स्पष्टता की कमी के साथ-साथ लाइसेंसिंग में विलंब** आदि निजी क्षेत्र की भागीदारी में बाधा उत्पन्न करते हैं।
- **अपर्याप्त औद्योगिक-शैक्षणिक सहयोग और प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव** भी रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियां हैं।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **रक्षा खरीद प्रक्रिया (DPP) -2016** के अंतर्गत, 'Buy (Indian-IDDM)' 'Buy (Indian)', Buy & Make (Indian)' और 'Make' जैसी अधिग्रहण की श्रेणियों को 'Buy (Global)' पर प्राथमिकता दी गई है। IDDM का अर्थ है - स्वदेश विकसित डिज़ाइन और विनिर्माण (Indigenously Designed Developed and Manufactured) जिसमें न्यूनतम 40% स्थानीय सामग्री प्रयुक्त की गई हो।
- रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने सामरिक भागीदारी मॉडल (SPM: Strategic Partnership Model) के व्यापक ढाँचे को मंजूरी दी है। नीति का उद्देश्य भारत में उच्च तकनीक वाले रक्षा उपकरणों के निर्माण में भारतीय निजी क्षेत्र को शामिल करना है।
- 2014 में 'मेक इन इंडिया' पहल के बाद से 'औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (DIPP)' ने विभिन्न रक्षा सामग्रियों के निर्माण के लिए 61 कंपनियों को 81 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए हैं।
- प्रत्येक विषय के आधार पर 49% तक विदेशी निवेश स्वचालित मार्ग से और 49% से अधिक विदेशी निवेश को सरकारी मार्ग से अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त, सरकार रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100 प्रतिशत FDI देने के सम्बन्ध में विचार कर रही है।

- भारतीय निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के मध्य प्रतियोगिता का समान स्तर स्थापित करने के लिए उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क की विसंगतियों को समाप्त कर दिया गया है।
- रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र (विशेष रूप से SMEs) की भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु DPSUs और OFB के लिए आउटसोर्सिंग और वेंडर डेवलपमेंट गाइडलाइन्स तैयार की गई हैं। ये गाइडलाइन्स DPSUs और OFB को उपलब्ध भी करा दी गई हैं।
- हाल ही में, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय स्टार्ट-अप्स के लिए नए नियमों को निर्दिष्ट किया है ताकि वे सैन्य परियोजनाओं में भाग लेने में सक्षम हो सकें:
    - नए नियमों के तहत, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (DIPP) द्वारा मान्यता प्राप्त कुछ निश्चित श्रेणियों के स्टार्ट-अप्स, निर्दिष्ट रक्षा परियोजनाओं में भाग लेने के लिए स्वतः अर्ह होंगे।
    - स्टार्टअप्स की सहभागिता बढ़ाने हेतु, ऐसी परियोजनाओं के लिए जिनमें प्रोटोटाइप विकास की अवस्था की अनुमानित लागत 3 करोड़ रुपये से अधिक न हो 'स्टार्ट अप्स' और 'स्टार्टअप्स से पृथक', दोनों श्रेणियों के लिए कोई अलग तकनीकी या वित्तीय मानदंड परिभाषित नहीं किया जाएगा।
    - अपेक्षाकृत लघु अनुसन्धान एवं विकास परियोजनाओं हेतु सरकार ने भागीदारी के लिए आवश्यक कई नियमों को समाप्त कर नियमों को सरल बना दिया है।
    - ये नए नियम रक्षा खरीद प्रक्रिया के 'मेक II' श्रेणी पर लागू होते हैं।
    - इन निर्दिष्ट नियमों के तहत थल सेना, वायुसेना और नौसेना ऐसी परियोजनाओं का चुनाव करेंगी, जिन्हें इस श्रेणी के तहत प्रदान किया जा सकता है।

5.2. अवसंरचना में सुधार

(Improvement In Structure)

वर्तमान में दो प्रकार के संस्थान प्रासंगिक हैं-

- नागरिक-सैन्य संस्थान (सिविल-मिलिट्री इंस्टिट्यूशन्स) [बाद में वर्णन किया गया है]; तथा
- अंतर-सेवा संस्थान (इंटर-सर्विस इंस्टिट्यूशन्स) जो तीनों सेवाओं के मध्य संबंधों को दिशा-निर्देशित करती हैं।

आधुनिक युद्धों में संयुक्तता (jointness) के महत्त्व में अत्यधिक वृद्धि हुई है। संयुक्तता से आशय युद्ध की तैयारी और युद्ध के दौरान सभी सेवाओं के घनिष्ठ एकीकरण से है। यह स्पष्ट है कि भारतीय संस्थान अंतर-सेवा एकीकरण से बहुत दूर है।

- वर्ष 2001 में स्थापित एकीकृत रक्षा स्टाफ (IDS) ने भारत द्वारा इसकी सैन्य नीतियों के निर्माण एवं कार्यान्वयन पर अत्यल्प प्रभाव डाला है।
- कमान उत्तरदायित्व के साथ एक चीफ ऑफ़ डिफेन्स स्टाफ (CDS) पद के प्रश्न पर अंतर-सेवा से सम्बंधित विवाद नागरिक-सैन्य विवाद के साथ घनिष्ठ रूप से सम्मिश्रित हो गया है। इस पद के सन्दर्भ में विभिन्न समितियों द्वारा किये गए प्रस्ताव व्यर्थ रहे हैं।
- सरकार चीफ्स ऑफ़ स्टाफ कमेटी (CoSC) के स्थायी अध्यक्ष के पद के सृजन पर मंथन कर रही है। यह सेवाओं के संयुक्त मुद्दों को देखेगा, जैसे- सेना का प्रशिक्षण, हथियार प्रणालियों का अधिग्रहण तथा सेवाओं की संयुक्त कार्रवाई।
- यह अंडमान और निकोबार द्वीपों पर त्रि-सेवा कमान तथा आगामी साइबर एवं अंतरिक्ष कमान के साथ नाभिकीय हथियारों की सामरिक कमान का भी प्रभारी होगा। परन्तु चिंता का विषय यह है कि सेवा प्रमुखों से रैंक में समतुल्यता उसके व्यावहारिक प्राधिकार को कमजोर कर देगी।

निष्कर्षतः, ऐसी संस्थागत दुर्बलता हमारी क्षमताओं को अतिगंभीर रूप से सीमित करती है। ऐसे में हमें कारगिल युद्ध के सजग करने वाले अनुभव से अंतर-सेवा संबंधों के महत्त्व को समझने की आवश्यकता है। आधुनिकीकरण का अधिकांश महत्व भारतीय रक्षा विवादों तथा सरकार के सार्वजनिक संकेतन की बदलती प्रवृत्ति में निहित है। यह सकारात्मक और महत्वाकांक्षी शर्तों पर चर्चा के लिए नागरिक नेतृत्व तथा सैन्य सेवाओं की सम्मति में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

VISION IAS

वर्तमान रक्षा योजना संरचना (defence planning structure) से संबंधित चिंताएं

- भारत में वर्तमान रक्षा योजना अधिग्रहणों पर एकतरफा बल तथा नवीन प्रौद्योगिकी उन्नयन पर आवश्यकता से कम ध्यान केन्द्रित करने के साथ ही अत्यधिक असंबद्ध है।
- मंत्रालयों, नौकरशाहों तथा सेना के मध्य समन्वय का अभाव।
- अनेक सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने हेतु अपर्याप्त साधन।
- ऐसे लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करना जो तात्कालिक प्राथमिकता में नहीं आते हैं।
- दुर्लभ संसाधनों का दोहराव तथा व्यर्थ व्यय।
- रक्षा अनुसंधान एवं विकास तथा विनिर्माण आधार, आत्मनिर्भरता के अपने लक्ष्य से भटक रहा है।

5.2.1. भारत में नागरिक-सैन्य संबंध

(Civil Military Relations in India)

नागरिक-सैन्य संबंध (CMR) सम्पूर्ण नागरिक समाज तथा इसकी सुरक्षा हेतु स्थापित सैन्य संगठनों के मध्य संबंधों की व्याख्या करते हैं। नागरिक-सैन्य संबंधों के अध्ययन प्राय: इस मानक पूर्वधारणा पर आधारित हैं कि सेना पर नागरिक नियंत्रण राज्य पर सैन्य नियंत्रण से बेहतर है। जो राष्ट्र नागरिक-सैन्य संबंधों के अपने प्रतिमानों में उचित संतुलन स्थापित करते हैं उन्हें अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने में लाभ प्राप्त होता है। इसके साथ ही उनके राज्य की नीति के संचालनात्मक मुद्दों के सही समाधानों तक पहुंचने की सम्भावना अधिक होती है।

नागरिक-सैन्य संबंधों की एक सर्वोत्तम व्यवस्था को दो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के मध्य संतुलन स्थापित करना आवश्यक है:

1. इसे सुनिश्चित करना चाहिए कि राजनीतिक व्यवस्था के भीतर सशस्त्र बलों की भूमिका न्यूनतम हो तथा सैन्य नेतृत्व नागरिक प्राधिकरण के अधीनस्थ हो।

(a) इसका आशय एक ऐसी सेना की स्थापना से है, जो वो हर कार्य करने में सक्षम हो जिसकी अपेक्षा नागरिकों द्वारा की गयी है तथा जो इस प्रकार अधीनस्थ रहे कि केवल नागरिकों द्वारा अधिकृत कार्यवाही को ही सम्पन्न करे।

2. इसे सशस्त्र बलों को राज्य के सर्वाधिक शक्तिशाली दबावकारी अंग (coercive arm) और सेना नेतृत्व को हिंसा (जिसका प्रयोग सशस्त्र बलों को करना पड़ता है) को निर्देशित, संचालित और नियंत्रित करने में अपनी पेशेवर विशेषज्ञता बनाए रखने में सक्षम बनाना चाहिए।

(a) सैन्य मामलों में नागरिक 'हस्तक्षेप या व्यवधान' से अवश्य बचा जाना चाहिए क्योंकि यह सैन्य दक्षता और इस प्रकार अपने कार्यों के प्रभावशाली निष्पादन के संबंध में सशस्त्र बलों की क्षमताओं को क्षीण कर देगा। इस प्रकार नागरिक-सैन्य संबंधों की एक सर्वोत्तम व्यवस्था दो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के मध्य संतुलन स्थापित करती है।

वस्तुनिष्ठ नागरिक नियंत्रण (Objective Civilian Control) - यह सेना के प्राधिकार को सीमित करता है साथ ही नागरिकों से भी स्वयं को सेना के क्षेत्र से बाहर रखने की अपेक्षा करता है। वास्तव में एक अभेद्य परत नागरिक और सेना के मध्य श्रम विभाजन का सीमांकन करती है। इसे निम्नलिखित उपायों के माध्यम से बनाए रखा जा सकता है:

- सैन्य नेतृत्व की स्वतंत्रता पूर्व की लाभकारी प्रस्थिति में कमी करने के साथ-साथ सेना के नागरिक प्राधिकार के समक्ष विवेकपूर्ण अधीनीकरण के द्वारा।
- सामान्य परिस्थितियों में नागरिक नौकरशाही द्वारा तथा विशेष परिस्थितियों में रक्षा मंत्रालय की वित्त शाखा द्वारा सेना की हस्तक्षेपकारी निगरानी।
- सैन्य नेतृत्व को आंतरिक मामलों में अधिक स्वायत्तता प्रदान करना।
- ऐसे सुधारों के प्रति अनिच्छा जो अनजाने में एक सर्वशक्तिमान तथा आक्रामक सैन्य नेतृत्व का कारण बन सकते हैं।

VISION IAS

भारत की नागरिक-सैन्य संबंधों की कार्यप्रणाली निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है:

- सैन्य नेतृत्व को नागरिक प्राधिकार के अधीन रखना।
- सैन्य नेतृत्व को इस प्रकार से सशक्त न करना जो उनकी हठधर्मिता में योगदान करे।

सेना को औपचारिक रूप से अधीनस्थ कैसे रखा गया है?

- संविधान ने **राष्ट्रपति को सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति** के रूप में स्थापित किया है तथा राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व सम्पूर्ण मंत्रिमंडल में निहित किया है।
- परिणामस्वरूप **मंत्रिमंडल, रक्षा मंत्रालय** (जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री करता है) के माध्यम से **अपने सुरक्षा उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता है।**
- बाद के वर्षों में 'प्रशासनिक एवं सामाजिक दोनों ही दृष्टि से' सैन्य नेतृत्व की स्थिति कमजोर हुई। वर्ष 1955 में तीनों सेवाओं के प्रमुखों का पद कमांडर-इन-चीफ से चीफ ऑफ़ स्टाफ में परिवर्तित कर दिया गया।
- **सेना प्रमुख को पूर्वता-अधिपत्र में** नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य न्यायाधीशों और योजना आयोग के सदस्यों के बाद **25वें स्थान पर रखा गया है।**

सेना को आंतरिक स्वायत्तता

- पेशेवर कार्यपद्धति को बढ़ावा देने तथा राजनीतिकरण से बचाने के लिए राजनीतिक नेतृत्व द्वारा सैन्य नेतृत्व को व्यापक स्वायत्तता प्रदान की गयी है। राजनीतिक नेतृत्व द्वारा प्रत्येक सेवा द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु लागू किये जाने वाले अथवा बल दिए जाने वाले सिद्धांत के विषय में कभी कभार ही प्रश्न किया जाता है।
- इसी प्रकार नागरिक नेतृत्व द्वारा सशस्त्र बलों के नेतृत्व को सैन्य संरचना के विकास के सन्दर्भ में आज्ञापूर्ण निर्देश देने का प्रयास नहीं किया जाता है।
- चूंकि राजनेता सामान्यतया इन वृहत्तर पहलुओं (जो प्रत्यक्ष रूप से रणनीति और सिद्धांत से संबंधित हैं) पर सैन्य नेतृत्व की जाँच-पड़ताल करने से दूर हैं, अतः वे स्वाभाविक रूप से प्रशिक्षण, सैन्य शिक्षा तथा कतिपय पदों पर नियुक्तियों से संबंधित मुद्दों में भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं।

नागरिक-सैन्य संबंधों में शामिल मुद्दे

- नागरिक-सैन्य संबंधों में नागरिक नौकरशाही द्वारा निभाई जाने वाली विकृत भूमिका:
  - नौकरशाही व्यवस्था सैनिकों को विभिन्न स्तरों में उलझाकर राजनीतिक स्वामियों से पृथक करने के द्वारा सेना पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करती है।
  - भारत का राजनीतिक नेतृत्व सेना के साथ प्रत्यक्ष रूप से व्यवहार करने में न तो पर्याप्त रूचि रखता है और न ही इस विषय में पर्याप्त जानकारी रखता है। इस प्रकार नौकरशाही एक प्रतिनिधि के रूप में इस भूमिका का निष्पादन करती है।
  - यदि निर्णय निर्माणकारी राजनीतिक व्यवस्था को इस प्रकार से गठित किया जाता है कि इसमें सैन्य दृष्टिकोण पर्याप्त रूप से एकीकृत न हो तथा इसकी ओर से विशेषीकृत सैन्य निर्णयों को सामान्यज्ञ नौकरशाही द्वारा लिया जाए, तो स्वाभाविक रूप से ऐसे निर्णय सैन्य सुदृढ़ता की दृष्टि से गुणवत्तायुक्त नहीं होंगे।
- जहाँ नागरिक प्रशासन सेना को एक एजेंसी मानता है, जिसे उनके द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों का पालन करना चाहिए; वहीं सेना स्वयं को सुरक्षा और विदेश नीति के मुद्दों पर निर्णय निर्माण में एक समान हितधारक मानती है।
- वेतन एवं भत्तों से जुड़े मामले तथा कठिन परिस्थितियों में सैन्य सेवाओं हेतु यथोचित सम्मान के मुद्दे स्वस्थ नागरिक-सैन्य संबंधों में बाधक बनते हैं।
- इस सन्दर्भ में भारत सरकार के संस्थागत प्रश्रय के अंतर्गत नागरिक और सैन्य नेतृत्व के मध्य वार्ता हेतु एक संस्थागत प्रणाली का अभाव, चिंता का एक महत्वपूर्ण विषय है।
  - राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सम्भवतः एकमात्र ऐसा ढांचा है जहाँ सेना, राजनीतिक वर्ग तथा नौकरशाही नीति निर्माण के उद्देश्य से एक साथ प्रतिभाग करते हैं।
- किसी अशांत क्षेत्र में सामान्य स्थिति की पुनर्प्राप्ति में आवश्यक सहायता प्रदान करने हेतु निरपवाद रूप से सेना का आह्वान किया जाता है। कई बार सेना का प्रयोग स्थानीय जनता के अधिकारों के अतिक्रमण के संबंध में उनकी शिकायतों एवं आरोपों का कारण भी बना है।

VISION IAS

आगे की राह

- नागरिक और सैन्य नौकरशाही के मध्य इस असम्बद्धता को दूर करने के लिए नौकरशाही में भारतीय राजस्व सेवा या भारतीय वन सेवा के समान विशेषीकृत सैन्य सेवाओं का सृजन किया जा सकता है।
- परिचर्चा और समझ को बढ़ाने के लिए सैन्य शिक्षा में नागरिक पहलुओं का तथा नागरिक शिक्षा में सैन्य पहलुओं का समावेशन किया जाना चाहिए।
- राजनीतिक नेतृत्व हेतु प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में एक चीफ ऑफ़ डिफेन्स स्टाफ (CDS) की नियुक्ति महत्वपूर्ण है।
- पुलिस को एक प्रभावशाली बल के रूप में विकसित किया जाना ताकि बार-बार सैन्य सहायता की आवश्यकता न पड़े।
    - केन्द्रीय पुलिस बलों के साथ ही पुलिस का आवश्यक प्रशिक्षण और पेशेवर उन्नयन किया जाना चाहिए। इस संबंध में सेना द्वारा भी अत्यंत उपयोगी रूप से सहायता प्रदान की जा सकती है क्योंकि सेना के पास सम्पूर्ण देश में सुसज्जित और सक्षम प्रशिक्षण केंद्र हैं।

5.2.2. हाल में उठाये गये कदम (Recent Steps Taken)

5.2.2.1. रक्षा नियोजन समिति

(Defence Planning Committee)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) की अध्यक्षता में रक्षा नियोजन समिति (DPC) गठित की है।

DPC की प्रमुख विशेषताएं

- **प्रकृति**: DPC एक स्थायी अंतरमंत्रालयी निकाय होगा।
- **संघटन**: DPC में चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़ समिति (CoSC) के अध्यक्ष , अन्य सेनाध्यक्ष, रक्षा सचिव, विदेश सचिव तथा वित्त मंत्रालय के सचिव (व्यय) सम्मिलित होते हैं।
- आवश्यकता होने पर NSA को अन्य सदस्यों को सम्मिलित करने के अधिकार भी दिए गए हैं।
- यह समिति **चार उप-समितियों** के माध्यम से कार्य करेगी: नीति तथा रणनीति, योजना एवं क्षमता विकास, रक्षा कूटनीति, तथा रक्षा उत्पादन परिवेश पर उप-समितियां।
- रक्षा मंत्रालय में चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड स्टाफ़ DPC का सदस्य सचिव होगा तथा उसका मुख्यालय सचिवालय होगा।

कार्य

- यह राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति, रणनीतिक रक्षा मूल्यांकन तथा सिद्धांत; अंतर्राष्ट्रीय रक्षा अनुबंध; रक्षा उत्पादन पारितंत्र की रूपरेखा का निर्माण; रक्षा निर्यातों को प्रोत्साहित करने की रणनीति का निर्माण; और समग्र प्राथमिकताओं, रणनीतियों, तथा संभावित संसाधन की उपलब्धता के साथ ताल-मेल बैठाते हुए विभिन्न समय सीमाओं में सशस्त्र सेनाओं के लिए क्षमता विकास योजनाओं की प्राथमिकताओं का निर्धारण करेगी।
- यह 15 वर्षीय दीर्घकालीन समेकित परिदृश्य योजना (LTIPP), रक्षा प्रौद्योगिकी तथा भारतीय रक्षा उद्योग के विकास तथा वैश्विक प्रौद्योगिकी संबंधी उन्नति समेत राष्ट्रीय प्रतिरक्षा तथा सुरक्षा प्राथमिकताओं, विदेश नीति की अनिवार्यताओं, सैन्य परिचालन संबंधी निर्देशों तथा संबद्ध आवश्यकताओं, उपयुक्त रणनीतिक तथा सुरक्षा संबंधी सिद्धांतों, रक्षा अधिप्राप्ति तथा अवसंरचना विकास संबंधी योजनाओं **का आकलन एवं विश्लेषण करेगी**।

- अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु यह सभी मंत्रालयों के 'साधनों' व 'तरीकों' की पहचान करेगी, क्षमता निर्माण योजना हेतु सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति से स्वीकृति तथा बजट संबंधी सहयोग हेतु मार्ग-दर्शन इत्यादि प्राप्त करेगी।
- DPC अपनी सभी रिपोर्टों को रक्षा मंत्रालय को प्रस्तुत करेगी।

महत्व

- भारत में रक्षा योजना प्रक्रिया एकतरफा, असम्बद्ध और उपेक्षित गतिविधि बनी हुई है। पिछले प्रयास, इस बात का प्रमाण हैं। इन प्रयासों में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) के गठन में विफलता तथा साथ ही 'डिफेन्स प्लानिंग सेल' (1962), रक्षा योजना समिति (कैबिनेट सचिव के अंतर्गत 1977 में गठित) और डिफेन्स प्लानिंग स्टाफ (एक 3-स्टार महानिदेशक की अध्यक्षता में) शामिल हैं।
- इस समिति की संरचना रक्षा योजना के **सैन्य एवं नागरिक,** दोनों घटकों को एक ही मंच पर लाने के अपने उद्देश्य को प्रतिबिंबित करती है। यह एक ऐसी आधुनिक रक्षा रणनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो दक्ष हो और बदलती सुरक्षा वास्तविकताओं के साथ अनुकूलन स्थापित कर लेती हो।
- यह सेवाओं के मध्य और प्रत्येक सेवा की विभिन्न शाखाओं के भीतर **संसाधनों के कुशल वितरण** को प्रोत्साहित करेगी।
- **रक्षा विनिर्माण**: यह त्वरित निर्णयन के माध्यम से खरीद प्रक्रिया को **सुगम** बनाने में तथा घरेलू आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए मजबूत स्वदेशी रक्षा विनिर्माण आधार की स्थापना करने में सहायता करेगी। इसके परिणामस्वरूप भविष्य में रक्षा हथियारों का निर्यात भी किया जा सकता है।

5.2.2.2 एकीकृत थिएटर कमान

(Integrated Theatre Command)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि अब त्रि-सेवा संगठन में किसी एक सेवा का कोई अधिकारी अन्य दो सेवाओं के कर्मियों पर "प्रत्यक्ष कमान का उपयोग" कर सके, नए "सांविधिक नियमों और आदेशों" को अधिसूचित किया है। ये सभी सेवाएं अलग-अलग अधिनियमों और नियमों द्वारा शासित होती हैं।

महत्व:

- यह कदम विशेषतः रणनीतिक रूप से अवस्थित अंडमान एवं निकोबार कमान (ANC) के लिए उठाया गया है। ANC को अक्टूबर 2001 में भारत की प्रथम थिएटर कमान के रूप में स्थापित किया गया था किन्तु यह तीनों सेनाओं के अधिकार क्षेत्र संबंधी संघर्षों, सामान्य राजनीतिक-नौकरशाही उदासीनता, वित्त की कमी तथा पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण अपनी क्षमता प्राप्त करने में काफी हद तक विफल रही है।
- ANC का नौसेना कमांडर-इन-चीफ अब थल सेना एवं वायु सेना के अधिकारियों और अन्य कर्मियों को अपने अधीन प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित तथा अनुशासित कर सकता है। साथ ही इस दिशा में भी प्रयास जारी हैं कि अंततः समग्र भूमि तथा परिसंपत्ति को भी इसके नियंत्रण के अधीन लाया जा सके।
- हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में चीनी खतरे के विस्तार के कारण ANC में एक पूर्णतया एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में भारत की एकमात्र त्रि-सेवा कमान में एक संयुक्त लॉजिस्टिक नोड स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है। इसमें तीन घटक सम्मिलित होंगे:
    - जॉइंट लॉजिस्टिक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (JLC & CC), जो समग्र रूप से एक कमान संगठन है,
        - ट्राइ-सर्विस डिटैचमेंट एट मैटेरिअल ऑर्गेनाईजेशन (TRIDAMO), जो सशस्त्र बलों की लॉजिस्टिक आवश्यकताओ को पूरा करेगा, और
        - ट्राइ-सर्विस एडवांस्ड डिटैचमेंट (TRISAD), जो मुख्य भूमि पर स्थित है और केंद्रों (नोड्स) पर सैनिकों तथा उपकरणों को भेजने के उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगा।

VISION IAS

- सेना, नौसेना एवं वायु सेना के नियमों में परिवर्तन चीफ ऑफ़ डिफेंस स्टाफ (CDS) एवं एकीकृत थिएटर कमान की स्थापना की दिशा में प्रथम कदम है।

एकीकृत थिएटर कमान क्या है?

- इसके अंतर्गत सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण किसी भौगोलिक क्षेत्र (थिएटर) के लिए एक कमांडर के अधीन तीनों सेनाओं की एक एकीकृत कमान की परिकल्पना की गयी है।
- एकीकृत थिएटर कमांडर किसी विशिष्ट सेवा के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। वह अपनी कमान को एक सशक्त युद्धक बल के रूप में संगठित करने के उद्देश्य से उसे प्रशिक्षित करने, सुसज्जित करने एवं उसके अभ्यास आयोजित करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- थिएटर कमांडर के अधीन चलाये जाने वाले ऑपरेशनों के लिए आवश्यक लॉजिस्टिक संसाधनों को उसी के नियंत्रण में रखा जाएगा ताकि ऑपरेशन के दौरान आवश्यक संसाधनों के लिए उसे किसी पर निर्भर न रहना पड़े।

इनकी आवश्यकता है:

त्रि-सेवा प्रमुख

- सरकार को एकल बिंदु सैन्य परामर्श देने, तीनों सेनाओं के मध्य सैद्धांतिक, योजनागत, खरीद और परिचालन मामलों में सहक्रिया स्थापित करने के लिए इस पद की आवश्यकता है।
- 1999 के कारगिल युद्ध के पश्चात् मंत्री समूह (GoM) की रिपोर्ट में चीफ ऑफ़ डिफेंस स्टाफ (CDS) के पद की दृढ़ता से अनुशंसा की गयी है।
- 2012 में गठित नरेश चन्द्र टास्क फोर्स द्वारा भी चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी (तुलनात्मक रूप से CDS का कम अधिकारिता युक्त संस्करण) के स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की अनुशंसा की गयी।
- लेफ्टिनेंट जनरल डी. बी. शेकटकर समिति का गठन 2016 में किया गया था। समिति ने थलसेना, नौसेना और वायु सेना के अधिकारियों के अतिरिक्त, मुख्य समन्वयक के रूप में एक नए 4 स्टार जनरल की नियुक्ति करने का सुझाव दिया।
- लगभग 70 से अधिक देशों में सैन्य योजना और ऑपरेशन को एकीकृत करने हेतु CDS के समान पद की व्यवस्था की गयी है।

संयुक्त कमानें

- थिएटर कमान सैन्य बलों को एकीकृत भूमि-वायु-समुद्री ऑपरेशनों के लिए तैयार करने, लागत प्रभाविता में वृद्धि करने एवं संसाधनों के प्रभावी उपयोग में सहायक है।
- अंतरिक्ष, साइबर स्पेस एवं विशेष ऑपेरशनों के संचालन हेतु एक एकीकृत कमान की आवश्यकता है।
- भारत में 17 एकल सर्विस कमानें हैं (थल सेना में 7, वायु सेना में 7 और नौसेना में 3)।
- संयुक्त कमानों की संख्या केवल 2 है- अंडमान एवं निकोबार कमान (थिएटर) तथा नाभिकीय हथियारों के प्रबंधन हेतु सामरिक बल कमान।

5.2.2.3. स्पेस, साइबर और स्पेशल ऑपरेशन कमांड का निर्माण

(Creation of Space, Cyber and Special Operations Commands)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत डिफेंस साइबर एजेंसी, डिफेंस स्पेस एजेंसी तथा स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन नामक तीन नए संगठनों (formations) के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है।

VISION IAS

पृष्ठभूमि

- यह पहल **चीफ़ ऑफ स्टाफ कमेटी (2012)** की अनुशंसाओं पर आधारित है। इस कमेटी के द्वारा अत्याधुनिक युद्धों में साइबर, स्पेस (अंतरिक्ष) तथा स्पेशल ऑपरेशन के बढ़ते महत्व के कारण तीन नई संयुक्त कमानों के निर्माण की अनुशंसा की गयी थी।
- **भारतीय सशस्त्र बलों के संयुक्त सैन्य सिद्धांत, 2017** के अंतर्गत भी स्पेस (अंतरिक्ष), साइबर स्पेस और स्पेशल ऑपरेशंस की **"उभरती तिकड़ी"** के लिए रक्षा बलों को तैयार करने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है।

विवरण

- थलसेना, वायु सेना और नौसेना के मध्य संबंधित क्षेत्रों में एकीकरण और संबद्धता को बढ़ावा देने के लिए इन तीन संगठनों को **त्रि-सेवा संगठनों** के रूप में विकसित किया जाएगा।
- ***डिफेंस साइबर एजेंसी*** (DCA) राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सलाहकार के साथ निकटस्थ समन्वय में कार्य करेगी। इसके विशेषज्ञों को थलसेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना की विभिन्न इकाइयों को उपलब्ध करवाया जाएगा तथा उनके द्वारा महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा सहित गैर-नागरिक साइबर मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा।
- निगरानी उपग्रहों से जानकारी सहित अंतरिक्ष संसाधनों के बेहतर उपयोग और एकीकरण के लिए **डिफेंस स्पेस एजेंसी** (DSA), ISRO तथा DRDO के साथ मिलकर कार्य करेगी।
- ***स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन*** (SOD), सेनाओं के विशेष बलों यथा पैरा कमांडो (थल सेना), मार्कोस (नौसेना) और गरुड़ (वायुसेना) से मिलाकर बना कर्मियों का एक केंद्रीय समूह (pool) होगा। ये गैर-परंपरागत युद्ध क्षमताओं के लिए सुसज्जित और प्रशिक्षित होंगे।
- इन एजेंसियों का नेतृत्व थल सेना के मेजर जनरल रैंक के अधिकारियों तथा नौसेना और वायु सेना के उनके समकक्ष अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।
- इन संगठनों की स्थापना की अनुशंसा **नरेश चन्द्र टास्क फ़ोर्स, 2012** द्वारा की गयी थी।

महत्त्व

- **युद्ध के पांचवें आयाम के रूप में साइबर स्पेस:** वर्तमान में साइबर स्पेस अनुप्रयोगों के अंतर्गत सर्विलांस, इंटेलिजेंस तथा वास्तविक रूप में आक्रामक एवं रक्षात्मक सैन्य ऑपरेशन सम्मिलित हैं। महत्वपूर्ण ICT नेटवर्कों पर हमला कर वास्तविक हमले की तुलना में अधिक महत्त्वपूर्ण सैन्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय तुलना:** चीन ने उन्नत अंतरिक्ष और साइबर स्पेस सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन किया है, जिसके अंतर्गत उन्नत ASAT (एंटी-सैटेलाइट), निर्देशित ऊर्जा लेजर हथियार और साइबर हथियार शामिल हैं। इस प्रकार यह अपरिहार्य है कि भारत भी साइबर, स्पेस और स्पेशल ऑपरेशंस के क्षेत्र में अपनी घरेलू क्षमताओं का विकास करे।
- **विशिष्ट कार्यक्रम:** भारत ने पिछले वर्ष पाकिस्तान के खिलाफ 'सर्जिकल स्ट्राइक' किया था जो कि मुख्य रूप से सैन्य नेतृत्व वाला अभियान था। साइबर और अंतरिक्ष क्षेत्र की ये नई एजेंसियां हमें 'योजना निर्माण' की क्षमता प्रदान करती हैं तथा विशिष्ट बलों को विशेष अभियानों के संचालन में सहायता करती हैं।

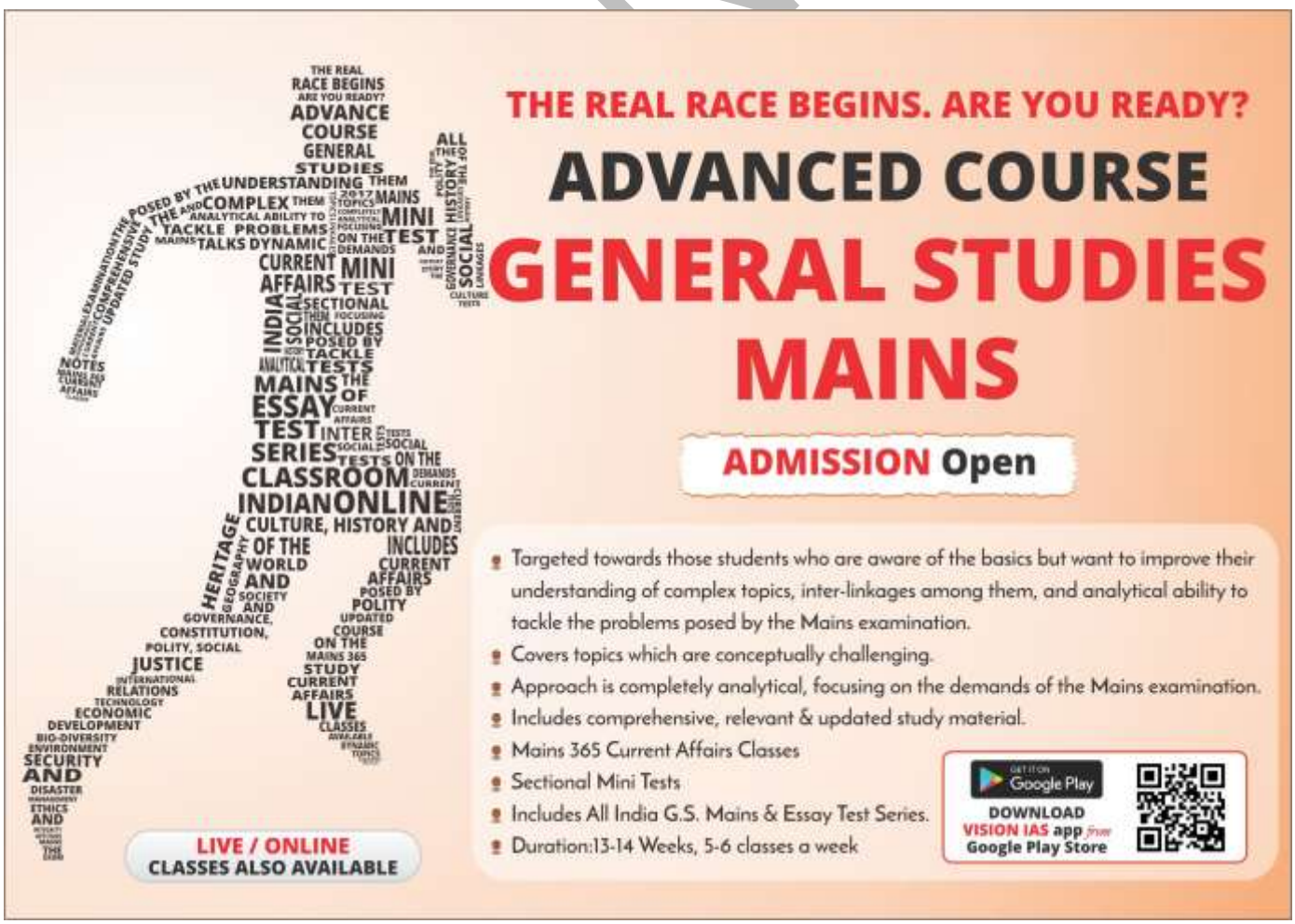

6. आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में प्रौद्योगिकी,संचार ,मीडिया और सोशल मीडिया

(Technology, Communication, Media and Social Media in Internal Security)

6.1.प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा

(Technology and National Security)

सकारात्मक राष्ट्रीय सुरक्षा परिणामों के लिए प्रौद्योगिकी सक्षमता अपरिहार्य है, किन्तु यह भी सत्य है कि कट्टरपंथ,आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध में लिप्त अपराधियों द्वारा इसके दुरुपयोग की भी अत्यधिक संभावना है। इन अपराधियों को सभी जगह उपलब्ध ऐसे प्रौद्योगिकी कार्यबल तक पहुंच प्राप्त है जो किसी भी भौगोलिक सीमा या संगठनात्मक अवसंरचना से बंधा हुआ नहीं है। इस प्रकार की पहुँच अपराधियों को अत्यधिक दक्ष बना देती है।

21 वीं शताब्दी की रक्षा तैयारियों में तकनीकी सामर्थ्य का प्रदर्शन, विभिन्न सैन्य अभ्यासों के माध्यम से प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन, शक्ति की अभिव्यक्ति के उद्देश्य और प्रभावी प्रतिरोध तंत्र के निर्माण हेतु नए हथियारों / हथियारों का प्रयोग करने के प्लेटफार्मों के 'परीक्षणों' का आयोजन सम्मिलित है। संक्षिप्त रूप में सुरक्षा और प्रौद्योगिकी परस्पर अंतर-सम्बंधित हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी किस प्रकार सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है?

- विविध प्रकार के और सदैव परिवर्तनशील खतरे का सामना कर रहे राष्ट्र की प्रतिक्रियाओं को लचीलापन प्रदान करने हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षमताओं एवं अवसंरचना का उन्नत होना अत्यावश्यक है। इसके माध्यम से खतरे से निपटने हेतु नीति निर्माताओं को अधिक साक्ष्य-आधारित विकल्प प्रदान किए जा सकते हैं।
- हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के क्षेत्रों में हुए विभिन्न नवाचारों ने सेनाओं को अपने आधारभूत हार्डवेयर और संगत अवसंरचना को तीव्र, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने में सहायता प्रदान की है। उदाहरण के लिए, व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (Comprehensive Integrated Border Management System: CIBMS), सीमा सुरक्षा ग्रिड, हैक प्रूफ संचार आदि के लिए क्वांटम क्रिप्टोग्राफी इत्यादि।
- **सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियां** नेटवर्क केंद्रित युद्ध की अवधारणा को वास्तविक रूप प्रदान करने में सहायक रही हैं।
  - विभिन्न IT उपकरणों ने विभिन्न सैन्य प्लेटफार्मों के परिष्करण और उनमें गति लाने की दिशा में सहायता की है। उदाहरण के लिए, भारत की केंद्रीय निगरानी प्रणाली (CMS) जो देश के समस्त फोन और ऑनलाइन संचार की निगरानी करने में सहायता करती है।
  - अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियां, संचार और नौवहन संबंधी प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक हैं और खुफिया जानकारी के संग्रह के उद्देश्य से उपग्रह अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त भविष्य में NATGRID पहल खुफिया एजेंसियों के डेटा को एकत्रित करने में सहायक होगी।
- **नैनो-प्रौद्योगिकी:** इलेक्ट्रॉनिक्स और पदार्थ विज्ञान दोनों में इसकी व्यापक उपयोगिता है। यह अंततः जहाजों, विमानों तथा अंतरिक्षयानों को हल्का और मजबूत बनाती है। इससे राज्यों को इन विमानों का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने की अनुमति मिल जाएगी और उड़ान की ऊंचाइयों एवं भार ले जाने की क्षमताओं के संबंध में व्यापक तौर पर लचीलापन प्राप्त होगा।
- **जैव-प्रौद्योगिकी** लॉजिस्टिक आपूर्ति श्रृंखला में एक क्रांति ला सकती है। इससे ऐसे हल्के खाद्य पदार्थों के निर्माण में सहायता मिलेगी जिन्हें ले जाना आसान होगा, अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकेगा तथा जिनमें पोषण की मात्रा भी अधिक होगी। तकनीक का प्रयोग कर सैनिकों की वर्दी को अधिक हल्का बनाया जा सकता है और उसे छद्म रूप धारण करने की क्षमताओं से लैस किया जा सकता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती के रूप में प्रौद्योगिकी

- **संचार और सूचना क्रांति** जैसे - वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, सोशल मीडिया का प्रसार आतंकवादियों, अपराधियों और जासूसों के लिए एक-दूसरे के साथ संवाद करना, प्रचार-प्रसार करना, सूचना एकत्र करना, जासूसी करना और आपराधिक गतिविधियों का संचालन करना सुगम बनाती है।

VISION IAS

- **साइबर खतरे**: साइबर संघर्ष और साइबर शोषण राज्य की सुरक्षा के समक्ष नए खतरे हैं। अनेक संगठित अपराध नेटवर्क और सीमान्त चरमपंथी समूह डेटाबेस को हैक करते हैं और विशिष्ट सूचना की चोरी करते हैं। कई मामलों में तो इनकी अवस्थिति का पता भी नहीं चलता। भारत सोशल मीडिया के माध्यम से साइबर अपराधियों द्वारा लक्षित किये जा रहे देशों में से एक है। वास्तव में अमेरिका, चीन इत्यादि देश इलेक्ट्रॉनिक जासूसी में भी सम्मिलित हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध नेटवर्क:** संसाधनों तक अधिक पहुंच और उन्नत तकनीक के उपयोग से अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधियों अपनी जोखिम प्रबंधन रणनीतियों में महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हुआ और इस प्रकार वे राज्य सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त से बच जाते हैं।
- **हथियारों की होड़ :** प्रौद्योगिकी ने सैन्य क्षमताओं को अधिक बेहतर बनाया और इसने राज्यों के मध्य हथियारों की होड़ को बढ़ावा दिया है।

सोशल मीडिया और राष्ट्रीय सुरक्षा

सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया का उपयोग कैसे कर सकती हैं?

- सूचना साझा करने वाले सुरक्षित समुदायों का निर्माण करने हेतु नागरिकों को सूचित करना और उन्हें सहभागी बनाना;
- दुर्भावनापूर्ण अफवाहें फैलाने के लिए सामाजिक मंचों के दुरुपयोग से निपटने हेतु ऐसे प्लेटफॉर्मों पर आवश्यक एजेंसियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना। इस प्रकार की अफवाहें आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए समस्याओं को बढ़ा सकती हैं। इसके साथ ही आपातकालीन परिस्थितियों के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया तैयार करना।
- इस मुद्दे के संबंध में नागरिकों की मनोदशा को समझने, पैटर्नों एवं भविष्य में आने व्यवधानों के संभावित उत्प्रेरक अवसरों (फ़्लैश पॉइंट्स) का पूर्वानुमान लगाने के लिए तथा साइबर अपराधों को रोकने एवं उनके विरुद्ध कार्रवाही करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध डेटा का उपयोग करना;
- एक व्यवहार्य आसूचना प्रणाली का निर्माण करना जो एजेंसियों के मध्य साझा करने योग्य मानवीय आसूचना सम्बन्धी कार्यकलापों में सहायता कर सके। साथ ही यह सन्निहित रक्षोपायों से युक्त भी हो ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नागरिकों की निजता का अतिक्रमण न हो।

पुलिसिंग संबंधित मुद्दों में सोशल मीडिया को अपनाने में चुनौतियां:

- तकनीक का प्रयोग किस प्रकार किया जाए, इस पर स्पष्टता का अभाव
- पर्याप्त इंटरनेट अवसंरचना का अभाव
- प्रतिभा की तत्काल उपलब्धता का अभाव,
- स्थानीय स्तर पर सोशल मीडिया जैसे माध्यमों से निपटने के लिए आवश्यक कर्मियों और सॉफ्ट स्किल की कमी.
- भारत में भाषाओं की बहुलता के कारण प्रौद्योगिकी के और अधिक अनुकूलन की आवश्यकता है। इसके लिए मानवीय और पूंजीगत, दोनों प्रकार के निवेशों के साथ-साथ बजट योजनाओं का पुन: निर्धारण भी आवश्यक होगा।

सोशल मीडिया- राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक खतरा:

- सूचना के साधनों और उपयोगकर्ता सामग्री के सर्जक के रूप में टेलीविज़न, सोशल और ऑनलाइन नेटवर्क जैसे मीडिया के विभिन्न रूपों के अभिसरण का कानून और व्यवस्था के साथ-साथ सुरक्षा पर भी बहुआयामी प्रभाव पड़ता है।
- 2012 में असम में नृ-जातीय संघर्ष के पश्चात् वैमनस्य बढाने वाले क्लिप और घृणित संदेशों को भेजने के लिए मोबाइल और सोशल नेटवर्क इंटरफेस का प्रयोग किया गया था। इसके कारण उत्तर-पूर्वी राज्य के निवासियों में घबराहट फैली और बड़े पैमाने पर भारत के विभिन्न क्षेत्रों से उनका पलायन हुआ।
- अत्यधिक उच्च मात्रा और तीव्र वेग से सूचना का प्रसार करने की सोशल मीडिया की क्षमता राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष खतरा उत्पन्न करती है।
- ISIS और अन्य आतंकवादी संगठन अपना प्रचार-प्रसार करने के लिए और युवाओं को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं।

VISION IAS

पुलिसिंग के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग कई पहलों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है जैसे:

- यातायात से संबंधित मुद्दों के सुगमतापूर्वक नियंत्रण हेतु दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा फेसबुक या ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्मों का उपयोग करना,
- खो गई वस्तुओं के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कराने की सुविधा प्रदान करना ,
- इंदौर पुलिस आपराधिक गतिविधि को ट्रैक करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग कर रही है,
- बेंगलुरू पुलिस का ट्विटर हैंडल "ट्विटर संवाद" के लिए चयनित किया गया है।
- महाराष्ट्र पुलिस द्वारा संचालित सोशल मीडिया लैब्स प्रोजेक्ट, सोशल मीडिया पर पूर्वानुमानित और अचानक भड़की गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु उसे ट्रैक करता है।

आगे की राह

- **राष्ट्रीय सोशल मीडिया नीति की रूपरेखा को संस्थागत बनाना**: साइबर सुरक्षा खतरों से पृथक सामाजिक मीडिया चुनौतियों को भी सम्मिलित करने के लिए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति को पुनः संशोधित करने की आवश्यकता है।.
- सोशल मीडिया में संलग्नता से सम्बंधित दिशा-निर्देशों के फ्रेमवर्क को कार्यान्वित करना और उन्हें संस्थागत बनाना। साथ ही सोशल मीडिया द्वारा उत्पन्न की गयी चुनौतियों पर जागरुकता उत्पन्न करना।
- **एजेंसियों को सशक्त बनाना, प्रतिभा का सृजन करना और विशेषज्ञों का उपयोग करना:** यदि सोशल मीडिया को सभी कर्मियों द्वारा दैनिक जीवन में अपनाया जाता है तो एजेंसियों को अपने विशिष्ट उद्देश्यों हेतु इसका उपयोग करने के लिए तकनीकी ,कानूनी और वित्तीय रूप से सशक्त बनाया जाना चाहिए।

6.2 आधार और राष्ट्रीय सुरक्षा

(Aadhaar and National Security)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार के कथित डेटा उल्लंघनों के कारण द्वि-स्तरीय सुरक्षा प्रणाली प्रारंभ करने की घोषणा की है ।

आधार और राष्ट्रीय सुरक्षा के मध्य सकारात्मक संबंध

- **राष्ट्रीय सुरक्षा के आलोक में आधार की शुरुआत :** राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा करने वाली कारगिल समीक्षा समिति ने संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को "बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान" कार्ड जारी करने की अनुशंसा की थी I आगे चलकर इसका विस्तार सभी नागरिकों तक करने का निर्णय लिया गया।
- **आसान निगरानी -** आतंकवाद, तस्करी आदि गतिविधियों हेतु अवैध लेन-देन करने के लिए बॉयोमीट्रिक्स या अन्य आंकड़ों का दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति का अब पता लगाना अधिक आसान होगा।
- **संसाधनों का दोहराव समाप्त-** आधार कार्ड के माध्यम से संसाधनों का दोहराव समाप्त होगा, जिससे सरकार के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे ।
- **मजबूत सामाजिक सुरक्षा -** यह कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मजबूत, कुशल और द्रुत प्रणाली है। यह सामाजिक सुरक्षा के दायरे में अधिक लोगों को लाने में सक्षम है।

हालांकि, सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि संपूर्ण आबादी का डाटाबेस बनाने से राष्ट्रीय सुरक्षा के जोखिम में वृद्धि न हो। इस प्रकार, सरकार को इससे उत्पन्न होने वाली निम्नलिखित सम्भावित समस्याओं का अंत करने का प्रयास करना चाहिए :

- **बड़े पैमाने पर निगरानी का डर -** इससे किसी व्यक्ति की सहमति लिए बिना उसकी ट्रैकिंग या अवैध रूप से उसकी पहचान की जा सकती है।
- **साइबर सुरक्षा की समस्या -** साइबर हमलों या पहचान तथा डेटा चोरी आदि खतरों से सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है जैसे फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में बांग्लादेशी बैंक खाते द्वारा की गयी साइबर डकैती या लगभग 150 देशों को प्रभावित करने वाला वानाक्राई रैंसमवेयर आदि साइबर सुरक्षा के लिए चुनौतियाँ हैं।

VISION IAS

- **वित्तीय सुरक्षा में समस्याएं -** वर्तमान में चूँकि बैंक खाता, पैन कार्ड आदि को आधार से जोड़ा जा रहा है अतः संभव है UID डेटाबेस के अतिक्रमण से व्यक्तियों और कंपनियों की संवेदनशील वित्तीय जानकारी भी सामने आए जैसे *एक्सिस बैंक, ईमुद्रा* आदि के द्वारा भुगतान लेन-देन करने के लिए आधार बायोमैट्रिक्स के गैर कानूनी भंडारण का प्रकरण आदि।
- **आंतरिक मिलीभगत -** एक खोजी वेबसाइट ने छोटी-मोटी रिश्वत के लिए पहचान या पते के प्रमाण के बिना आधार कार्ड बनाए जाने की सूचना दी है। इससे अवैध प्रवासियों के लिए भी आधार प्राप्त करना संभव हो जाता है जिससे इसका उद्देश्य विफल हो सकता है।
- **भौतिक आधार कार्ड में सुरक्षा विशेषताएं -** आधार कार्ड पर कोई भी होलोग्राम या डिजिटल हस्ताक्षर नहीं होता है बल्कि सिर्फ एक QR कोड होता है, जो टेक्स्ट का चित्रात्मक निरूपण मात्र है। अतः अपने भौतिक रूप के समान ही इसकी रंगीन फोटोप्रति मूलप्रति जितनी अच्छी प्रतीत हो सकती है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा -** "राष्ट्रीय सुरक्षा" को परिभाषित किया जाना चाहिए ताकि आधार कानून की धारा 32 में दी गई व्यापक 'राष्ट्रीय सुरक्षा' धारा का दुरुपयोग न हो।

निजता का उल्लंघन करने के संभावित तरीके

- **UID का उपयोग कर सहमति के बिना पहचान:** सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में किसी व्यक्ति की गतिविधियों को उसकी सार्वभौमिक आधार ID (जो कि इन सभी क्षेत्रों में वैध है) का उपयोग करके संभावित रूप से ट्रैक किया जा सकता है।
- बायोमेट्रिक डेटा का उपयोग कर सहमति के बिना पहचान: आधार डेटाबेस में संगृहीत फिंगरप्रिंट, आईरिस स्कैन या चेहरे की तस्वीरों से मिलान करके या जनसांख्यिकीय डेटा का उपयोग करके लोगों को उनकी सहमति के बिना और कानूनी प्रावधानों से अलग हटकर अवैध रूप से पहचानने हेतु बायोमेट्रिक्स का अनाधिकृत उपयोग हो सकता है।
- आधार डेटाबेस में निहित प्रमाणीकरण और पहचान रिकॉर्ड और चिह्नों (ट्रेल्स) का उपयोग कर , उचित प्राधिकरण या कानूनी स्वीकृति के बिना लोगों की अवैध ट्रैकिंग, जिसमें सामान्यतः प्रमाणीकरण या पहचान का सटीक स्थान, समय और संदर्भ तथा सेवाओं का लाभ उठाने की सूचना भी शामिल होती है।
- बाहरी हैक या आंतरिक लीक और मिलीभगत के माध्यम से केंद्रीकृत डाटाबेस का उपयोग करके व्यक्तियों की अवैध प्रोफाइलिंग ।

प्रस्तावित द्विस्तरीय सुरक्षा प्रणाली

- **वर्चुअल IDs**
  - यह 16 अंकों की एक अस्थायी संख्या (OTP की तरह) है जिसे केवल आधार धारकों द्वारा ही अपनी पहचान को सत्यापित करने के लिए सृजित किया जा सकता है और आधार संख्या के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है।
  - इसे UIDAI के पोर्टल, नामांकन केंद्र, आधार मोबाइल ऐप आदि के माध्यम से उत्पन्न किया जा सकता है।
  - किसी निश्चित पर किसी आधार संख्या के लिए केवल एक सक्रिय और वैध VID होगा।
- **सीमित KYC:** इसमें e-KYC प्रमाणीकरण के लिए एजेंसी-विशिष्ट UID 'टोकन' प्रदान करना शामिल है। यह विभिन्न एजेंसियों के लिए आधार संख्याओं को संगृहीत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है जबकि वे इसके बावजूद पेपरलेस KYC में सक्षम बनी रहेंगी।
- आधार डेटा की बेहतर सुरक्षा हेतु सभी प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता एजेंसियां (AUAs) को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा:
  - **वैश्विक AUAs -** वे एजेंसियां जिनकी सेवाओं के लिए, कानूनी रूप से आधार संख्या को संगृहीत करने की आवश्यकता होती है, वे वैश्विक AUAs के रूप में अर्ह होंगी और किसी व्यक्ति के पूर्ण जनसांख्यिकीय विवरण तक पहुंच का लाभ उठाएंगी; साथ ही उनके पास उनके सिस्टम में आधार संख्याएं संगृहीत करने की अर्हता भी होगी।
  - **स्थानीय AUAs-** इन्हें न तो पूर्ण KYC तक पहुंच प्राप्त होगी और न ही ये अपने सिस्टम पर आधार संख्या संगृहीत

VISION IAS

कर सकते हैं। इसके बदले, इन्हें अपने ग्राहकों की पहचान के लिए UIDAI द्वारा जारी टोकन नंबर मिलेगा। UID टोकन प्रत्येक विशेष AUA इकाई के लिए प्रत्येक आधार संख्या हेतु 72-करैक्टर की एक विशिष्ट अल्फान्यूमेरिक स्ट्रिंग होगी।

AUA क्या है?

- यह एक ऐसी इकाई है जो आधार संख्या धारकों को आधार सक्षम सेवाएं प्रदान करती है। यह ऑथेंटिकेशन सर्विस एजेंसी (ASA) द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली प्रमाणीकरण की सुविधा का उपयोग करती है।
- एक AUA भारत में पंजीकृत एक सरकारी, सार्वजनिक या निजी वैध एजेंसी हो सकती है जो UIDAI की आधार प्रमाणीकरण सेवाओं का उपयोग करती है और अपनी सेवाओं या व्यावसायिक कार्यों को सक्षम बनाने के लिए प्रमाणीकरण अनुरोध भेजती है।
- ASAs ऐसी संस्थाएं हैं जिनके पास CIDR के साथ सुरक्षित लीज्ड लाइन कनेक्टिविटी होती है और ये एक या अधिक AUAs की ओर से CIDR को प्रमाणीकरण अनुरोध भेजती हैं।

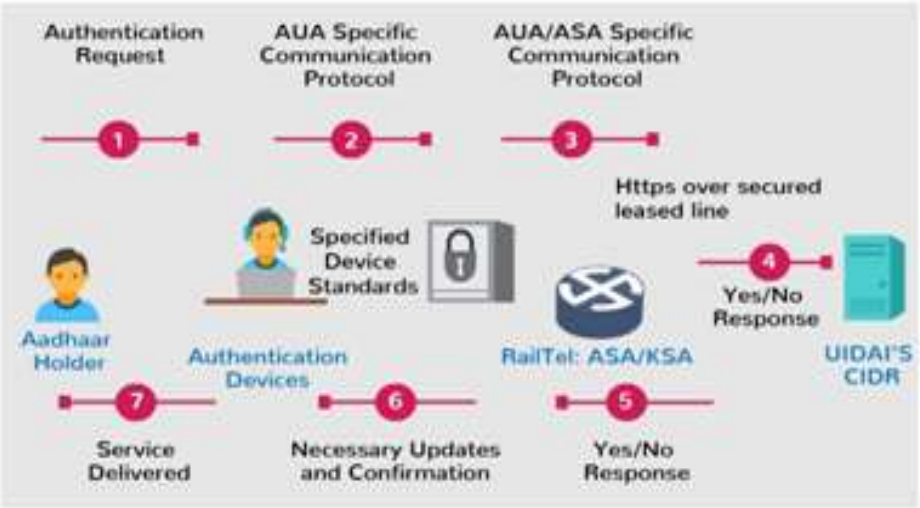

सरकार ने भी आधार प्रणाली में विभिन्न सुरक्षा उपाय किए हैं, जैसे :

- किसी भी लेन-देन के दौरान आधार प्रणाली को लेनदेन कर्ता, व्यक्ति या कंपनी के उद्देश्य पता नहीं चलता है।
- प्रत्येक डेटा पैकेट को एन्क्रिप्टेड रूप में संगृहीत किया जाता है जो पारगमन के दौरान गैर-परिवर्तनीय होता है, इस प्रकार किसी भी अन्य प्रणाली/व्यक्ति द्वारा इस तक अनाधिकृत रूप से पहुंचना संभव नहीं होता है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा से भिन्न किसी भी अन्य कारण से सूचना का प्रकटीकरण नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में किसी सूचना का प्रकटीकरण करने से पहले संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी लिखित रूप में कारण अभिलेखित करेगा। इसकी देख-रेख के लिए उच्च स्तरीय समिति भी गठित की गई है।
- पोर्टल पर UID डेटा प्रकाशित करने के लिए तीन वर्ष तक के कारावास का प्रावधान किया गया है।
- हाल ही में प्रस्तावित द्वि-स्तरीय सुरक्षा प्रणाली।

अनुशंसाएँ

- **ठोस गोपनीयता कानून-** इससे प्रणाली में नागरिकों का विश्वास बढ़ेगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर बड़े पैमाने पर उनकी कोई निगरानी नहीं की जाएगी। साथ ही डेटा हैंडल करने वाली कंपनी पर उत्तदायित्व आरोपित करने के लिए IT कानूनों का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए।
- **स्मार्ट कार्ड के लिए बॉयोमीट्रिक** - इससे केंद्रीकृत बायोमीट्रिक डाटाबेस की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। फलस्वरूप विदेशियों या अपराधियों द्वारा दूर से ही लोगों की पहचान किये जाने और उस पहचान का दुरुपयोग किये जाने का जोखिम कम हो जाएगा।

- **महत्वपूर्ण अवसंरचना** (Critical Infrastructure) **की परिभाषा में आधार डाटाबेस को सम्मिलित किया जाए-** यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य है कि शांतिकाल या सशस्त्र संघर्ष के दौरान **CI** पर हमला नहीं किया जाता है।
- **ऐप-सुरक्षा-** BHIM ऐप जैसे सभी आधार आधारित एप्लीकेशनों का सुरक्षा परीक्षण किया जाना चाहिए।
- **मोबाइल-लैपटॉप सुरक्षा-** मोबाइल और लैपटॉप के लिए उपकरण के स्तर पर ही एन्क्रिप्शन को प्रोत्साहित करना चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आधार से जुड़ी व्यक्तिगत जानकारी या लेन-देन को हैकिंग के माध्यम से लक्षित न किया जा सके।
- **आपात स्थिति के लिए प्रतिक्रिया दल-** आधार कार्ड पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण की निगरानी करने के लिए आपात स्थिति प्रतिक्रिया दल बनाया जाना चाहिए।

ON IAS

7. अतिरिक्त विषय (Additional Topics)

7.1. पुलिस सुधार

(Police Reforms)

पृष्ठभूमि

- पुलिस संगठन, पुलिस एक्ट,1861 पर आधारित है।
- पुलिस को संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'राज्य सूची' में रखा गया है। हालांकि, संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच कार्यकारी और विधायी कार्यों के विभाजन की व्यवस्था की गई है, जैसा कि नीचे प्रदर्शित किया गया है; (Figure -1)।
- इसे अधिकारवादी शासन के तहत स्थापित किया गया था। इस प्रकार, भारतीय समाज में बढ़ती जटिलता, आधुनिकीकरण और लोकतांत्रिककरण के साथ-साथ अपराध की परिवर्तित होती प्रकृति पुलिस संगठन में संरचनात्मक, कार्यात्मक और कार्मिक सुधारों की मांग करती है।

Figure 1: Responsibilities of centre and states with regard to police

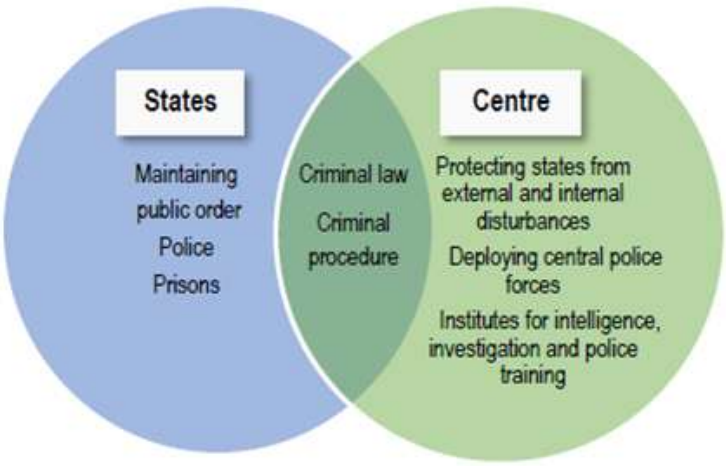

- इसके अतिरिक्त, कानून एवं व्यवस्था की कमी भी निवेश को आकर्षित करने में विफल रही है। निवेश आर्थिक विकास के प्रोत्साहन हेतु आवश्यक है।
- पुलिस सुधारों पर विभिन्न विशेषज्ञ समूह निम्न प्रकार रहे हैं:
- **1977-81 का राष्ट्रीय पुलिस आयोग**
- रिबेरो समिति 1988
- पद्मनाभैया समिति 2000
- मलिमथ समिति 2002-03
- *प्रकाश सिंह बनाम केंद्र सरकार* 2006 वाद में दिया गया सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, 2007
- पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी II, 2015

पुलिस बल आधुनिकीकरण (MPF) योजना

- MPF योजना को वर्ष 1969-70 में शुरू किया गया था। हाल की कैबिनेट की घोषणा के अनुसार इसके अंतर्गत आवंटित राशि को दोगुना कर दिया गया है।
- इस कोष का उपयोग आंतरिक सुरक्षा, कानून एवं व्यवस्था, महिला सुरक्षा, आधुनिक हथियार उपलब्ध कराने, पुलिस बलों की लामबंदी, लॉजिस्टिक सहायता, हेलीकॉप्टरों को किराए पर लेने, पुलिस वायरलेस को अपग्रेड करने, नेशनल सेटेलाइट नेटवर्क, CCTNS प्रोजेक्ट, ई-प्रिजन प्रोजेक्ट (E-prison project) आदि के लिए किया जाएगा।
- अपराध और अपराधियों से सम्बंधित सूचनाओं का डेटा बेस बनाने के लिए पुलिस थानों को एकीकृत किया जाएगा। इस डेटा बेस को आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े अन्य स्तम्भों जैसे जेल, फोरेंसिक साइंस लैबोरेट्रीज और अभियोजन कार्यालयों से जोड़ा जाएगा।
- 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं का अनुसरण करते हुए MPF योजना को 2015-16 से केन्द्रीय अनुदान से अलग कर दिया

गया। राज्यों से अपेक्षा की गई थी कि वे अपने स्वयं के संसाधनों से इस योजना का वित्त पोषण करेंगे।

- इस योजना के तहत अमरावती (आंध्रप्रदेश) में एक अत्याधुनिक फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना करने तथा जयपुर में स्थित सरदार पटेल ग्लोबल सेंटर फॉर सिक्यूरिटी, काउंटर टेररिज्म एंड एंटी-इनसर्जेंसी और गाँधीनगर में गुजरात फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय को अपग्रेड करने का प्रावधान है।

अपेक्षित लाभ

- स्मार्ट पुलिसिंग (SMART Policing) अर्थात ***स्ट्रिक्ट*** *एंड सेंसिटिव* , ***मॉडर्न*** *एंड मोबाइल,* ***अलर्ट*** *एंड अकान्टबल* , ***रिलाएबल*** *एंड रेस्पोंसिव,* ***टैक सैवी*** *एंड ट्रेन्ड पुलिसिंग* की प्राप्ति का उद्देश्य।
- यह वामपंथी उग्रवाद, जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के विभिन्न समूहों द्वारा उत्पन्न होने वाली सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने में एक उत्प्रेरक का कार्य करेगा।
- पुलिस ढांचे, फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज़, संस्थाओं और उनमें उपलब्ध उपकरणों का अपग्रेडेशन, जिससे आपराधिक न्याय प्रणाली की महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने में सहयता प्राप्त होगी।
- पुलिस को नवीनतम उपकरणों से लैस करने से **अर्धसैनिक बलों पर निर्भरता कम होगी।**

उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के कार्यान्वयन की स्थिति

न्यायालय के निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु न्यायालय द्वारा स्थापित न्यायमूर्ति थॉमस समिति के अनुसार:

- जम्मू-कश्मीर और ओडिशा के अतिरिक्त सभी राज्यों में राज्य सुरक्षा आयोग स्थापित किए गए थे। परंतु कुछ राज्यों में, इस पर सरकार और पुलिस अधिकारियों का प्रभुत्व था।
- राज्य सुरक्षा आयोगों और पुलिस संस्थापन बोर्डों की संरचना और शक्तियां उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों से भिन्न थीं।
- कई आयोगों के पास बाध्यकारी अनुशंसाएं जारी करने की शक्ति नहीं थी।
- निदेशकों और महानिरीक्षकों (IGs) का कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया था और इस प्रकार, उन्हें अत्यंत अपुष्ट और काल्पनिक आधारों पर आधी अवधि में ही हटाया जा रहा था। उदाहरण के लिए, **केरल में टी.पी. सेनकुमार मामला।**
- राज्यों की एक बड़ी संख्या द्वारा इसका अनुपालन न किये जाने के कारण उच्चतम न्यायालय ने स्वयं भी इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में असमर्थता व्यक्त की है।

पुलिस सुधार से संबंधित मुद्दे

- **पुलिस बलों का आधुनिकीकरण**
  - हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुलिस बल के आधुनिकीकरण (MPF) हेतु एक अम्ब्रेला योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी दी है और 2017-18 से 2019-20 की अवधि के लिए 25,060 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की है।
  - यह बताया गया है कि राज्यों ने MPF योजना के तहत पूर्व में आवंटित 9,203 करोड़ के कुल अनुदान का केवल 14% ही उपयोग किया था।
  - पुलिस आधुनिकीकरण को नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान (NeGP) के अंतर्गत एक इंटीग्रेटेड मिशन मोड प्रोजेक्ट (MMP) के रूप में शामिल किया गया है।
  - मेगा सिटी पुलिसिंग (MCP) की योजना भी प्रारंभ की गई है जिसमें मुंबई, बंगलुरु, दिल्ली आदि सहित सात शहरों में पुलिस बल का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।
  - हाल ही में गृह मंत्री ने अपराध एवं आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (CCTNS) परियोजना के तहत एक डिजिटल पुलिस पोर्टल लॉन्च किया है।

VISION IAS

- **बोझ तले दबा पुलिस बल:**
  - पिछले दशक (2005-2015) के दौरान प्रति लाख जनसंख्या पर होने वाले अपराधों में 28% तक की वृद्धि देखी गई। जबकि अधिकांश राज्यों में प्रति लाख लोगों पर मात्र 137 पुलिसकर्मी ही उपलब्ध हैं। यह संख्या पुलिस कर्मियों की स्वीकृत सीमा 181 और संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुशंसित संख्या 222 प्रति लाख जनसंख्या के अनुरूप नहीं है।
  - वर्ष 2016 में पुलिस के 24% पद रिक्त थे। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने रेखांकित किया है कि ट्रैफिक प्रबंधन, आपदा राहत और अतिक्रमण हटाने जैसी अतिरिक्त जिम्मेदारियों ने पुलिस बल के कार्यों में वृद्धि कर दी है।
- **जाँच की गुणवत्ता**
  - विधि आयोग (2012) के अनुसार अपराध जांचों की निम्न गुणवत्ता के कारण अभियोजन की दर मात्र 47% रही। पुलिस संगठन में पेशेवर जाँच के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और विशेषज्ञता का नितांत अभाव है। इस संगठन में आवश्यक कानूनी जानकारी और बुनियादी फोरेंसिक व साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर का भी अभाव है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने संस्तुति दी कि अपराधों की बेहतर जाँच के लिए राज्यों को पुलिस बल के भीतर ही जाँच की अलग इकाइयाँ बनाने की आवश्यकता है।
  - इसके लिए,अपराध एवं आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (CCTNS) योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके तहत पुलिस स्टेशनों को केंद्रीकृत डेटाबेस से जोड़कर,अपराध एवं अपराधियों की जांच को सुगम बनाने हेतु सिविल पुलिस के जांच अधिकारियों को उपकरण, प्रौद्योगिकी और सूचना उपलब्ध करायी जा रही है।
- **पुलिस की जवाबदेही**
  - राजनीतिक कार्यपालिका के पुलिस पर नियंत्रण होने से पुलिसकर्मियों का दुरुपयोग और उनके निर्णय लेने की शक्ति में हस्तक्षेप किया जाता है। इस सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए कुछ दिशा -निर्देश निम्नलिखित हैं:
    - पुलिस संगठन के लिए तीन संस्थानों की स्थापना

      (i) राज्य सरकार द्वारा पुलिस पर अनुचित प्रभाव या दबाव को रोकने के लिए एक राज्य सुरक्षा आयोग।

      (ii) पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण, नियुक्ति, पदोन्नति और अन्य सेवा संबंधी मामलों का निर्णय लेने हेतु एक पुलिस संस्थापन बोर्ड।

      (iii) गंभीर दुर्व्यवहार के संबंध में पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध लोक शिकायतों की जांच करने के लिए एक पुलिस शिकायत प्राधिकरण।
    - पुलिस महानिदेशक (DGP) का चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सूचीबद्ध किए गए तीन सर्वाधिक वरिष्ठ अधिकारियों में से किया जाना चाहिए तथा DGP का कार्यकाल न्यूनतम दो वर्षों का होना चाहिए।
    - महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थ फील्ड अधिकारियों (रेंज के प्रभारी महानिरीक्षक, थाना प्रभारी) का कार्यकाल न्यूनतम दो वर्षों का होना चाहिए।
    - जाँच की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जाँच से सम्बंधित कार्यवाहियों में संलग्न पुलिस बल को क़ानून एवं व्यवस्था बनाए रखने वाले पुलिस बल से अलग रखा जाना चाहिए।
- **कर्मचारियों की क्षमता में वृद्धि करना**
  - पुलिस में अधिकांश संख्या (86%) कांस्टेबल स्तर के कर्मियों की है। इन पुलिसकर्मियों को निम्न स्तरीय और अपर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त होता है। परिणामस्वरूप कानून एवं व्यवस्था में कुप्रबंधन की स्थिति उत्पन्न होती है।
  - तनाव का उच्च स्तर, अनियमित कार्य-घंटे, पारिवारिक मुद्दे अथवा अच्छा कार्य करने पर भी प्रशंसा न मिलना आदि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके चलते पुलिसकर्मियों द्वारा आत्महत्या और अपने सहकर्मियों के साथ झगड़े जैसे मामलें देखने को मिलते है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की पांचवी रिपोर्ट में पुलिसकर्मियों की भर्ती प्रक्रिया, प्रशिक्षण व सेवा शर्तों में सुधार तथा कार्य के घंटे घटाने और बेहतर आवास सुविधाएं देने का सुझाव दिया गया है।
- **अवसंरचना की कमी**
  - **अवसंरचनात्मक स्तर पर नई आवश्यकताओं** जैसे कि वाहनों **की खरीद की प्रक्रिया में अत्यधिक विलंब होता रहा है**।
  - फोरेंसिक लैबऔर फिंगरप्रिंट ब्यूरो जैसी अवसंरचनाओं की अभी तक कमी है।
  - अधिकांश राज्यों की प्रशिक्षण अकादमियों में अवसंरचना अत्यंत निम्नस्तरीय है और आधुनिक उपकरणों एवं प्रक्रियाओं का उपयोग करने हेतु पुलिस कम प्रशिक्षित है।
- **पुलिस पब्लिक रिलेशन**
  - लोगों के बीच पुलिस की छवि समस्या सुलझाने वाले की न होकर समस्या पैदा करने वाले की है। जबकि दूसरी तरफ पुलिसकर्मी अपराध की जांच के लिए गवाहों और मुखबिरों हेतु लोगों पर ही निर्भर होते हैं।

VISION IAS

- समुदाय आधारित पुलिस व्यवस्था (कम्युनिटी पुलिसिंग मॉडल) इन चुनौतियों से निपटने का एक तरीका है। कई राज्यों ने इस तरह के कार्यक्रमों को लागू भी किया है। इनमें **केरल का जनमैत्री सुरक्षा प्रोजेक्ट, राजस्थान की जॉइंट पेट्रोलिंग कमिटीज, असम की मीरा पैबी तथा महाराष्ट्र की मोहल्ला कमेटियां** प्रमुख हैं।

- **अन्य मुद्दे**
  - हाल ही में, NHRC ने पाया है कि विगत 12 वर्षों में मुठभेड़ों के 206 मामले हुए हैं।
  - जनता से प्रत्यक्ष संपर्क में रहने वाले अधिकारियों की सॉफ्ट स्किल्स, जैसे कि अंतर्वैयक्तिक संचार कौशल इत्यादि, के संदर्भ में उचित प्रशिक्षण की कमी।
  - पुलिस बलों के पक्षपातपूर्ण, राजनीतिकृत और सामान्यतः सक्षम न होने की की पूर्वधारणा। यह इस बात से भली-भांति स्पष्ट होता है कि उन अपराधों के लिए भी लगातार CBI द्वारा जांच की मांग की जाती रही है जिनकी जांच आपराधिक जांच विभागों द्वारा सरलता से की जा सकती है।

निष्कर्ष

क़ानून एवं व्यवस्था, आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, साइबर अपराध आंतरिक सुरक्षा से जुड़े कुछ ऐसे खतरे हैं जिनके लिए सशक्त और कुशल पुलिस व्यवस्था की आवश्यकता है। इस प्रकार, इन जटिल सुरक्षा चुनौतियों के आलोक में समग्र पुलिस सुधार वर्तमान समय की मांग है।

- **क्षमता और अवसंरचना को बढ़ावा देना-** इसके तहत पुलिसकर्मियों की संख्या में वृद्धि, प्रशिक्षण और सेवा-शर्तों में सुधार जैसे कि अवसंरचना, कार्य की अवधि, आवास सुविधाओं इत्यादि में सुधार शामिल है।
- **प्रशासनिक सुधारों को शामिल करना-** इसमें कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी से जांच कार्यों को पृथक करना, सामाजिक और साइबर अपराधों के लिए विशेषीकृत विंग की स्थापना, पुलिस को मुख्य कार्यों तक सीमित करना, उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित प्राधिकरणों की स्थापना करना, राज्य मशीनरी को सुदृढ़ बनाना और अभियोजन को पुलिस के साथ सम्बद्ध करना शामिल है।
- **तकनीकी सुधार -** इसमें कंट्रोल रूम का आधुनिकीकरण, अपराध एवं आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (CCTNS) की प्रक्रिया को तीव्र बनाना, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (NATGRID) को आगे बढ़ाना और पुलिस प्रणाली में नई तकनीक को शामिल करने हेतु प्रोत्साहन शामिल है।
- **भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तन -** भर्ती होने वाले लोगों की गुणवत्ता को अपग्रेड करना और साथ ही जनता को दिन -प्रतिदिन दी जाने वाली सेवाओं के वितरण में समर्पण और ईमानदारी सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है।
- **नेतृत्व की भूमिका -** पुलिस संबंधी सभी समस्याएँ केवल पुलिस कार्यप्रणाली में राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण ही नहीं है। कार्य निष्पादन में सुधार पुलिस नेतृत्व की भी ज़िम्मेदारी है।
- **सभी राज्यों में मॉडल पुलिस अधिनियम का निर्माण-** केंद्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्यों द्वारा **मॉडल पुलिस अधिनियम** का अनुपालन किया जाए।
- **साक्ष्य आधारित पुलिसिंग को अपनाना-** यह एक **शोध आधारित दृष्टिकोण** है जिसमें अपराध के 'प्रमुख स्थलों' की पहचान करना, समुदाय में संदिग्ध व्यक्तियों का पता लगाना और यह निर्धारित करना शामिल है कि पुलिसिंग के अंतर्गत क्या प्रभावी रूप से कार्य करता है अर्थात् कौन-सी पद्धतियां और रणनीतियां पुलिस के मिशनों को अधिक लागत प्रभावी ढंग से पूरा करती हैं।

7.2 भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा में आसूचना की भूमिका

(Role Of Intelligence In National Security In India)

आसूचना, राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रमुख घटकों में से एक है। विशेष रूप से बढ़ते कट्टरपंथ, सीमा-पार आतंकवाद, सामूहिक विनाश के हथियारों का प्रसार और साइबर जासूसी के उभरते खतरे के कारण इसके महत्व में और भी अधिक वृद्धि हुई है।

सुरक्षा के संदर्भ में आसूचना

- आसूचना को राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अथवा राष्ट्रीय रणनीतियों के निर्माण को प्रभावित करने वाली सूचनाओं के संग्रह, संयोजन, विश्लेषण और मूल्यांकन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
- आसूचना तंत्र संभावित शत्रु राज्य समूह, व्यक्ति, या गतिविधि के संबंध में सूचनाओं के उपयोग से संबंधित तंत्र है। इसके अतिरिक्त, आसूचना सम्बन्धी गतिविधियां, अन्य राज्यों की विदेश और घरेलू नीति के विकल्पों को प्रभावित करने का प्रयास करती हैं।

VISION IAS

- निम्नलिखित कारणों से आसूचना संबंधी गतिविधियों में सम्मिलित हितधारकों द्वारा अधिक से अधिक सूचनाओं का साझा करना अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है:
  - **हमलों से होने वाली क्षति को न्यूनतम करने हेतु**: हाल ही में उरी और पठानकोट एयर बेस पर हुए हमले कुछ ऐसे उदाहरण हैं, जो खुफिया जानकारी प्राप्त करने में हुई लापरवाही को प्रदर्शित करते हैं।
  - **खतरे की वैश्विक परस्पर-संबद्धता**: आतंकवाद वर्तमान में किसी एक देश की सीमाओं से संबंधित नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक चुनौती बन गया है। विश्व के किसी भी हिस्से में घटित होने वाली घटना से हमारी आंतरिक सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।
  - **खतरे का व्यापक विश्लेषण:** देश की सभी आसूचना एजेंसियों को उपलब्ध सूचनाओं के माध्यम से एक साथ मिलकर समन्वित रूप से वास्तविक खतरे का विश्लेषण करना चाहिए और क्षेत्राधिकार संबंधी विवाद में उलझे बिना इन सूचनाओं को प्रत्यक्ष रूप से कार्यवाही करने वाली एजेंसियों के साथ साझा करना चाहिए।

सम्बंधित जानकारी

भारत में आसूचना तंत्र

- भारत में आसूचना गतिविधियां विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों द्वारा संपन्न की जाती हैं जैसे : रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स (RAW), इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB), नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB), डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी (DIA), ऑल इंडिया रेडियो मॉनिटरिंग सर्विस (AIRMS) इत्यादि।
- कई खुफिया एजेंसियों का नेतृत्व संबंधित मंत्रालय द्वारा किया जाता है और उन्हें एक विशिष्ट कार्य प्रदान किया किया जाता है। IB देश की बाह्य सुरक्षा संबंधी कार्यों और RAW आंतरिक सुरक्षा संबंधी कार्यों की देखरेख करता है।
- सुरक्षा खतरे के अतिरिक्त, ये एजेंसियां तीन अन्य महत्वपूर्ण कार्य करती हैं; सब्वर्शन (स्थापित हानिकारक व्यवस्था को प्रभावित कर परिवर्तन लाना), सबोटेज (सैन्य या राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए स्थापित हानिकारक व्यवस्था का नाश करना) और एस्पोनिएज (राजनीतिक सूचना की प्राप्ति के लिए जासूसी) संबंधी गतिविधियाँ|

सरकार द्वारा की गयी पहल

- **नेटग्रिड**: इसमें संभावित सुरक्षा खतरे से निपटने हेतु विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े इंटेलिजेंस डेटा बेस शामिल हैं।
- **राष्ट्रीय आतंकवाद प्रतिरोधी केंद्र (NCTC)** आतंकवाद रोकथाम संबंधी योजनाओं को तैयार करता है और सभी मौजूदा जांच और आसूचना एजेंसियों के मध्य समन्वय स्थापित करता है।
- **राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (NCCC)** जो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के लिए सभी संभावित ऑनलाइन खतरों की जाँच करेगा और आसूचना एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करेगा।
- **आप्रवासन, वीजा और विदेशी यात्री पंजीकरण और ट्रैकिंग (IVFRT):** सभी विदेशी यात्राओं के आंकड़ों को बनाए रखने के साथ देश में अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक प्रवेश की सुविधा प्रदान करना।

चुनौतियां

- **औपनिवेशिक बोझ**: भारतीय आसूचना प्रणाली का विकास भारतीय पुलिस व्यवस्था के विस्तार के रूप में हुआ है किन्तु यह नौकरशाही प्रक्रियात्मक बाधाओं से ग्रसित है जो इसके उद्देश्य की प्राप्ति में प्रमुख बाधक है।
- **समन्वय**: विभिन्न आसूचना एजेंसियों के मध्य अनुवर्ती कार्यवाही और समन्वय का अभाव हैं उदाहरण स्वरूप कारगिल समीक्षा समिति द्वारा IB और RAW के मध्य विशेष रूप से सीमा पर समन्वय की कमी का उल्लेख किया गया है जबकि विशेष रूप से दोनों की क्षमताओं को रणनीतिक रूप से सुरक्षा दृष्टिकोण हेतु विशेष रूप से एकीकृत किया गया था।
- **अप्रासंगिक प्रशिक्षण**: 2011 में हुए मुंबई हमले की जाँच हेतु गठित समिति द्वारा निर्दिष्ट किया गया कि विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के अभाव तथा अप्रासंगिक प्रशिक्षण (आउट डेटेड ट्रेनिंग) के कारण विभिन्न खुफिया एजेंसियों की ओर से गंभीर काउंटर इंटेलिजेंस गलतियां हुई थीं।
- **वैधानिक प्रावधानों का अभाव**: इस सम्बन्ध में विधायी प्रावधानों के अभाव के कारण गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है क्योंकि सभी खुफिया गतिविधियाँ, कार्यकारी निर्देशों के अंतर्गत संचालित की जाती हैं। कुछ गतिविधियों में लक्षित देश के स्थानीय कानूनों का उल्लंघन भी शामिल हो सकता है।

आगे की राह :

- **वैधानिक चार्टर**: पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार ख़ुफ़िया एजेंसियों हेतु कर्तव्यों के निर्वहन संबंधी चार्टर का निर्माण किया जाना चाहिए। यह निष्पक्षता के साथ सेवा प्रदायगी में सुधार करेगा और उत्तरदायित्व के विभिन्न स्तरों अर्थात- कार्यकारी, वित्तीय और विधायी इत्यादि के लिए विधिक आधार प्रदान करेगा।

VISION IAS

- **एजेंसियो के मध्य समन्वय**: अतिव्यापन, कार्यों के दोहराव एवं एक ही क्षेत्र में अलग-अलग एजेंसियों के क्षेत्राधिकार में टकराव की समस्या के निवारण और सुरक्षा इनपुट के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु एक **राष्ट्रीय आसूचना समन्वयक (National Intelligence Coordinator)** नियुक्त किया जाना चाहिए। कुशल इनपुट साझाकरण हेतु एक मल्टी एजेंसी सेंटर को पुनः स्थापित किया जाना चाहिए।
- **एकीकृत आसूचना तंत्र**: आसूचना तंत्र के कई गैर-पारंपरिक क्षेत्रों जिनमें वित्तीय लेनदेन, तकनीकी लेनदेन, बड़ी कंपनी के संचालन में धोखाधड़ी, संगठित अपराध इत्यादि का संज्ञान लेने की आवश्यकता होती है। इसके लिए आसूचना संग्रहण हेतु एक उन्नत प्रौद्योगिकी युक्त तंत्र की आवश्यकता है।
- **कार्यात्मक सुधार** : सैन्य और डेटा विज्ञान संबंधी विशेषज्ञों को शामिल करने के लिए प्रतिनियुक्ति (डेप्युटेशन) स्लॉट का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके साथ ही विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्यों की आउटसोर्सिंग की जानी चाहिए, जैसे इथिकल हैकर्स इत्यादि।
- **प्रौद्योगिकी उन्नयन** : मौजूदा सुरक्षा प्रणाली प्रतिमान में साइबर स्पेस प्रौद्योगिकी के संदर्भ में संरचनात्मक सुधार किए जाने की आवश्यकता है। उदाहरणार्थ - एन्क्रिप्शन/डिक्रिप्शन, क्रिप्टोग्राफी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस इत्यादि।

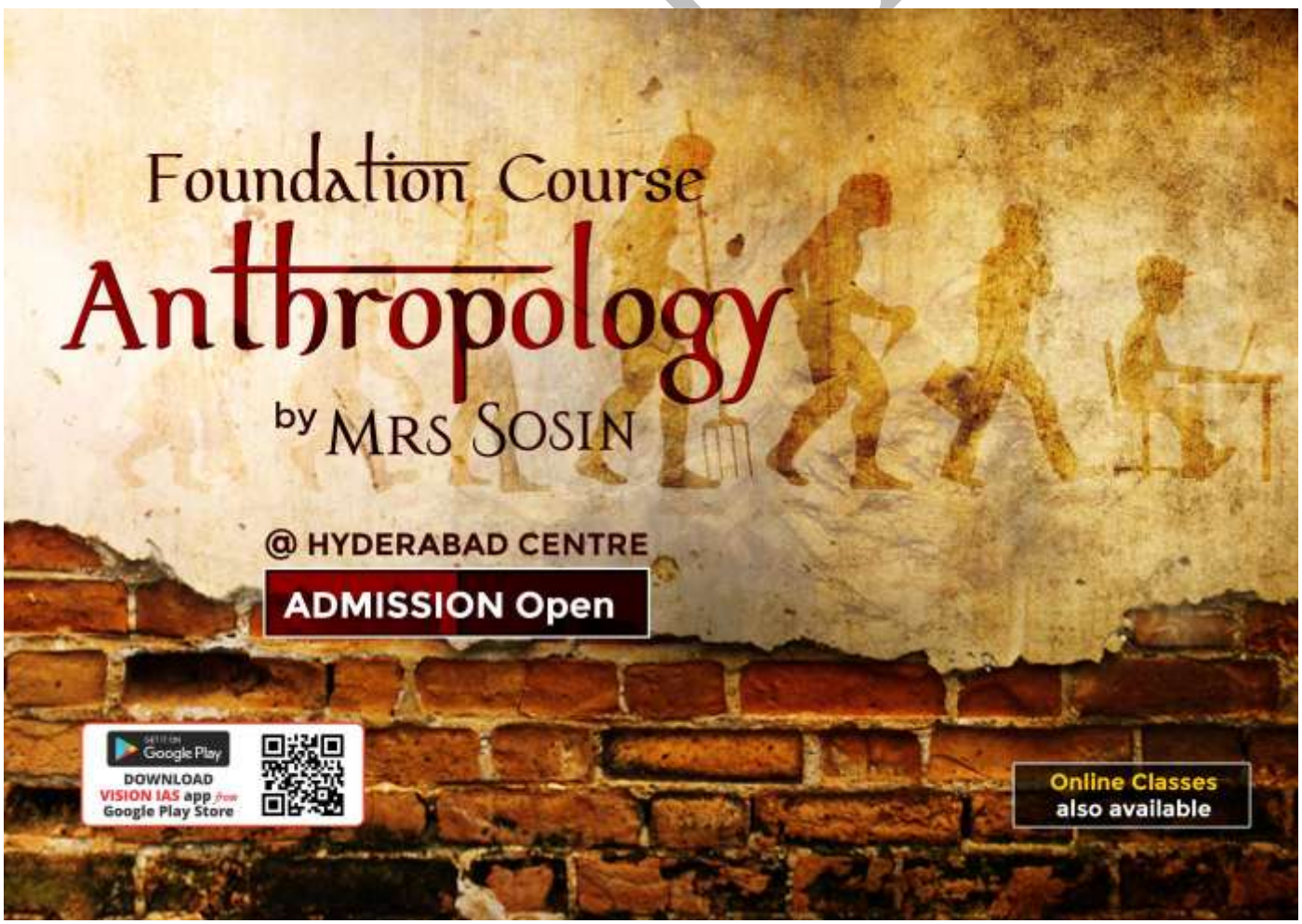

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.